खण्ड-161, अंक-2
मंगलवार, 15 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(6 दिसम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 161 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू,
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांड़ेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छन्नीलाल सगर, श्री

छेदालाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बालदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री

मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
रामग्रधीन सिंह यादव, श्री
रामग्रनन्त पांडेय, श्री
रामग्रवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री

लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोन्दि पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

झांसी में मोतीलाल पुस्तकालय के निकट कोतवाली बनाने के लिए भूमि मिलने में विलम्ब

**१—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बतान की कृपा करेगी कि तारांकित प्रश्न संख्या १५ दिनांक १७ दिसम्बर, १९५४ के उत्तर के अनुसार मोलीलाल पुस्तकालय के पास तजवीज की गई जमीन पर कोतवाली बनने का काम अभी तक क्यों आरम्भ नहीं हुआ ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—तजवीज की हुई भूमि को प्रदेशीय सरकार को देने के लिये भारत सरकार का निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। भूमि प्राप्त हो जाने पर निर्माण-कार्य आरम्भ हो सकेगा ।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने वर्षों से यह विचाराधीन है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—हमने १८ दिसम्बर, १९५४ को भारत सरकार को लिखा था और उसके बाद कई स्मरण-पत्र भेजे गये हैं लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी उक्त जमीन को शीघ्र प्राप्त करने के लिये भारत सरकार से विशेष तौर से अनुरोध करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अवश्य।

झांसी की महारानी लक्ष्मी बाई का महल पुरातत्त्व विभाग को देने का निश्चय

**२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महारानी लक्ष्मी बाई के महल से कोतवाली हट जाने के बाद वह इमारत भारतीय सरकार के पुरातत्व विभाग के अथवा प्रदेशीय सरकार के अधिकार में रहेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—महल से कोतवाली हट जाने के बाद वह इमारत भारतीय सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन रहेगी।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महारानी लक्ष्मी बाई के महल से कोतवाली को हटाने की क्या आवश्यकता पड़ गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिससे कि महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में वह स्थान आदरणीय माना जा सकें और राष्ट्रीय भावना का आदर कर सकें।

[२२ नवम्बर, १९५५ के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

बस्ती जिला व सेशन्स जज की अदालत की छत गिरने से हानि

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाल ही में बस्ती जिला और सेशन्स जज की अदालत की खपरैल की छत अचानक गिर गई ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इसमें कितनी जन धन की हानि हुई ह ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी हां। इसके फलस्वरूप ३ अभियुक्तों को गहरी चोटें पहुंचीं। कुछ सरकारी कर्मचारियों को भी मामूली चोटें आईं। दो टाइप राइटर और लकड़ी का कुछ सामान नष्ट हो गया।

*२---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब नई इमारत के निर्माण हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---नई छत का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ होने जा रहा है। साथ ही दीवानी कचहरी के विकास के लिये शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने दिनों से किसी इंजीनियर ने अदालत की छत की देखभाल नहीं की थी ?

श्री सैयद अली जहीर---यह इत्तिला मेरे पास नहीं है कि कब से उसकी देखभाल नहीं की गई, बल्कि मेरा ख्याल तो यह है कि बराबर करते रहे होंगे।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बावजूद चेतावनी के कि इस इमारत की छत खराब है फिर भी रोजाना कचहरी उसी में की जाती थी ?

श्री सैयद अली जहीर---ऐसी चेतावनी की मुझे खबर नहीं है कि हमारे यहां आई थी ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या इसकी मरम्मत कराई गई थी और कराई गई थी तो उसमें सरकार का कितना खर्चा हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर---यह इत्तिला भी मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार पुरानी इमारत को जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---इसका जवाब तो मैंने जो सवाल २ का जवाब पढ़ा है उसमें कह दिया है कि फौरन ही कार्यवाही होने जा रही है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय छत गिरी उस समय कोर्ट की कार्यवाही हो रही थी ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, हो रही थी जब कि वहां पर मुलजिम मौजूद थे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार ने छत के गिरने का सही कारण क्या है इसका पता लगाया है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, पुरानी हो गई थी।

* * *

आजमगढ़ जिला बोर्ड को बाढ़-पीड़ितों के सहायतार्थ दिये गये धन का व्यय

*१०---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला बोर्ड को वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में ७५ हजार रु० जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की सड़कों एवं स्कूलों की मरम्मत तथा निर्माण के हेतु प्रदान किया गया था उसमें से घोसी तथा सगड़ी के अतिरिक्त अन्य किन तहसीलों की किन-किन सड़कों एवं स्कूलों में व्यय हुआ है ?

स्वशासन मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---वांछित सूचना की तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५४-१५५ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड को जिस मद के लिये अनुदान दिया जाता है उसके अलावा भी उसको उस रुपये को किसी मद में खर्च करने का अधिकार है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जिला बोर्ड को जिस मद के लिये रुपया दिया जाता है वह उसी में खर्च करता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जो रुपया जिला बोर्ज आजमगढ़ को दिया गया है उसमें अधिकतर रुपया उन भवनों और सड़कों की मरम्मत के लिये नहीं खर्च हुआ है, जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में है ?

श्री कैलाश प्रकाश---उनको रुपया दिया गया था और कहा गया था कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र जो हैं उनमें वह खर्च करें। उस रुपये से और अपने रुपये से उहोंने अपने यहां भवनों और सड़कों की जो मरम्मत की उसकी तालिका माननीय सदस्यों को दी जा चुकी है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार इस बात की जांच कराने की कृपा करेगी कि जो रुपया उसने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में खर्च करने को दिया था वह रुपया पूरा उसमें नहीं खर्च हुआ है और उसकी काफी रकम दूसरी जगह खर्च हुई है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अगर माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो बता दें, जांच कराई जा सकती है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को पता है कि इस अनुदान से बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की कितनी सड़कों और भवनों का निर्माण हुआ है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जिन-जिन की मरम्मत या निर्माण हुआ है, उनकी सूची माननीय सदस्य को दी जा चुकी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो तालिका प्रदान की गई है इसमें से जिन सड़कों की मरम्मत पर अधिकतर खर्च हुआ है वह बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की नहीं हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

* * * *

पश्चिमी जिलों के लिए हाई कोर्ट बेञ्च स्थापित करने की मांग

*१३---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार का विचार प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हाई कोर्ट की बेन्च स्थापित करने का है ? यदि हां, तो किस स्थान पर और कब तक ?

श्री सैयद अली जहीर---ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या यह सच है कि न्याय विभाग की स्टैंडिंग कमेटी ने पश्चिमी जिलों में हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने की सिफारिश की है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो नहीं कहा जा सकता कि सिफारिश की है, लेकिन वहां इस मामले पर विचार किया गया था।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब से आया और कब तक रहेगा ?

श्री सैयद अली जहीर---यह प्रश्न कुछ अरसा हुआ उठाया गया था, उसके ऊपर गौर किया गया। लेकिन इसको मुनासिब नहीं समझा गया। अब यह विचाराधीन नहीं है, यह जबाव दे दिया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सत्य है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का दौरा जिन दिनों मेरठ में हुआ तो वहां पर कुछ मंत्रियों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेञ्च खोली जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी इस विषय की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---अगर आप मुझे इत्तिला देंगे तो मैं जरूर पता लगाने की कोशिश करूंगा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां की जनता या जन प्रतिनिधियों की ओर से कोई मांग इस विषय में आपके पास आयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं तो समझा नहीं कि जनता से क्या मतलब है। जनता की तरफ से तो कोई मांग नहीं आयी बाज एम० एल० एज० ने इसका जिकर किया था और मेरे ख्याल में उन्होंने इस सवाल को उठाया था, लेकिन जैसा मैंने अभी बतलाया कि इस पर विचार किया गया और यह मुनासिब नहीं समझा गया कि हाई कोर्ट इस तरह से बांट दिया जाय।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह क्या कारण है जिन कारणों के आधार पर हाई कोर्ट पच्छिम में मुन्तकिल करना मुनासिब ख्याल नहीं किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर---उसके बहुत से कारण हैं। सब से पहला कारण तो यह है कि हाई कोर्ट का ऐसा इन्स्टीट्यूशन है कि वह एक ही जगह पर अच्छे तौर पर काम कर सकता है। अगर उसको तकसीम किया जाय तो उसमें न तो वैसे वकील मिल सकते हैं, न वह लाइब्रेरी हो सकती है और न वह डिगनिटी बाकी रह सकती है जो कि हाई कोर्ट के लिये जरूरी है। इसके अलावा यह भी समझा गया कि इससे बड़े-बड़े सूबे हैं, लेकिन वहां पर भी हाई कोर्ट एक ही जगह पर है और हाई कोर्ट में जिस किस्म का काम होता है उसके लिये यह मुनासिब नहीं है कि उसको जगह-जगह पर सूबे में हिस्सों में बांट दिया जाय।

*१४-१५---**श्री दीनदयालु शास्त्री**---[२० दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

* * * *

देवरिया जिलान्तर्गत नगरपालिकाओं को सड़कें बनाने के लिए अनुदान

*१७---**श्री जगन्नाथ मल्ल** (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में देवरिया जिले की किन-किन नगरपालिकाओं को सड़कें बनवाने के लिये कितना-कितना सरकारी अनुदान दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---चालू वित्तीय वर्ष में देवरिया जिले की प्रत्येक नगरपालिका को सड़क बनवाने के हेतु निम्नलिखित अनुदान दिया गया है:---

देवरिया	..	..	१६,०००
गौरा बरहज	..	..	१७,१००
पडरौना	..	..	५,२००

*१८—श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन अनुदानों का वितरण किस आधार पर हुआ है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह अनुदान नगरपालिकाओं को उनकी सड़कों की लम्बाई तथा आबादी के आधार पर दिये गये हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को यह विदित है कि पडरौना और गौरी बरहज की आबादी और सड़कों की लम्बाई करीब-करीब बराबर है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, सरकार को यह मालूम नहीं है कि बराबर है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गौरी बरहज की क्या आबादी है और देवरिया नगरपालिका की क्या आबादी है और पडरौना की क्या आबादी है और उनकी सड़कों की लम्बाई कितनी-कितनी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैंने जो प्रश्न किया था उसमें पूछा यह था कि सारे नगरों की सड़कों की लम्बाई और उनकी आबादी भी बतलायी जाय, लेकिन पता नहीं कि सरकार ने उसका क्यों नहीं जवाब दिया। उसकी सूचना सरकार को हो जानी चाहिये, क्योंकि मैंने पहले ही यह प्रश्न किया था।

श्री अध्यक्ष—वह इसमें नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जब मैंने प्रश्न किया था तो उसमें था।

श्री अध्यक्ष—जब वह प्रश्न स्वीकृत नहीं हुआ तो उसका जवाब वह नहीं दे सकते।

श्री राजनारायण—सरकार ने यह उत्तर दिया है कि नगरपालिका की सड़कों की लम्बाई और आबादी के अनुपात पर अनुदान दिया गया तो जब सरकार के पास आबादी और सड़कों की लम्बाई के आंकड़े नहीं हैं तो फिर वह किस आधार पर कहती है कि अनुदान दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो आपने उत्तर दिया उसके बजाय यह कहना कि "मुझे नोटिस की आवश्यकता है" ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि जो कुछ आपने कहा उससे वह यह समझे कि सरकार के पास आंकड़े ही नहीं हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह रुपया किन्हीं शर्तों पर दिया गया ? यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जिन नगरपालिकाओं को सड़क की मरम्मत के लिये रुपया दिया जाता है उनके लिये विशेष शर्त है कि जितना रुपया सरकार दे उतना ही रुपया वे अपने पास से लगायें।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या नगरपालिकाओं को अनुदान देने के समय उनके औद्योगिक महत्व पर भी ध्यान दिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर—नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या यह सही है कि बरहज और देवरिया को जिनको १६ और १७ हजार का अनुदान दिया गया है वहां की म्युनिसिपैल्टीज कांग्रेस के हाथ में है और पडरौना जिसकी म्युनिसिपैलिटी सोशलिस्ट पार्टी के हाथ में है उसको केवल ५ हजार का अनुदान ही दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---म्युनिसिपल बोर्डों में राजनैतिक दलों की क्या तफसील है सरकार इस का कोई लिहाज नहीं करती।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को जब यह पता चल जायगा कि पडरौना नगरपालिका में उतनी लंबी सड़कें हैं जितनी लंबी दूसरे स्थानों में जिनको अधिक अनुदान दिया गया है तो क्या वह पडरौना नगरपालिका के अनुदान को बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---इसके दोनों नतीजे हो सकते हैं। मुमकिन है कि बरहज की म्युनिसिपैलिटी के अनुदान को कम कर दिया जाय, बहरहाल इस पर गौर कर लिया जायगा। जब दोनों सड़कों की लंबाई बराबर है तो रुपया भी उनको बराबर ही मिलना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन म्युनिसिपैलिटीज को रुपया दिया गया है उनको किस आधार पर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---मालूम होता है कि आप प्रश्नोत्तर को सुन नहीं रहे थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इन नगरपालिकाओं के अधिकारियों ने कितने-कितने रुपये की मांग की थी ?

श्री सैयद अली जहीर---यह इत्तला इस वक्त नहीं है।

बरेली नगर में अतिरिक्त मुन्सिफी हटाने से न्याय मिलने में असुविधा

*१९---श्री जगदीश सरन (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली नगर में अतिरिक्त मुंसिफ (Additional Munsif) के न्यायालय को कुछ मास पूर्व समाप्त कर देने से असाधारण संख्या में वाद (मुकदमें) इकट्ठे हो गये हैं जिससे जनता को न्याय प्राप्त करने में असाधारण विलम्ब एवं असुविधा हो रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---बरेली नगर में अतिरिक्त मुंसिफ (Additional Munsif) के न्यायालय को ७ जुलाई, १९५५ को समाप्त किया गया था। अगस्त, १९५५ के अंत तक बरेली नगर में शेष दो मुंसिफ न्यायालयों में २,११० साधारण वाद (regular cases) पर कार्यवाही शेष थी।

*२०---श्री जगदीश सरन (अनुपस्थित)---यदि हां, तो सरकार जनता की इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय, कब तक करने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---बरेली नगर में एक अतिरिक्त मुंसिफ नियुक्त करने का प्रश्न हाई कोर्ट में विचाराधीन है।

* * * *

अलीगढ़ जिले में म्यूनिसिपल बोर्डों को दी गई सहायता

*२४---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया की अलग-अलग संख्या क्या है और उनमें से किन-किन को १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री सैयद अली जहीर---अलीगढ़ में कोई नोटीफाइड एरिया नहीं है। उसमें ४ म्युनिसिपल बोर्ड और १३ टाउन एरिया हैं। टाउन एरियाओं को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। म्युनिसिपल बोर्ड्स को दी गई आर्थिक सहायता की तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५६-१५७ पर)

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के अलावा दूसरे जिलों के टाउन एरियाज को कितनी हैल्प दी गयी ?

श्री सैयद अली जहीर---टाउन एरियाज के लिये एक खास रकम बजट में होती है। जो दरख्वास्तें उसके लिये आती हैं और जिस पर जिलाधीश की रिपोर्ट होती है, उनकी सब बातों पर गौर करके, जितनी रकम होती है उसको मुख्तलिफ टाउन एरियाज में बांट दिया जाता है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि दूसरे जिलों को जो रकम दी गयी वह कितनी थी ?

श्री सैयद अली जहीर---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

टैक्स वसूली के सम्बन्ध में टाउन एरिया मुरसान, जिला अलीगढ़ के खिलाफ शिकायत

*२५---**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया मुरसान (अलीगढ़) पर कुल टैक्स कितना वसूलयाबी के लिये बकाया है और अब तक उसमें से कितना वसूल हो चुका है।

श्री कैलाश प्रकाश---टाउन एरिया कमेटी मुरसान, चालू वित्तीय वर्ष में कुल १,६७३ रु० कर के वसूल कर पाई है और इस समय १६,६९२ रु० वसूल करना बकाया है।

*२६---**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**---क्या यह सच है कि मुरसान (अलीगढ़) टाउन एरिया की जनता की ओर से कितने ही प्रार्थना-पत्र इस आशय के जिलाधीश अलीगढ़ के पास आये हैं कि मुरसान टाउन एरिया को सरकार अपने हाथ में लेने की व्यवस्था करे ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ५२-५३ और ५३-५४ में पिछली कितनी वसूली होना बाकी रह गई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश---सन् ५३-५४ के अन्त में १४ हजार रुपया बाकी था और ५४-५५ में ७,००० रु० और असेस किया गया।

* * * *

कानपुर विकास बोर्ड से राजनीतिक पीड़ितों को सस्ती भूमि दिलाने के लिए अनुरोध

*३०---**श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)---क्या यह सही है कि तारीख २५-४-५२ को कानपुर के विकास बोर्ड ने सर्व सम्मति से यह निश्चय किया था कि विकसित की हुई जमीन दो रुपये प्रति गज के हिसाब से स्वाधीनता संग्राम के सिपाहियों को दी जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां।

*३१--श्री सीताराम शुक्ल--क्या यह सही है कि उसके लिये अनेकों व्यक्तियों ने प्रार्थनायें कीं, मगर आज तक किसी को भी जमीन नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बोर्ड को आज्ञा देगी कि जल्द से जल्द प्रार्थियों को जमीनें दें ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, परन्तु यदि माननीय सदस्य के प्रश्न का यह तात्पर्य है कि प्रार्थियों को जमीन दो रुपया प्रति वर्ग गज पर दी जावे तो सरकार ऐसा आदेश नहीं दे सकती है। सरकार केवल यह आज्ञा दे सकती है कि उनको जमीन इस दर पर दी जाये जिससे कि बोर्ड को न हानि हो और न लाभ हो।

श्री सीताराम शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या कानपुर के विकास बोर्ड ने बिना अपनी हानि लाभ का विचार किये हुए ही स्वाधीनता संग्राम के सिपाहियों को २ रुपया प्रति गज जमीन देने का निश्चय किया था ?

श्री कैलाश प्रकाश--कहा नहीं जा सकता कि किस आधार पर प्रस्ताव पास किया था।

श्री रामेश्वर लाल--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिस जमीन को विकास बोर्ड ने २ रुपया प्रति गज पर बेचने का प्रस्ताव किया था उसकी उसको २ रुपए से अधिक कीमत मिल रही थी इसीलिए पोलीटिकल सफरर्स जिन के लिए वह प्रस्ताव हुआ था वह देने को तैयार थे ?

श्री कैलाश प्रकाश--ऐसी बात नहीं थी बल्कि बात यह थी कि जो उस जमीन को डेवलप करने में व्यय हुआ है वह २ रुपए प्रति गज से कहीं अधिक है और बोर्ड राजनीतिक पीड़ितों को जमीन देने को तैयार है उस खर्च पर जिससे बोर्ड को कोई हानि न हो।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बोर्ड को यह जमीन प्रति गज किस दाम पर पड़ रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--५ रुपया प्रति वर्ग गज के करीब कीमत आती है।

श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन सा रेट है कि जिसमें न हानि होगी और न लाभ होगा ?

श्री अध्यक्ष--वह तो उन्होंने उत्तर में ५ रुपया प्रति वर्ग गज बता दिया।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि ५ रुपया प्रति वर्ग गज में से विकास और जमीन के दाम कितने-कितने हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--इसके लिए तो सूचना चाहिए।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लागत मात्र दाम पर जमीन राजनीतिक पीड़ितों को दी जा सकेगी ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर तो पहले ही दिया जा चुका है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)-- क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब मेहरबानी फरमाकर बतायेंगे कि उन्होंने ऐसे आदेश जारी कर दिये हैं कि जिनकी बिना पर पोलिटिकल सफरर्स जमीन आसानी से हासिल कर सकें ?

श्री सैयद अली जहीर--इसमें आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। वह तो ऐडमिनिस्ट्रेटर खुद कर लेते हैं। उन्होंने जो इत्तिला हमें दी है उसमें लिखा है कि वह तैयार हैं। यदि कोई उतनी कीमत पर मांगें तो वह जमीन उनको देंगे।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कानपुर विकास बोर्ड के अध्यक्ष ने समाचारपत्रों द्वारा राजनैतिक पीड़ितों से इस सम्बन्ध में दरख्वास्तें मांगी थीं ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त तो इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने को तैयार हैं कि इसमें जो ओवरहेड एक्स्पेंसेज लगाये जा रहे हैं वह इसमें चार्ज न हों ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, ऐसी कोई तजवीज नहीं है।

* * * *

इलाहाबाद में मेहतरों के क्वार्टर

*३७---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद में जो मकान मेहतरों के लिये बनवाये गये हैं उसमें कितने मकानों में मेहतर रह रहे हैं और कितने खाली हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड ने ३६ क्वार्टर्स नूरुल्ला रोड अटाला पर, ६ क्वार्टर्स साउथ मलाका में और ६ क्वार्टर्स मधवापुर में मेहतरों के लिये बनाए हैं। इसमें से ६ क्वार्टर्स मधवापुर के और ६ क्वार्टर्स साउथ मलाका के मेहतरों से आबाद हो गये हैं। अब केवल ३६ क्वार्टर्स जो अटाला नूरुल्ला रोड पर हैं अभी तक खाली पड़े हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि ये ३६ क्वार्टर्स जो नूरुल्ला रोड पर बने हैं इनमें मेहतर जाने के लिये तैयार नहीं हैं, यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां, अभी तक वे तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको यह मुश्किल है कि यदि वे उन क्वार्टरों में जाकर रहने लगें तो जहां वे जजमानी का काम करते हैं वह उनको बहुत दूर पड़ेगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मेहतरों ने कोई पत्र इस सम्बन्ध में भेजा है ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे ख्याल में तो उन्होंने कुछ भेजा था और उनको जवाब भी दे दिया गया है। बहरहाल अब भी कोशिश जारी है कि वे लोग आवें और वहां रहें।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्वार्टर्स बनाने के पहले जिन मेहतरों को उन क्वार्टर्स में रहना था उनसे भी कुछ राय ली गई थी ?

श्री सैयद अली जहीर---राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई।

श्री रामेश्वर लाल---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ये क्वार्टर्स कब बने थे ?

श्री सैयद अली जहीर---५४ में बन कर तैयार हुए थे।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मेहतरों से इन क्वार्टरों का प्रतिवर्ष या प्रतिमास कुछ किराया लिया जाता है अगर लिया जाता है तो किस हिसाब से ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां, उनसे नाम मात्र ढाई रुपये के करीब लिया जाता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि इन क्वार्टरों में न जाने के सबब से छोटेलाल नाम के एक मेहतर को म्यूनिसिपैलिटी ने मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया ?

श्री कैलाश प्रकाश—ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जो कृपा करके बतलायेंगे कि मेहतरों ने सरकार से क्या प्रार्थना की थी और उसका क्या जवाब दिया गया?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने कहा कि इसकी कोई सूचना हमारे पास अभी तक नहीं है। अभी तक यही कोशिश हो रही है कि ये मेहतर वहां जायं और वहीं बसें।

* * * *

बहराइच जिले में सहायक पंचायत अधिकारी को फ्लड आफिसर के पद पर कथित नियुक्ति

*४०—**श्री परमेश्वरीदयाल** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बहराइच के वर्तमान सहायक पंचायत राज अधिकारी की नियुक्ति फ्लड आफिसर के पद पर किन-किन बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये की गई थी?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी कोई नियुक्ति सहायक जिला पंचायत अधिकारी की नहीं की गई।

*४१—**श्री परमेश्वरी दयाल** (अनुपस्थित)—उक्त अधिकारी ने किन-किन स्थानों का कितने दिन दौरा करके क्या सहायता पहुंचाई तथा उन्होंने इस विषय पर जो रिपोर्ट दी उसकी एक प्रति सरकार मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—प्रश्न नहीं उठता।

टाउन एरिया छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद का ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र

*४२—**श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या न्याय मंत्री को मालूम है कि टाउन एरिया छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद ने एक प्रार्थना-पत्र सड़क निर्माण के लिये लोन लेने के लिये दिया है? यदि हां, तो कब?

श्री कैलाश प्रकाश—टाउन एरिया कमेटी, छिबरामऊ का ६५,००० रु० के ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र जनवरी, १९५५ में प्राप्त हुआ था।

*४३—**श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उपर्युक्त लोन कब तक देगी?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार को पता है कि जी० टी० रोड पर बाई पास बन जाने से जो एरिया टाउन एरिया के सुपुर्द कर दिया गया है उसकी हालत बहुत खराब है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, ऐसी बात इस सदन के माननीय सदस्यों ने कही थी।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी—क्या यह सच है कि टाउन एरिया कमेटी कई दफा इस चीज को लिख चुकी है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद ने सिफारिश की कि टाउन एरिया को शीघ्र लोन दे दिया जाय जिससे यह सड़क बन सके।

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, यह भी बात सच है, लेकिन जितना रुपया चाहिये उतने रुपये का साधन यहां हो जाय तो उनको दे दिया जायगा।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार उस सड़क की ऐसी दशा को जानते हुए शीघ्र ही इस पर विचार करके उनको लोन देने की मेहरबानी करेगी?

श्री कैलाश प्रकाश---सरकार विचार तो कर ही रही है। दिक्कत है रुपये की।

* * * *

अल्मोड़ा जिले में रानीखेत-चिलिया नौला मार्ग का थोड़े समय के लिए बन्द किया जाना

*५९---**श्री हरगोविन्द पन्त** (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को मालूम है कि जिला अल्मोड़ा का रानीखेत-चिलिया नौला सार्वजनिक मार्ग अकस्मात बन्द कर दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं। जिला अल्मोड़े का रानीखेत-चिलिया नौला सार्वजनिक मार्ग बन्द नहीं कर दिया गया है। यह मार्ग दिनांक २४ अगस्त, सन् १९५५ को मिलिटरी इस्टेट आफिसर की आज्ञा से केवल २४ घंटे के लिये कुछ सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से बन्द कर दिया गया था, किन्तु दूसरे ही दिन खोल दिया गया था। इस समय रास्ता पहले की तरह चालू है और जब मिलिटरी के लोग निशानेबाजी करते हैं तो उस वक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है और बीस-बीस मिनट बाद खोल दिया जाता है ताकि जो मोटरें रुकी हों वह जा सकें।

*६०---**श्री हरगोविन्द पन्त**---यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह मार्ग किस की आज्ञा से और किन कारणों से कब तक के लिये बन्द किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---प्रश्न नहीं उठता।

*६१---**श्री हरगोविन्द पन्त**---सरकार जनता के उक्त मार्ग के बन्द हो जाने से जो असुविधा उत्पन्न हो गई है उसे दूर करने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश---चूंकि उक्त मार्ग निशानेबाजी के समय जब कि वह बन्द होता है बीस-बीस मिनट बाद खोल दिया जाता है। अतः इससे जनता को कोई विशेष असुविधा नहीं होती।

श्री हरगोविन्द पन्त---क्या यह सही है कि उस सार्वजनिक मार्ग के आरपार पत्थर की एक पक्की दीवार खड़ी की गई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश---यह सही हो सकता है। इस समय तो इसकी सूचना नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि इस सड़क के २४ घंटे बन्द होने के सिलसिले में सरकार ने डिफेन्स डिपार्टमेंट को कुछ शिकायत लिखी ?

श्री कैलाश प्रकाश---सरकार ने कोई शिकायत यहां डिफेन्स डिपार्टमेंट को नहीं लिखी।

श्री हरगोविन्द पन्त---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सुरक्षा के कारण और दूसरे कारण क्या अब दूर हो गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो जवाब में कह दिया गया कि सिर्फ २४ घंटे के लिए बन्द की गयी थी और अब वह दूर हो गया है इस वजह से सड़क खोल दी जाती है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सड़क, जिस सड़क पर मिलिटरी स्टेट आफिसर ने एक दीवार खड़ी कर दी थी, यह हमारी स्टेट गवर्नमेंट की सड़क है या डिफेंस डिपार्टमेंट वालों की सड़क है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है।

स्थानीय निकायों को जलकल के लिए सहायता

*६२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सही है कि सरकार लोकल बाडीज को कुछ आर्थिक सहायता नये वाटर वर्क्स खोलने के लिये देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक यह सहायता दी जायेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। लोकल बाडीज को शहरों में नये वाटर वर्क्स बनाने के लिये चालू कार्यक्रम में ३,०८,४२,०८३ रु० की आर्थिक सहायता दी जायगी जिसमें से १,६३,८०,९३१ रु० ऋण के रूप में दिया जा चुका है और बाकी धनराशि भी शीघ्र ही दे दी जायगी। इसके अतिरिक्त सरकार कुछ गांवों में भी नलों द्वारा स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था कर रही है जिसके अन्तर्गत १९५५-५६ के अन्त तक १,००० से ऊपर गांवों में २ करोड़ १२ लाख रुपये की कीमत की स्कीमें चालू हो जायंगी।

*६३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार कृपया उन लोकल बाडीज के नाम तथा उन गांवों की सूची जहां यह वाटर वर्क्स खोले जायेंगे सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—लोकल बाडीज के नाम नत्थी 'क' में देखिये। गांवों के नाम जहां नल द्वारा पानी देने का प्रस्ताव है अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किये गये हैं। ये अधिकांश उन गांवों में चालू की जा रही हैं जहां आबपाशी के ट्यूबवेल पहले से चालू हैं। कुछ पहाड़ी इलाकों में भी स्कीमें चालू करने का प्रस्ताव है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५८ पर)

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या यह सत्य है कि इस योजना के अन्तर्गत हमीरपुर में जो वाटरवर्क्स लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बनाया है वह बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—खास हमीरपुर की तो इत्तला नहीं है। लेकिन यह अक्सर होता है कि वाटर वर्क्स बनाया जाता है टेस्ट करने के लिए कि उसमें इतना काफी पानी निकल सकेगा या नहीं जिससे जनता को पानी पहुंचाया जा सके। बाज औकात जब यह मालूम होता है कि इतना पानी काफी वहां नहीं निकला, उस जगह पर, तो उसको बन्द करना पड़ता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी लिस्ट में से बतायेंगे कि चुनार म्युनिसिपैलिटी को कुछ रुपया दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—अगर चुनार का नाम लिखा है तो दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—उनके पास लिस्ट नहीं पहुंची है। इसलिए जानना चाहते हैं।

श्री सैयद अली जहीर—उसमें चुनार का नाम नहीं है।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगरपालिका का भी नाम इस सूची में है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बाद में ले लीजियेगा।

श्री व्रजबिहारी मिश्र—हम लोगों के पास सूची नहीं है, इसलिए प्रश्न करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि एक-एक प्रश्न हर जिले का करें तो ५१ प्रश्न हो जायंगे।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र--तो पढ़ कर सुनवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--(न्याय मंत्री से) तो आप सीधे यह कह दें। आप सूची कृपा कर पढ़ दें।

श्री कैलाश प्रकाश--अयोध्या, बलिया, बरेली, बस्ती, चांदपुर, हमीरपुर, हाथरस, कनखल, पडरौना, पीलीभीत, रामनगर, सीतापुर, आजमगढ़, बुलन्दशहर, चन्दौसी, देवरिया, एटा, फर्रुखाबाद-कम-फतेहगढ़, फतेहपुर, फीरोजाबाद, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, ललितपुर, मैनपुरी, नगीना, नजीबाबाद, प्रतापगढ़, रामपुर, राठ, ऋषिकेश, सहारनपुर और संडीला।

* * * *

इलाहाबाद के आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में पूछताछ

*७२--**श्री कल्याण चन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में १ जनवरी, सन् १९५४ से जुलाई ३०, सन् १९५५ तक कितने आनरेरी मजिस्ट्रेटों ने इस्तीफा दिया, कितनों की नियुक्ति हुई और कितनों का शिकायत पर समय नहीं बढ़ाया गया ?

श्री सैयद अली जहीर--दो ने इस्तीफा दिया, एक की नियुक्ति हुई और दो का समय नहीं बढ़ाया गया।

श्री कल्याण चन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह नियुक्तियां और जिनका समय नहीं बढ़ाया गया यह वहां की कमेटी ने किया या जिलाधीश महोदय ने किया ?

श्री सैयद अली जहीर--वह तो दोनों की सिफारिशें साथ आती हैं।

श्री कल्याण चन्द मोहिले--जिन दो महाशयों का समय नहीं बढ़ाया गया उसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर--सेशन्स जज और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सिफारिश की थी कि इनका समय न बढ़ाया जाय।

श्री राजनारायण--जिन दो सज्जनों ने इस्तीफा दिया है मंत्री जी उनका नाम बतायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--.एक हैं श्री बक मोहन और दूसरे हैं श्री नौनिहाल सिंह।

इलाहाबाद में वापसी चुंगी न हटाना

*७३--**श्री कल्याण चन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में चुंगी वापसी न हटा कर मेरठ की वापसी चुंगी हटा दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं, मेरठ में वापसी चुंगी अभी हटाई नहीं गई है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

* * * *

रुड़की नगरपालिका के नये अध्यक्ष का चुनाव

२--**श्री दीनदयालु शास्त्री**--क्या सरकार बतायेगी कि रुड़की नगरपालिका के चेयरमैन पर अविश्वास का प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ था ?

श्री सैयद अली जहीर--८ जनवरी, सन् १९५५ को।

३--**श्री दीनदयालु शास्त्री**--क्या सरकार यह बतायेगी कि रुड़की नगरपालिका के नये अध्यक्ष का चुनाव कब तक होने जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---नये अध्यक्ष का चुनाव ३० अक्तूबर सन् १९५५ को हो गया।

[मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५ के लिये रखे गये प्रश्न]

नहर गंग, मांट ब्रांच के चौड़ा करने पर व्यय

*१---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि नहर गंग, मांट ब्रांच के चौड़ा करने पर कितना धन व्यय किया जा रहा है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)---गंगा नहर की माट ब्रांच के चौड़ा करने और रिमार्डलिंग में ८·३४ लाख रुपया व्यय किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो चौड़ा करने का खर्चा इसमें दिखाया गया उसमें जो पुल तोड़े जा रहे हैं वह भी शामिल हैं या नहर के चौड़ा किये जाने का है ?

श्री राममूर्ति---पुल जो चौड़े किये जा रहे हैं वह भी शामिल हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस नहर को जब चौड़ा किया जा रहा है तो इसमें पानी बढ़ाने की उन्होंने क्या व्यवस्था सोची है ?

श्री राममूर्ति---जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं गंगा नहर की कैपेसिटी बढ़ायी गई है और उसी अनुपात से इसमें जो पहले साढ़े १६ सौ क्यूजेक्स पानी चलता था अब २ हजार क्यूजेक्स चलेगा उसकी वजह से यह नहर चौड़ी की जा रही है।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मांट ब्रांच को चौड़ा करने से कहां-कहां किस क्षेत्र को कितना-कितना पानी मिलेगा ?

श्री राममूर्ति---माननीय सदस्य के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि उनके क्षेत्र को कुछ पानी बढ़ जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सही है कि मांट ब्रांच का कुछ हिस्सा, उसकी कुछ शाखा, इसमें से खारिज की जा रही है और तब पानी बढ़ाया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति---उस तरीके से भी कुछ पानी बढ़ेगा।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां से नहर मांट ब्रांच और उसकी शाखा खारिज की जा रही है वहां पानी देने की क्या व्यवस्था वह कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---वहां पर नलकूप लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सूचना मंत्री जी बतायेंगे कि इस नहर का दहन बढ़ाने से कानपुर जिले में कुछ अधिक पानी मिल सकेगा ?

श्री राममूर्ति---यह नहर घूम कर कानपुर जा नहीं सकती, नहीं वहां भी पहुंचाया जा सकता।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं, मांट ब्रांच के बजाय, वहां पर आबपाशी की दर नहर के समान होगी या कुछ अन्तर होगा ?

श्री राममूर्ति---उस की दर जो नहर की दरें हैं वही रखी जायंगी।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच में कितने क्यूजेक्स पानी इस वक्त जा रहा है और कितने क्यूजेक्स पानी बढ़ाया जायगा ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, मैंने अभी अर्ज किया कि इसकी कैपेसिटी फिलहाल १,६५० क्यूजेक्स है और २,००० की जायगी।

श्री रामचन्द विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक ट्यूबवेल उस इलाके में न लगा दिये जायं तब तक पानी उस क्षेत्र को मिलता रहेगा या नहीं ?

श्री राममूर्ति---यह सही है कि जब तक ट्यूबवेल नहीं कायम करेंगे तब तक उनको पानी नहर से ही मिलेगा।

नहर मांट ब्रांच, ग्राम दादूपुर खटाना पर पुल निर्माण में सरकारी सहायता

*२---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर मांट ब्रांच पर ग्राम दादूपुर खटाना पर जो नया पुल बनाया गया है उसमें सरकारी सहायता कितनी है और गांव वालों ने कितना धन दिया था ?

श्री राममूर्ति---मांट फीडर के छठे मील पर ग्राम दादूपुर में पुल के निर्माण सिंचाई विभाग ने ८,२५४ रु० व्यय किया तथा गांव वालों ने ६,२३२ रु० दिया था।

*३---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार यह बतायेगी कि यह पुल आज किस दशा में है ?

श्री राममूर्ति---पुल की दशा सन्तोषजनक है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सही है कि दादूपुर ग्राम पर जो पुल बनाया गया वह पटरियों से इतना नीचा है कि बरसात में उस पुल के ऊपर पानी भरा रहता है और नहर का पानी भी रुक कर जाता है ?

श्री राममूर्ति---इस पिछली बरसात में ऐसा हुआ कि पानी ज्यादा बरसने की वजह से जो खटाना का रजबहा था उसमें पानी ऊपर चढ़ गया और इकट्ठा हो गया और मांट ब्रांच में जो पुल है उस पर भी पानी आ गया और कुछ मिट्टी भी कट गई। लेकिन नहर विभाग ने उसी वक्त फिर मिट्टी डलवा दी है और वह ठीक करा दिया है। उम्मीद की जाती है कि आइन्दा कोई खतरा अब नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह पुल जो बनाया गया है उसको ऊंचा उठवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---उसके उठाने की अब जरूरत नहीं है। इतना ठीक उसे कर दिया गया है कि आइन्दा कोई खतरा अब नहीं होगा।

*४-५---श्री रामसुन्दर पांडेय---[३ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर इन्क्रोचमेंट्स के सम्बन्ध में विधेयक लाने का विचार

*६---श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या सरकार को पता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे जगह ब जगह जो encroachments हैं उनको स्थानीय इंजीनियर कानूनी दिक्कतों के कारण जल्दी हटाने में असमर्थ हैं ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---जी हां।

*७---श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या सरकार उक्त कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिये कोई बिल पेश करने वाली है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां। सरकार आशा करती है कि विधान सभा की आगामी बैठक में बिल पेश किया जा सकेगा।

सहारनपुर जिले में लगाये गये नलकूप

*८--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार बतायेगी कि सहारनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में अब तक कितने-कितने नलकूप लगाये गये हैं और उनमें से कितने-कितने चालू हैं एवं कितने-कितने खराब हो गये हैं?

श्री राममूर्ति--सहारनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में चालू एवं अचालित नलकूपों की संख्या इस प्रकार है :--

तहसील	चालू नलकूपों की संख्या	अचालित नलकूपों की संख्या	कुल संख्या
रुड़की	४०	२	४२
सहारनपुर	६	०	६
देवबन्द	२४	०	२४
नकुड़	४०	१	४१
योग ..	११०	३	११३

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अचालित नलकूप किन-किन गांवों में हैं और उनके न चलने के क्या कारण हैं?

श्री राममूर्ति--गांवों की तो मैं नोटिस चाहता हूं, इस वक्त मेरे पास फेहरिस्त नहीं है लेकिन उसकी वजह यह है कि रुड़की का जो नलकूप है उसका पम्प खराब हो गया या अब उसकी मरम्मत कर दी गई है और उम्मीद की जाती है कि अब वह चालू हो जायगा और नकुड़ और रुड़की के जो नलकूप हैं उसके डिस्चार्जेज लिए जा रहे थे, वह अब ठीक हो गये हैं और उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में वह चालू हो जायेंगे।

कानपुर जिले में हरिजन आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने की मांग

*९--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने हरिजन हैं?

श्री सैयद अली जहीर--इस समय १२ आनरेरी मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं उनमें से कोई भी हरिजन नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार निकट भविष्य में हरिजन आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने पर विचार करेगी?

श्री सैयद अली जहीर-- जी हां। जरूर किया जायगा विचार।

श्री मुरलीधर कुरील--उनकी नियुक्त कब तक हो जायगी?

श्री सैयद अली जहीर--जब जगह खाली होगी और सेलेक्शन कमेटी सिफारिश करेगी।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब १२ मैजिस्ट्रेटों का अप्वाइन्टमेंट हुआ था उस वक्त किसी हरिजन ने भी अप्लाई किया था?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, खाली अप्लाई ही नहीं किया था, सन् १९५३ तक दो हरिजन वहां पर आनरेरी मैजिस्ट्रेट थे लेकिन कुछ ऐसी बदकिस्मती हुई कि उन दोनों को अलग करना पड़ा, इस वजह से अब कोई हरिजन बाकी नहीं रहा।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि कानपुर में या प्रान्त के अन्य जिलों में नये आनरेरी मैजिस्ट्रेट मुकर्रर करने के लिए सरकार ने कुछ दरख्वास्तें पिछले महीने में मांगी थीं?

श्री सैयद अली जहीर---दरख्वास्त सरकार नहीं मांगती है। वह तो वहीं जिले में दरख्वास्त जाती है और कमेटी के सामने मामला पेश होता है। फिर वहां से सरकार के पास सिफारिश होती है।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट होने के लिए किस योग्यता के लोग रक्खे जाते हैं?

श्री सैयद अली जहीर---कुछ बहुत ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिये कि हिन्दी में अपनी तजवीज लिख सकें, गवाहों के बयान को समझ सकें, और काम जो अदालत के हों उनको अंजाम दे सकें।

लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कानपुर में गृह निर्माणार्थ ऋण

*१०---**श्री मुरलीधर कुरील**---क्या सरकार बतायेगी कि भारत सरकार की लो इन्कम स्कीम के अन्तर्गत कितना रुपया कानपुर शहर के लिये मकान निजी रहायसी बनाने हेतु, ऋण के रूप में देने को स्वीकार किया गया है?

श्री कैलाश प्रकाश---भारत सरकार की Low Income Group Housing Scheme के अन्तर्गत प्राप्त ऋण में से अभी प्रदेशीय सरकार से कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड ने २५ लाख रुपया लिया है जिसमें से रहायसी मकान बनाने वालों को ऋण भी दिया जायेगा और मकान बनवा कर बेचे भी जायंगे। इसके अतिरिक्त U. P. Co-operative Bank के द्वारा भी ऋण दिया जायेगा जिसकी कोई सीमा नहीं रक्खी गई है। बैंक ने अभी तक इस काम के लिये कोई ऋण नहीं मांगा है।

*११---**श्री मुरलीधर कुरील**---अब तक कितने प्रार्थना-पत्र ऋण देने के लिये सरकार स्वीकार कर चुकी है?

श्री कैलाश प्रकाश---प्रार्थना-पत्र बोर्ड और बैंक ही स्वीकार करेगी। सरकार के पास प्रार्थना-पत्र नहीं आते हैं।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार को ज्ञात है कि सहकारी समितियों की तरफ से यह लोन लेने में बड़ी दिक्कत पड़ती है?

श्री सैयद अली जहीर---कोई दिक्कत तो नहीं है। जो उनके नियम बने हुए हैं उसके हिसाब से जो दरख्वास्तें होंगी उनको लोन दिया जायगा और जो नियम के खिलाफ होती हैं उनमें दिक्कत जरूर पड़ती है।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कोआपरेटिव सोसाइटीज की मार्फत कानपुर में कितना रुपया दिया गया है?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो जवाब में कह दिया गया कि कोआपरेटिव बैंक के जरिये अभी कोई रुपया ऋण का नहीं मांगा गया है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज की मार्फत रुपया इसलिए नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि उसका प्रोसीज्योर बहुत कम्बरसम है?

श्री सैयद अली जहीर---मैं समझता हूं कि इसका जवाब तो माननीय मंत्री, जो कोआपरेटिव सोसाइटीज के इंचार्ज हैं, ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से किस इंटेरेस्ट पर हमारी स्टेट को रुपया दिया जायगा और किस रेट पर यह जनता को दिया जायगा?

श्री सैयद अली जहीर---साढ़े चार है या चार, मुझे इस वक्त मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-- आप सूचना ले सकते हैं।

श्री सैयद अली जहीर---नोटिस मिलने पर उत्तर दे सकूंगा।

गोमती नदी में पटनाघाट पर गाजीपुर-बनारस रोड पर पुल न होने से कष्ट

*१२---श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह गाजीपुर-बनारस पक्की रोड पर गोमती नदी में पटना घाट पर पुल बनाने का इरादा रखती है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं।

श्री यमुना सिंह---क्या यह सही है कि गाजीपुर में पटना घाट पर पुल न होने के कारण जनता को काफी कष्ट हो रहा है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ऐसा तो सम्भव है, लेकिन किसी सड़क पर रजवाड़ी रेलवे स्टेशन से ३०, ४० फुट नीचे एक दूसरा पुल दिये जाने का निश्चय है, वह मोहना घाट का पुल बनाये जाने की योजना है।

बांदा जिले में प्रयोगात्मक नलकूप निर्माणार्थ केन्द्रीय सरकार की योजना

*१३---श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में जो सरकार द्वारा नल कूपों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने की योजना थी वह कहां-कहां प्रारम्भ की गई?

श्री राममूर्ति---बांदा जिले में अभी नल कूपों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार की प्रयोगात्मक नलकूपों की योजना के अन्तर्गत इस जिले में ३ नलकूप बनाने का प्रस्ताव है। इन नलकूपों के निर्माण स्थान अभी नियत नहीं किये गये हैं।

*१४---श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री---क्या सरकार बांदा जिले की नरेनी तहसील के कालिंजर क्षेत्र में जहां कि नहर से सिंचाई का कोई जरिया नहीं है वहां नल कूप बनाने का प्रबन्ध करेगी?

श्री राममूर्ति---इस क्षेत्र में भूमि पथरीली तथा कटी-फटी है और वहां थोड़ी-थोड़ी दूर पर नाले हैं। अतः वह क्षेत्र नलकूप बनाने के लिये उपयुक्त नहीं है।

श्री श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री---क्या इन प्रयोगात्मक नलकूपों के निर्माण की कोई अवधि है और उस अवधि के अन्तर्गत इनके निर्माण की कोई सम्भावना है?

श्री राममूर्ति---केन्द्रीय सरकार ने कोई अवधि इसकी रखी नहीं है।

श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि उस क्षेत्र में उपयुक्त स्थान हो तो वहां इस प्रयोगात्मक नलकूप का निर्माण करने के हेतु विचार करेंगी?

श्री राममूर्ति---अगर कोई उपयुक्त स्थान हो तो भी उसमें एक दिक्कत यह हो जायगी कि वहां पर बिजली के साधन नहीं हैं। जब रिहंद डैम की बिजली आने लगेगी उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है।

मिर्जापुर नगरपालिका को फिल्टर के लिए दिया गया धन

*१५---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर नगरपालिका को सरकार द्वारा २।। लाख रुपया फिल्टर के काम के लिये जो दिया गया है, उसका उपयोग नगरपालिका नहीं कर रही है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री कैलाश प्रकाश––जी हां, ३,००,००० रूपये का कर्ज जो नगरपालिका मिर्जापुर को फिल्टर के काम के लिये दिया गया था वह धन लौटाने के लिये आज्ञा भेजी गयी है क्योंकि नगरपालिका उन नियमों पर लेने को तैयार नहीं है जिन पर दूसरे नगरपालिकाओं को कर्ज दिया जा रहा है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र––क्या माननीय मंत्री जी उन नियमों को बताने की कृपा करेंगे जिनके अनुसार कर्ज दिया जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर––उसमें विशेष नियम यह होता है कि कर्ज अदा करने के लिये उन बोर्डों से कहा जाता है कि ये अपने यहां हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लगायें और जो बोर्ड इसके लिये तैयार होता है उसको दिया जाता है और जो तैयार नहीं होता है उसको नहीं दिया जाता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र––क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां के नगर निवासियों को गन्दा और मटमैला पानी फिल्टर न होने की वजह से पीने को मिलता है ?

श्री सैयद अली जहीर––जी हां। इसलिये वहां पर फिल्टर के लिये कर्जा दिया गया था लेकिन जाहिर है कि हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया से कर्जा मिलता है और वही हम नगरपालिका को देते हैं। तो जब तक उसकी वापसी का कोई इन्तजाम न हो उस वक्त तक हम कर्जा नहीं दे सकते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब से यह कर्जा वहां के म्युनिसिपल बोर्ड को दिया गया है और यह रुपया उनके पर्सनल एकाउन्ट में पड़ा हुआ है या हमारी ट्रेजरी में है ?

श्री कैलाश प्रकाश––एक लाख रुपया सन् ५२–५३ में दिया गया और २ लाख रुपया सन् ५४–५५ में दिया गया ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के पर्सनल एकाउन्ट में है या हमारी ट्रेजरी में है और बोर्ड के पास अभी पहुंचा या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश––यह रुपया है किस जगह यह सूचना तो इस वक्त नहीं है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। लेकिन इतना रुपया उनको सेंक्शन हो चुका है जिसके लिये उन्हें आदेश दिया गया है कि वह उसको वापस करें।

श्री व्रजभूषण मिश्र––सरकार वहां के निवासियों को शुद्ध और स्वास्थ्यकर जल देने के लिये अब क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश––नगरपालिका भी उनकी एक चुनी हुई संस्था है जिसका यह उत्तरदायित्व है। सरकार उनको कर्जा देने को तैयार है। वह कर्जा वापस करने की स्थिति में हो तो सरकार रुपया देगी ।

जिला जज अलीगढ़ की अदालत में चुंगी के चुनाव सम्बन्धी इलेक्शन पिटीशन

*१६––**श्री श्रीनिवास** (जिला अलीगढ़)––क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला जज अलीगढ़ के न्यायालय में चुंगी के चुनाव सम्बन्धी कुल कितने इलेक्शन पिटीशन १९५४ के चुनावों के बाद दायर हुये। उनमें से कितनों में निर्णय हो चुका है और अभी कितनों में निर्णय होना शेष है ?

श्री सैयद अली जहीर––१९५३ के चुनाव के बाद ६ इलेक्शन पिटीशन जिला जज अलीगढ़ के न्यायालय में निर्णय के लिए भेजे गये थे इन सब में निर्णय हो चुका है ।

*१७–१८––**श्री रामदुलारे मिश्र**––[२३ नवम्बर, १९५५ को प्रश्न ८४–८५ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

नोट––तारांकित प्रश्न १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

कोंच नगरपालिका के इक्जीक्यूटिव अफसर की मुअत्तली

*१९--श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका कोंच के मुस्तकिल Executive Officer करीब डेढ़ वर्ष से श्री अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मुअत्तिल है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां। वह ७ मई सन् १९५४ से मुअत्तिल थे।

*२०--**श्री चित्तरसिंह निरंजन**--क्या सरकार ने उक्त सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय, जालौन से जांच करा कर रिपोर्ट तलब की है ? यदि हां, तो सरकार उक्त विषय पर कब तक फैसला देगी ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां। सरकार ने उक्त इक्जीक्यूटिव आफीसर को बहाल करने की आज्ञा दे दी थी तथा उन्होंने २४ सितम्बर, १९५५ से अपने पद का कार्य भार भी ग्रहण कर लिया था। परन्तु कार्यवाहक अध्यक्ष ने २९ सितम्बर, १९५५ को उनके पास उन्हें फिर मुअत्तिल करने की आज्ञा भेजी है।

एटा नगरपालिका को क्वार्टर बनाने के लिए अनुदान

*२१--**श्री चिरंजीलाल जाटव** (जिला एटा)--क्या स्वयत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा नगरपालिका को सन् १९५४-५५ में क्वार्टर बनाने के लिये कितना रुपया सरकार द्वारा दिया गया और कितने क्वार्टर बने ?

श्री सैयद अली जहीर--इस सरकार ने १०,००० रू० का ऋण तथा ५,००० रु० का अनुदान मेहतरों के क्वार्टर बनाने के हेतु एटा नगरपालिका को सन् १९५४-५५ में दिया है। यह क्वार्टर ३१ मार्च सन् १९५६ तक बनने हैं। इस कार्य के हेतु बोर्ड ने टेन्डर मांगे हैं और आशा है कि यह क्वार्टर दिये गए समय के अन्दर ही बन कर तैयार हो जायेंगे।

१९५३-५४ में प्रयाग में हुए कुम्भ मेले का हिसाब-किताब

*२२--**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**--क्या सन् १९५३-५४ में प्रयाग (इलाहाबाद) में जो कुम्भ का मेला हुआ था उसके हिसाब-किताब की कैश बुक्स सही तरीकों से लिखी गई ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां।

*२३--**श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी**--क्या इस मेले के हिसाब-किताब का सरकारी आडिट हो चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में कार्य

*२४--**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई विभाग द्वारा जिला बलिया में चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन कार्य हो चुका है और क्या शेष है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में सितम्बर, १९५५ के अन्त तक ४२ नलकूप बन चुके हैं और ५९ अभी बनना शेष हैं। दोहरी घाट पम्प नहर योजना पर भी काम जारी है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिले में निर्मित नलकूप

*२५--**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)--क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत गोंडा जिले की बलरामपुर तथा उतरौला तहसीलों में कितने नल कूप लगवाने की योजना है तथा आज तक कुल कितने नलकूप लगाये जा चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले की उतरौला तहसील में १३ नलकूप लगाने की योजना है परन्तु इस जिले की बलरामपुर तहसील के लिये ऐसी कोई योजना नहीं है । अभी तक कोई भी नलकूप तैयार नहीं हुये हैं ।

*२६--**श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल**--क्या सिचाई मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जिन क्षेत्रों में बलरामपुर राज्य द्वारा पम्पिग प्लान्ट लगा कर सिंचाई की जाती थी, अब उनको हटा लेने के बाद वहां पर सिंचाई की क्या सुविधा सरकार देने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इन क्षेत्रों की सिंचाई के लिये, जिनमें पहले बलरामपुर राज्य द्वारा पम्पिग प्लांट द्वारा सिंचाई की जाती थी, १६ नलकूप लगाने की योजना तैयार की जा रही है ।

बलरामपुर शहर में न्यायालय खोलने की मांग

*२७--**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले के बलरामपुर नगर में बलरामपुर तहसील के मुकद्दमों को देखने के लिये जुडीशियल मैजिस्ट्रेट तथा मुंसिफ का कोर्ट खुलने वाला है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं । मुकदमा देखने के लिये अदालतें नहीं खोली जातीं ।

कुशीनगर से निकलने वाली देवरिया-कसया सड़क में लगी जमीन का मुआवजा

*२८--**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया के अन्तर्गत कुशी नगर में बुद्ध भगवान के स्तूप से जो सड़क निकाल कर देवरिया कसया सड़क मिलाई गई है उसमें निकले हुये खेतों का मुआवजा किसान को नहीं दिया गया है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--जी नहीं ।

*२९--**श्री रामसुभग वर्मा**--यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जमींदारी विनाश बिल के लागू हो जाने के कारण जो मुआवजे की तालिका बनाई गई थी, उनमें हेर-फेर करना पड़ा । अब नये नियमों के अनुसार मुआवजे की रकम निश्चित कर दी गई है और उसकी अदायगी के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

देवरिया जिले में पंचायत निरीक्षक की नियुक्ति

*३०--**श्री रामेश्वरलाल**--क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला में कितने पंचायत राज इन्सपेक्टर एवं सेक्रेटरियों की जगहें रिक्त हैं और क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--देवरिया जिले में पंचायत मंत्री का कोई पद रिक्त नहीं है । केवल एक पंचायत निरीक्षक की नियुक्ति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर कर दी गई है और उसके काम का बटवारा कर दिया गया है ।

खीरी जिले में पचपेड़ी घाट पर नावों का पुल बनवाने का विचार

*३१--**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)--क्या सरकार का विचार जिला खीरी में पचपेड़ी तथा ऐरा घाट पर पेन्टून पुल बनवाने का है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--पचपेड़ी घाट पर नावों का पुल बनवाने का प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन है । इस समय ऐरा घाट पर किसी प्रकार का पुल बनवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गोंडा जिलान्तर्गत तरबगंज तहसील में नलकूप लगाने की योजना

*३२--श्री रघुराजसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला गोंडा, तहसील तरबगंज में कुल कितने नलकूप लगाने की योजना सरकार ने स्वीकार की है ? उसमें से कितने लग चुके हैं तथा कितने चालू वित्तीय वर्ष में लग जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला गोंडा, तहसील तरबगंज में २२ नलकूप लगाने की योजना है। अभी तक ३ पर बोरिंग आरम्भ हुआ है और आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में सब नलकूप बन जाएंगे ।

*३३--श्री रघुराजसिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त नलकूप किन-किन स्थानों पर लगेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त २२ नलकूपों के स्थान अभी निश्चित नहीं हुये हैं, परन्तु यह नलकूप निम्नलिखित परगनों में लगाए जाएंगे--

परगना नबावगंज	..	..	१३
परगना महादेव	..	..	३
परगना डिक्सर	..	..	६
कुल		..	२२

*३४--श्री रघुराज सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कुल नलकूपों के लग जाने से कुल कितने खेतों की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त नलकूपों के लग जाने से अनुमानतः २२,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

बस्ती जिले में नलकूपों का धंस जाना

*३५--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)--क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में वह कौन स्थान है जहां "ट्यूबवेल" के दो नये कुयें धंस गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बस्ती जिले में निम्नलिखित ग्रामों में दो नलकूप कुछ टेढ़े हो गये थे परन्तु इस कारण सिंचाई को कोई बाधा नहीं पहुंची ।

(१) विशनाथपुर,
(२) बनकटिया ।

*३६--श्री प्रभुदयाल--[२० दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

बिलसडां टाउन एरिया अस्पताल में दवा की कमी की शिकायत

*३७--श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार बतायेगी कि बिलसडां टाउन एरिया में जो अस्पताल है वह दवाओं से शून्य है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं।

*३८--श्री हरिप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिलसडां अस्पताल में कितने रुपये की दवा दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर--साल में १,५०० रुपये की दवा दी जाती है ।

गाजीपुर जिले में गंगा जी पर ताड़ीघाट और सैदपुर में पुल बनवाने की आवश्यकता

*३९--**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में गंगाजी पर ताड़ीघाट और सैदपुर घाट इन स्थानों पर पुल बनाने का उसका विचार है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आकार संकुचित हो जाने के कारण दूसरे आवश्यक कार्यों के मुकाबले में इसको प्राथमिकता नहीं मिली।

*४०--**श्री तुलाराम** (जिला इटावा)--[२० दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

सीतापुर, बिसवां, खैराबाद नगरपालिकाओं को सड़कें बनवाने के लिए अनुदान

*४१--**श्री बशीर अहमद हकीम** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिका, सीतापुर, बिसवां, खैराबाद, जिला सीतापुर को १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में सड़कों के लिये कितना रुपया सहायता अथवा कर्ज के रूप में दिया गया है ?

श्री सैयदअली जहीर--उक्त नगरपालिकाओं को पिछले दो वर्षों में तथा इस वर्ष दिये गये अनुदानों का ब्योरा इस प्रकार है--

वर्ष	सीतापुर	बिस्वां	खैराबाद
१९५३-५४	६०,०००	..	..
१९५४-५५	४६,०००	९,१००	१४,५००
१९५५-५६	५३,७००	८,६००	२०,०००

*४२--**श्री बशीर अहमद हकीम**--उपर्युक्त नगरपालिकाओं को जो रुपया जिस कार्य के लिये प्राप्त हुआ है वह कार्य पूरा कर लिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--उपर्युक्त अनुदानों को व्यय करने की निश्चित तिथि ३१-३-१९५६ तक है, अतः कार्य का अभी पूरे हो जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बिसवां नगरपालिका की वाटर वर्क्स के लिए मांग

*४३--**श्री बशीर अहमद हकीम**--क्या बिसवां नगरपालिका ने वाटरवर्क्स के लिये सरकार से मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या विचार किया ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, विसवां नगरपालिका ने लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट इंजीनियरिंग विभाग से विसवां वाटर सप्लाई के detailed project बनाने की प्रार्थना की थी। इसके उत्तर में बोर्ड से कहा गया था कि वह project बनाने का फीस तुरन्त ही जमा कर दे। परन्तु बोर्ड ने अभी तक यह फीस नहीं जमा की है और इसलिये विसवां वाटर सप्लाई का Detailed project अभी तक न बन सका। नगरपालिका को सरकार ने भी हाल में यह आदेश दिया है कि वह Chief Engineer की फीस फौरन जमा कर दे जिससे कि Detailed project शीघ्र बन सके।

उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित सिंचाई की दरों में परिवर्तन

*४४--**श्री श्रीचन्द्र**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के गजट ३१ मार्च, १९५३ में जो सिंचाई की दरें छपी हैं उन दरों में कब, कहां-कहां और किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उत्तर प्रदेश गजट दिनांक ३१ मार्च, १९५३ में छपी हुई सिंचाई की दरों में जो परिवर्तन अब तक हुये हैं उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १५९-१६० पर)

रामपुर-लालकुआं रेलवे लाइन की कथित स्वीकृति

*४५---**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर-लालकुआं रेलवे लाइन बनाना स्वीकार कर लेने की सूचना सरकार को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं।

गाजीपुर जिलान्तर्गत, सोनवरसा निवासियों का मगई नदी की बाढ़ को रोकने के लिए प्रार्थना-पत्र

*४६---**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद तहसील के सोनवरसा ग्राम को मगई नदी के बाढ़ से खतरे से बचाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आया है ? यदि हां, तो वह प्रार्थना-पत्र किस तिथि को पड़ा था और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, मई, १९५५ में सोनवरसा गांव के निवासियों की ओर से एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उक्त गांव के समीप मंगई नदी के घुमाओं को सीधा करने की प्रार्थना की गई थी। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त योजना कार्यान्वित करने योग्य नहीं है।

*४७---**श्री शिवपूजन राय**---क्या सरकार को पता है कि उक्त ग्राम की प्रार्थना में सूचित योजना ग्रामवासी स्वयं श्रमदान से करने के लिये तैयार हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सोनवरसा गांव के समीप मगई नदी के घुमाओं को सीधा करने से यह नदी किसी दूसर स्थान पर उतनी ही हानि करेगी जितनी यह अपने वर्तमान रास्ते से कर रही है। अतः श्रमदान द्वारा इस काम को करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ शहर को बाढ़ से बचाने के लिए निर्मित बांध को क्षति

*४८---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ शहर के बचाने के लिये अभी जून सन् १९५५ में जिस नये बन्ध का निर्माण हुआ था, क्या वह जुलाई की बाढ़ से ध्वस्त हो गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह बांध इलाहाबाद-गोरखपुर सड़क को बचाने के उद्देश्य से बनवाया जा रहा था। जुलाई की बाढ़ से उसको थोड़ी क्षति पहुंची। कुछ मिट्टी किनारे से कट कर कहीं-कहीं बह गई। इस क्षति का अनुमानित मूल्य लगभग १,००० रु० हैं।

*४९---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---यह बांध १९३८ की बाढ़ की सतह के बराबर बनाया जा रहा था। परन्तु इस वर्ष की बाढ़ १९३८ की बाढ़ से २ फिट ४ इंच ऊंची थी। जिससे बांध पानी में डूब गया।

*५०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बंध के निर्माण में कितना रुपया व्यय हुआ था ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—बाढ़ के पहले लगभग ६,००० रुपया व्यय हो चुका था।

लखनऊ में नवाब सआदत अली खां के मकबरे से गुजरने वाले मार्ग का बन्द होना

*५१—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ में स्थित ऐतिहासिक स्थान नवाब सआदत अली खां के मक़बरे के फाटक में हो कर आम रास्ता था उसे अनधिकृत तरीके से बन्द कर दिया गया है ?

श्री सैयदअली जहीर—सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत आई है, जिसकी जांच की जा रही है।

*५२—श्री तेजप्रताप सिंह—यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाह करने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले में डट घाट पर नौका दुर्घटना

*५३—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ४ अगस्त सन् १९५५ को डट घाट, जिला गोरखपुर में एक नाव डूब गयी, जिसमें १३ मुसाफिर डूब कर मर गये ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*५४—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बनायगी कि इस दुर्घटना की सूचना जिला अधिकारियों को कब मिली तथा उन्होंने उस पर क्या और कब कार्यवाही की ?

श्री सैयद अली जहीर—दुर्घटना की सूचना तहसीलदार सदर को लेखपाल द्वारा ५ अगस्त, १९५५ को मिली। सूचना प्राप्त होते ही उसी दिन जांच कराई गई और मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुफ्त अनाज तथा प्रति परिवार बीस रुपये की सहायता प्रदान की गई ?

डुमरियागंज तहसील में बूढ़ी राप्ती के मुहचुखा घाट पर पुल बनवाने का विचार

*५५—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर राप्ती तहसील डुमरियागंज में नदी बूढ़ी राप्ती, घाट मुहचुखा पर जो नैपाली सरहद से आने का प्रसिद्ध मार्ग है कोई पक्का पुल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पुल बांधने पर विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

*५६—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि बुद्धकालीन अनेक प्रसिद्ध स्थान "बुद्धि" ग्राम बुड्ढी आदि को इसी मार्ग से जाना पड़ता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—एक कच्चा मार्ग ग्राम मैलौहा से खानकोट, सोननगर होता हुआ बुड्ढी ग्राम को जाता है।

*५७-५८—श्री चिरंजीलाल जाटव—[९ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ३८-३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५९-६१—श्री देवकीनन्दन विभव—[१२ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ५४-५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अलीगढ़ नगरपालिका को विकास कार्यों के लिए अनुदान

*६२—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ नगरपालिका को development कार्य करने को इस वर्ष कितना रुपया दिया है और उसे वह किस काम में खर्च करेगी ?

श्री सैयदअली जहीर—इस वर्ष अलीगढ़ नगरपालिका को १,३०,२०० रु० का अनुदान सड़कों के निर्माण लिये दिया गया है।

*६३—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ नगरपालिका जब से सुपरसीड हुई है तब से क्या-क्या महत्व के development कार्य हुये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसे कार्यों की सूची सदन के मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १६१ पर)

देवरिया जिलान्तर्गत रानीबाजार सम्बन्धी रिट् पेटीशन का हाईकोर्ट में खारिज होना

*६४—श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भाटपार रानी बाज़ार, थाना खामपार, जिला देवरिया में जो बाज़ार का मुकदमा सरकार तथा सोहावल स्टेट के दर्मियान हाईकोर्ट में चल रहा था उसका फैसला कब हुआ ?

श्री सैयदअली जहीर—ग्राम भाटपार में स्थित रानीबाजार पर उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन ऐण्ड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट, १९५० की धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (*a*) से (*c*) तक लागू नहीं होते हैं। उक्त बाजार सरकारी नोटीफिकेशन नं० 6443/I-A-1224 (6)-52, दिनांक 30 नवम्बर, 1953 में दिये गये आदेशों के अनुसार ग्राम समाज के अधिकार में दे दिया गया। चूंकि बाजार से सम्बन्धित एक रिट् पिटीशन (writ petition) High Court में दी गई थी जिस पर कि न्यायालय ने एक injunction order भी जारी किया था, इसलिये बाजार की व्यवस्था ग्राम समाज न ले सका। उच्च न्यायालय में दी गई रिट् पिटीशन 17 नवम्बर, 1954 को खारिज हो गई।

*६५—श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैसला होने के बाद से अब तक उस पर ग्राम समाज का अधिकार क्यों नहीं हुआ और उसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री सैयदअली जहीर—रिट् पिटीशन पर High Court ने अपना निर्णय 17 नवम्बर, 1954 को दे दिया था लेकिन जिलाधीश को निर्णय की सूचना स्टैंडिग कौंसल (Standing Counsel) के दफ्तर द्वारा 12 जुलाई, 1955 को दी गई। स्टैंडिग कौंसल (Standing Counsel) के दफ्तर द्वारा निर्णय की सूचना देर से देने पर उक्त बाजार शीघ्र ग्राम समाज के अधिकार में न दिया जा सका।

*६६--श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाजार पर गांव समाज का अधिकार कब तक हो जायेगा ?

श्री सैयदअली जहीर--बाजार पर अधिकार लिया जा चुका है और उसका प्रबन्ध ग्राम समाज को २६ अगस्त, १९५५ को दे दिया गया है और उसी दिन से कर बराबर लिया जा रहा है।

गोंडा जिले में मजगवां और बघेलखंड बांध में लगी भूमि के मुआवजे में किसानों को नये पट्टे

*६७--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गोंडा के मजगवां और बघेलखंड के बंधा निर्माण के सम्बन्ध में कितने किसानों की कितनी कृषि भूमि निकली और उसके बदले में उनको कितनी भूमि पटटे पर दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला गोंडा के मजगवां और बघेलखंड बांध के निर्माण के सम्बन्ध में ७५ किसानों की ४०४.२० एकड़ कृषि भूमि ली गई है। इन बाधों के कमांड के अन्दर १९२ एकड़ भूमि अभी तक उन किसानों को अस्थायी रूप से पट्टे पर दी जी चुकी है। इसके अतिरिक्त उन किसानों को वन विभाग की ५२.९२ एकड़ भूमि स्थायी रूप से पट्टे पर दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

बदायूं जिले में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर टयूबवेल को प्रार्थना-पत्र

*६८--श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर टूयूबवेल के पास कितने प्रार्थना-पत्र स्टेट टूयूबवेल के कमान्डेड एरिया से कुछ भाग निकाल देने के प्राप्त हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--टूयूबवेल डिवीजन बदायूं के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास इस आशय के १० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

*६९--श्री शिवराज सिंह यादव--क्या यह सही है कि उन सब भू-भागों में, जिनको स्टेट टूयूबवेल कमान्ड से निकालने की प्रार्थना की गई है पिछले कई वर्षों से सम्बन्धित स्टेट टूयूबवेल के डिस्चार्ज गिर जाने से पानी नहीं पहुंचता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उपरोक्त दस प्रार्थना-पत्रों में से सात ऐसे क्षेत्रों से सम्बन्धित थे जिनमें राजकीय नलकूप से पानी नहीं पहुंच सकता था, अतः उन्हें कमांड से निकाल दिया गया है।

सहारनपुर जिले में यमुना से निकाली गई नाली बन्द करने से पेय जल का कष्ट

*७०--श्री महमूद अली खां (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि यह बात सही है कि जमुना से परगना फैजाबाद, जिला सहारनपुर में एक नाली निकाली गई थी जिससे ग्राम जानीपुर, रेहबा वगैरा कई देहात में पीने का पानी जाता था ? क्या अब वह नाली बन्द कर दी गई है और देहात वालों को बहुत परेशानी हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, यह ठीक है कि परगना फैजाबाद, जिला सहारनपुर के ग्रामीणों ने जानीपुर, रेहबा इत्यादि गावों के लिये पीने तथा घरेलू कामों के लिये पानी के हेतु एक छोटी नाली यमुना नदी के खारा नाली के तह में खोदी थी। यह नाली ग्रामतौर पर खुली रहती है, परन्तु अधिक बाढ़ के समय, फैजाबाद बांध की सुरक्षा तथा उसके नीचे बहुमूल्य भूमि को बाढ़ के पानी भर जाने से बचाने के हेतु कुछ समय के लिये उसको बन्द करना आवश्यक हो जाता है।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के रिसर्च डाइरेक्टर का कार्य

*७१—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के रिसर्च डाइरेक्टर का कार्य क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सिंचाई विभाग के रिसर्च डाइरेक्टर पर इंस्टीटयूट में होने वाले सभी कार्यों की निगरानी का पूरा भार है। इस संस्था में होने वाले कार्य की एक सूची मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १६२–१६३ पर)

*७२—श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपूर)—[२७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।)

मेरठ-बागपत सड़क पर हिण्डन नदी पर पुल-निर्माण

*७३—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सड़क मेरठ-बागपात पर हिन्डन नदी पर दूसरा पुल बनाया जा रहा है । यदि हां, तो उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और उस पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। हिन्डन नदी पर पहले पुल की दशा बहुत खराब हो गई थी और बाढ़ के समय यह रुक नहीं सकता था। इस पर ५.५ लाख रुपये का अनुमानित व्यय होगा।

*७४—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार बतायेगी कि इसी स्थान पर प्रथम पुल कब बना और उस पर क्या व्यय हुआ था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरठ-बागपत सड़क पर हिन्डन नदी पर प्रथम पुल मेरठ जिला बोर्ड ने १९३५ में निर्माण कराया था। इस पर १,०४,०५० रुपये जिला बोर्ड ने व्यय किया था।

आजमगढ़ नगर का लालडिग्गी बांध टूटने के सम्बन्ध में जांच-रिपोर्ट

*७५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगर का लालडिग्गी बांध क्यों कर टूटा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—बांध के टूटने के कारणों की जांच करने के लिये सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है तथा विचार हो जाने पर बांध के टूटने के कारण जाने जा सकते हैं।

अतारांकित प्रश्न

बलिया जिले में टोंस की बाढ़ से रसड़ा-कसिमाबाद सड़क के क्षति-ग्रस्त भाग की मरम्मत के लिए प्रार्थना

१—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् १९५३ की टोंस की बाढ़ से जिला बलिया के अन्तर्गत रसड़ा-कसिमाबाद सड़क पर बरु बांध पुल के पास सड़क जो बह गई थी और सिंचाई विभाग द्वारा ठीक करा दी गई थी वह पुनः १९५५ की बाढ़ से बह गई ? यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री कृपया इसको पुनः और अच्छे रूप से ठीक कराने की कृपा करेगें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, जिला बलिया के अन्तर्गत रसड़ा कसिमाबाद सड़क पर बरु बांध पुल के पास उक्त सड़क १९५३--की टोंस की बाढ़ से बह गई थी। वह नलकूपों के निर्माण-कार्य की सुविधा के लिये सिंचाई विभाग द्वारा ठीक की गई थी। वह सड़क उसी स्थान पर १९५५ की बाढ़ में पुनः कट गई है। यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बलिया की है अतः इसको बनाने के लिये सिंचाई विभाग में कोई व्यवस्था नहीं है।

आजमगढ़ जिले के थाना पवई के थानेदार द्वारा लाठी-भालों से लैस गुंडों के साथ सोशलिस्ट पार्टी के जुलूस पर आक्रमण के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी आपके पास सूचना आ गयी हो तो आप कृपा करके दे दें।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, सूचना मेरे पास आ गयी है और वह इस प्रकार है कि वहां कोई दो व्यक्ति हैं। एक का नाम है गंगादीन और दूसरे का नाम है भगवानदीन। इन दोनों में आपस में अनबन है। भगवानदीन की पार्टी के कोई सज्जन थे उदयराज उनके ऊपर १४ अक्तूबर को गंगादीन की पार्टी के लोगों ने हमला किया और इस सिलसिले में गंगादीन और उसके लड़के गिरफ्तार हुये। इत्तफाक की बात है कि गंगादीन जो वहां के नेता हैं, डाक्टर केदारनाथ की भी उनसे रिश्तेदारी है। इस संबंध में डाक्टर केदारनाथ से और स्टेशन आफिसर से बातचीत हुई। बहरहाल उसका कोई नतीजा नहीं निकला और उन लोगों का चालान हुआ। यह भूमिका है और पृष्ठ भूमि है जिसको सामने रखना होगा।

तारीख २७ को डाक्टर केदारनाथ की तरफ से इस मीटिंग का प्रबंध किया गया था जो वहां होने वाली थी, जिसमें राजनारायण जी शरीक होने वाले थे। इस सिलसिले में एक जुलूस भी आयोजित किया गया था। जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उनका यह आग्रह था कि थाने के सामने की जो जमीन है और जो थाने की जमीन है और उसके प्रेमिसेज में है उसमें से ले जायंगें। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि आप जुलूस ले जाइये लेकिन इस जमीन के अंदर से नहीं ले जाने देंगे। यह बात बिलकुल सही है कि जो दूसरी पार्टी थी उसके लोग वहां जमा थे और वे यह चाहते थे कि झगड़ा किसी किस्म का हो, क्योंकि वे डाक्टर केदारनाथ को भी गंगादीन की पार्टी का समझते थे और इस बात का ख्याल था कि अगर दोनों दल करीब आयेंगे तो झगड़ा होगा। इसलिये दोनों दलों को अलग-अलग रखने की कोशिश की गई। पुलिस ने हमला किया है इस बात से उनको पूरे तौर से इन्कार है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहना है कि उन्होंने जांच की तो मालूम हुआ कि पुलिस ने हमला नहीं किया और न किसी आदमी के घायल होने या चोट लगने की रिपोर्ट मौजूद है और न किसी आदमी ने शिकायत ही की है कि हमारे ऊपर हमला हुआ या चोट लगी है। मेरे पास यह सूचना आई है।

श्री अध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी बतलायें कि किस तरह से यह विषय ऐसा है जिससे सरकार से यह संबधित है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन, सारे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम रखना सरकार का फर्ज है। २७ नवम्बर, ५५ को जो पवई थाने के पास प्रदर्शन और जुलूस का आयोजन था, वह किसी व्यक्ति की ओर से नहीं था, बल्कि वह सोशलिस्ट पार्टी की ओर से

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

था और जो इस संबंध में नोटिस बंटे, वे हमारे पास मौजूद हैं और मैं जलूस में भी जाने वाला था और उसमें चंन्द्रिका सिंह करुणेश और शमसी मीनाई भी आने वाले थे। मेरे जाते समय माननीय मुख्य मंत्री जी मिल गये थे और जिस ट्रेन से वह गये थे उसी से मैं भी जा रहा था और माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने कहा भी था कि कल हमारे यहां प्रोग्राम है वहां जाऊंगा इसके दो तीन दिन बाद बनारस जाऊंगा। ९ बजे के करीब मैं पहुंच गया। जहां मैं ठहरा था वहां से और थाने से श्रीमन्, १०० गज की दूरी थी और थानेदार को पता था, क्योंकि सिपाही तीन चार बार आया और बोलता कुछ नहीं था, चला जाता था। इसके बाद आजमगढ़ के सोशलिस्ट नेता श्री पदमाकरलाल वकील और त्रिलोकीनाथ वकील और नेतागण आये फिर श्रीमन्, हम लोग गांव में एक आदमी के यहां खाना खाने गये। वहां भी थाने का सिपाही ३-४ बार आया। श्रीमन् इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री रामसुन्दर जी मौजूद हैं। जब रामसुन्दर जी यादव को घटना का पता लगा और पूछताछ की तो पता लगा कि दारोगा की तरफ से कहा गया था कि कुछ गुंडे वहां भेजे जांय। ताकि जो जलूस निकलेगा उसको किसी प्रकार तितर बितर किया जाय। वह सदन के सम्मानित सदस्य हैं और उन्होंने मुझे यह बताया।

श्री अध्यक्ष--मैं यह पूछ रहा हूं कि इस बीच में गवर्नमेन्ट कहां आ रही है।

श्री राजनारायण--मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि एक घटना घट चुकी है और यह नोटिस हैं। यह नोटिस एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नालेज में था और जितने समाचार-पत्र हैं उनके द्वारा यह सरकार के नालेज में भी है कि हमारा वहां प्रदर्शन होगा। हम लोग वहां जा रहे हैं। ऐसी हालत में अगर कहा जाय कि सरकार का इससे संबंध नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि जिला अधिकारी किसी भी घटना के बारे में कुछ भी कर लें उससे सरकार का कोई संबंध नहीं माना जायगा। मैं समझता हूं कि ला ऐन्ड आर्डर मेंटेन करने की सरकार की पहली जिम्मेदारी है और वह भंग हो रही है। और श्रीमन, मैं आपकी सेवा में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह घटनायें बढ़ रही हैं। तीन बजे हमारा जुलूस निकलता है। वह थाने से १५० गज की दूरी पर से निकलता है। करीब १०० गज की दूरी पर मैं लघुशंका के लिये बैठ जाता हूं और उसी समय शोर होने पर देखता हूं कि १००, १५० आदमी लाठी-भाला ले कर हल्ला बोलते हैं। खड़ा हो कर देखता हूं कि उनमें दो सिपाही जिनमें एक के हाथ में लाठी है और दूसरे के हाथ में भाला है जो हमारे डाक्टर केदारनाथ जी और दूसरे वालंटियरों को पकड़े हुए हैं, दूसरों को उन्होंने धक्का दिया। एक दो के हाथ से उन्होंने झन्डा और डंडा भी छीन लिया। मैं वहां पहुंचता हूं और अपने पूरे जोर से और पूरी आवाज से उनके हाथ पकड़ कर उनसे कहता हूं कि तुम सिपाही हो, सरकारी कर्मचारी हो। क्या तुम इन गुन्डों को लेकर जलूस को भंग करना चाहते हो? वह कुछ घबरा जाते हैं। मैंने उन से पूछा कि तुम्हारे दरोगा साहब कहां हैं? मेरा नाम राज नारायण है, मैं बनारस का रहने वाला हूं और असेम्बली का मेम्बर हूं। अपने दरोगा साहब से कह दो कि मैं यहां हूं ....

श्री अध्यक्ष--आपकी स्थानीय लोगों से जो बातें हुई वह ....

श्री राजनारायण--मैं वही कह रहा हूं श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी को सेवा में पूरा ब्योरा लिख कर भेज दिया। उनको मैंने पूरी घटना से अवगत कराया और मने यह भी लिखा कि इस पर पूरी कार्यवाह' होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। केवल एक कार्यवाही हुई जिससे मालूम पड़ता है कि सरकार इन्फार्मेशन रिसीव करने का एक स्टेशन है। उसने वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजि-

स्ट्रेट के पास उसको भेज दिया कि आप इस बारे में कुछ सूचना दीजिये । मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से यह समझ कर निवेदन किया था कि यह २७ तारीख की घटना है ५ तारीख को असेम्बली चालू हुई और आज ७ तारीख है । आज तक १० दिन हो चुके हैं और आज तक सरकार ने उस अधिकारी को, जिसने गुन्डों को बुलाकर जुलूस को भंग करने का प्रयत्न किया, कोई दंड नहीं दिया । वहां के दारोगा को सरकार क दंड देना चाहिये था, उसको मुअत्तल होना चाहिये था .....।

श्री अध्यक्ष—आप इस विषय पर जा रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिये था। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि जो मामला है उसमें सरकार से क्या संबंध रहा यह आप बताइये । आप तो जो आप पर ज्यादती हुई उसको बयान कर रहे हैं । मैं नहीं चाहता कि सभी बातें आप अभी कहें ।

श्री राजनारायण—जब मैंने उस घटना का पूरा ब्योरा, डिटेल में सरकार के पास भेज दिया तो सरकार का फर्ज था कि उस बारे में वह पूरी जांच कराती और वह उपयुक्त आदमी के द्वारा जांच करा सकती थी । आज विभिन्न जिलों से इसी प्रकार की शिकायतें आ रही हैं । जिला अधिकारी ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे सरकार को सचेत होना चाहिये । आज सरकार का केवल यह फर्ज नहीं है कि वह सिर्फ लिख दे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टु रिपोर्ट । इस डेमोक्रेटिक सरकार का फर्ज है कि .. ..

श्री अध्यक्ष—आपतो उपदेश देने लगे । मैं पूछता था कि सरकार का इससे क्या संबंध है ।

श्री राजनारायण—मैंने जो लिख कर दिया उसके बारे में उसने कोई कार्यवाही नहीं की । सरकार को जो स्टेप लेना चाहिये था वह उसने नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष—मैंने श्री राजनारायण जी को इसलिये थोड़ा सा मौका दिया कि वह प्रत्यक्ष रूप से घटनास्थल पर मौजूद थे। तो जो घटना हुयी उसकी मालूमात उनसे हो जाय और मैं निर्णय कर सकूं कि यह स्थानीय शासन का प्रश्न है अथवा सरकार का भी इसमें कुछ हाथ है । तो पुझे माननीय सदस्य और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना हासिल को उसको सुनने के बाद यह मालूम होता है कि सरकार का उससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । इससे स्थानीय शासन का केवल सम्बन्ध है । सरकार का सम्बन्ध जितना आता है वह इतना आता है कि माननीय सदस्य ने सूचना सरकार को दे दी और अब सरकार ने उसकी जानकारी हासिल करने के लिये कदम उठा लिया । ऐसी हालत में सरकार के कदम उठा लेने के बाद माननीय सदस्य यह समझें कि अगर उन्होंने सरकार को इत्तिला दे दी और सरकार को इत्तिला हो गयी और उसने कदम उठाया तो उससे इस हाउस में कामरोको प्रस्ताव लाकर बहस हो सकती है यह बात नहीं हो सकती है । अगर सरकार इन्कार करती कि वह जांच नहीं करेगी तो इसमें महत्व कुछ हो सकता था, लेकिन जांच के बीच जब कि सरकार के पास पूरी खबर नहीं आती हो और उस विषय में बहस शुरू हो जाय तो यह बात कुछ उचित सी समझ में नहीं आती। इसके अलावा जो कार्यवाही है सरकार उसको कर रही है। सरकार का जो कर्तव्य जानकारी हासिल करने का और निर्णय करने का है वह कर रही है, इसलिये सदन में इस विषय पर बहस के लिये, चूंकि इसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से सरकार की कार्यवाही से नहीं है । मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

तराई क्षेत्र में गन्ने के दाम कम किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी जी का है जिसमें वह कहते हैं कि यह सदन राज्य सरकार द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन के उपरान्त भी खुश क्यों

[श्री अध्यक्ष]

बोर्ड से सलाह न लिये जाने के कारण नैनीताल तथा देहरादून जिलों के तराई क्षेत्र में दो आने मन की कटौती होने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता हूं ।

इसके लिये तो मैंने कल कह दिया था कि जब तक पूरी जानकारी न हो जाय तब तक इसको आप वापस ले लें। पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद इसको लिया जायगा।

पडरौना और कठकुइयां चीनी मिलों में पेराई आरम्भ न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री जगन्नाथ मल्ल का है जिसमें वह कहते हैं कि "देवरिया जिले के पडरौना और कठकुइयां चीनी मिलों के ऊपर लाखों रुपया सरकारी कर वर्षों से बकाया रहते हुये अनावश्यक रूप से उक्त मिलों को नीलाम करने में सरकार द्वारा विलम्ब करने से इस वर्ष इन मिलों की पेराई अभी नहीं शुरू हुयी है। परिणामस्वरूप ४० हजार के लगभग ईख उत्पादकों को अभी महीनों अपना गन्ना खड़ा रखकर क्षति उठानी पड़ेगी, लगभग ढाई हजार मजदूर बेकार बैठे हैं, उनकी लाखों रुपये मजदूरी के बकाया पड़े हैं। आगे की रोजी खतरे में है, लगभग एक लाख मन चीनी उत्पादन को क्षति पहुंचेगी ऐसी विषम परिस्थिति पर विवाद करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है।" मैं संबंधित मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस बात को जिम्मेदारी लेते हैं कि कठकुइयां आदि चीनी मिलों पर जो लाखों रुपया बकाया है उसका कारण यह है कि सरकार ने उक्त मिलों को नीलाम करने में विलम्ब किया है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जहां तक इन मिलों के नीलाम होने का विषय है, सरकार उसकी जिम्मेदारी को नहीं लेती है कि सरकार के कारण नीलाम होने में बिलम्ब हुआ।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि नीलाम करने का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से था या प्रान्तीय सरकार से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नीलाम के विषय से जरूर प्रान्तीय सरकार का सम्बन्ध है, इस माने में कि प्रदेशीय सरकार का भी कुछ रुपया इन मिलों पर बाकी था, कुछ केन्द्रीय सरकार का था, कुछ गन्ना उत्पादकों का तथा कुछ मजदूरों का भी रुपया मिलों पर बाकी था। इस प्रकार का जो रुपया मिलें अदा नहीं करतीं वह कानूनी ढंग से प्रदेशीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। इस प्रकार से कुछ थोड़ा सा सम्बन्ध प्रदेशीय सरकार का रुपया वसूल करने के बारे में हो सकता है और चूंकि केन्द्रीय सरकार के भी ड्यूज हैं इसलिये उससे भी इसका सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष—क्या नीलाम कराने का काम प्रान्तीय सरकार का है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रकार का जो रुपया बाकी रह जाता है वह प्रान्तीय सरकार लैन्ड रेवेन्यू की तरह से वसूल करती है।

श्री अध्यक्ष—तब तो मैं इसको वैध करार देता हूं। जो इस कामरोको प्रस्ताव को अनुमति देने के पक्ष में हैं वे कृपा कर अपने स्थान पर खड़े हों।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं श्रीमन् से रिक्वेस्ट करता हूं कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी को उसके महत्व पर प्रकाश डालने का मौका दिया जाय ताकि वह हाउस से कह सकें कि हाउस उनका साथ दे।

श्री अध्यक्ष—जगन्नाथ मल्ल जी जब खड़े हों तब न ठीक है। जब मैंने इसको वैध करार दे दिया है तो अब आप सदन से उसकी इजाजत भी मांग सकते हैं।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, लाखों रुपया कई सालों से सरकार का कठकुइयां और पडरौना मिलों पर बाकी था, मजदूरों की मजदूरी और किसानों के गन्ने के दाम भी बाकी थे। इस बात को सरकार बहुत दिनों से जानती थी तथा सदन में भी इसकी काफी चर्चा हुयी है। जब कभी मैं इसके बारे में चर्चा किया करता था तो कभी-कभी बहुत से माननीय सदस्य कह दिया करते थे कि मैं पडरौना और कठकुइयां की ही चर्चा किया करता हूं, लेकिन श्रीमन्, आज उसकी अहमियत सब लोगों के सामने है। सरकार का यह फर्ज था कि जब उसके ड्यूज इतने दिनों से बाकी थे तो उनकी नीलामी की कार्यवाही सरकार अप्रैल या मई में करती ताकि इस वक्त वे मिलें चलने के काबिल हो जातीं। सरकार ने २० नवम्बर को नीलाम कराया। फिर २९-३० दिनों के बाद उसका कनफरमेशन होता है। हालत यह है कि मिलों में ताला पड़ा हुआ है। मजदूर गेट पर जाते हैं और हाजिरी देकर वापिस लौट आते ह। पैसा उनको मिलेगा या नहीं इसका कोई पता नहीं है। दूसरी ओर किसानों की हालत यह है....

श्री अध्यक्ष—आप तो बता रहे हैं कि क्या हालत वहां हो रही है, आप बिलम्ब की जिम्मदारी बताइये। इस समय यही विषय आपके सामने है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—बराबर ध्यान दिलाये जाने पर भी सरकार ने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया, नतीजा यह हो रहा है कि वहां पर मजदूरों को परेशानी हो रही है। इस प्रकार से मजदूरों और किसानों को भी परेशानी हो रही है। उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर ही है। तमाम खेतों में गन्ना सूख रहा है, सब मिलें बंद पड़ी हुयी हैं और अभी चलने की कोई उम्मीद नहीं है और यह परिस्थिति सरकार के कारण ही उत्पन्न हुयी है। इसलिये इसके समर्थन में माननीय मंत्री जी को भी खड़ा होना चाहिये क्योंकि उन्होंने गलती की है। जब गलती उन्होंने मंजूर की है तो फिर खड़ा होकर उनको सदन को मौका देना चाहिये कि सदन इस विषय पर वाद-विवाद कर सके।

श्री अध्यक्ष—यह बात गलत है कि उन्होंने यह कबूल किया है कि उसमें उनकी गलती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जी उन्होंने कबूल किया है कि बिलम्ब हुआ है।

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठ जांय, माननीय मंत्री जी बता दें कि क्या वह इसका विरोध करते हैं।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। यह बात कि इन मिलों के नीलाम करने में सरकार ने देरी की, सत्यता से परे है। इन मिलों के पास सरकार का, केन्द्रीय सरकार का, उत्पादकों और मजदूरों का बहुत सा रुपया बाकी था और इसी कारण से सरकार चाहती थी कि यह मिलें आफ सीजन में नीलाम की जायं और सरकार ने मई से ही कोशिश की कि ये मिलें नीलाम पर चढ़ा दी जायं और नीलाम की कार्यवाही चालू की गयी, लेकिन इसी बीच जिन व्यक्तियों के पास इन मिलों का फिजिकल पजेशन था वे मर गये और उनके मरने के बाद जो कानूनी कार्यवाही करनी थी और चूंकि उनके जो वारिश थे उनको शामिल करके कार्यवाही शुरू होनी थी, इसीलिये उस कार्यवाही को चलाने के लिये कानूनी ढंग बरता गया और इस तरह से जिस समय जल्द से जल्द यह मिल नीलाम हो सकती थीं उस समय नीलाम की गयीं। इसलिये यह कहना कि सरकार ने ऐसे कोई भूल की या बिलम्ब किया यह सही नहीं है और यह भी सही नहीं है कि मिलों में ताला लगा है वह नीलाम पर चढ़ा दी गयी थीं और उनको एक ऐसे उद्योगपति ने जिसने इस देश के कुछ बड़े-बड़े उद्योगों को खरीदा है, उसने बोली के द्वारा उनको खरीदा है, उसने अपने विशेषज्ञों को और वहां मिल चलाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

वालों को भेज दिया है, और आशा है कि उन में से एक मिल तो अभी ६-७ दिन में चल जायगी और दूसरी मिल जो पडरौना की है उसमें सफाई चूंकि नहीं हुयी थी, इसलिये उसकी सफाई के बाद चलने में दस पांच दिन लगेंगे और आशा है कि वह भी दिसम्बर के आखिर सप्ताह तक चल जायगी। गन्ने के सूखने या उत्पादकों को हानि होने की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उन को क्रय किया है वह साधन सम्पन्न है और उसके पास अच्छे विशेषज्ञ हैं जो यहां और बिहार में कई स्थानों पर उसकी मिलें चला रहे हैं और आशा है कि वह अब उत्तम ढंग से इन मिलों को चला सकेंगे।

श्री अध्यक्ष —आप कुछ आगे बढ़ गये, यहां केवल विलम्ब का प्रश्न था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विलम्ब के विषय में तो मैंने जो परिस्थिति थी वह अभी बता दी।

श्री जगन्नाथ मल्ल —अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कह दूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी गलतबयानी की है।

श्री अध्यक्ष —अब मैं बहस की इजाजत नहीं दूंगा, मैंने दोनों ओर की बातें सुन लीं।

श्री राजनारायण—श्रीमन् कृपा करके उनके समर्थन में बोलने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष—अब मैं बहस का मौका इसमें नहीं दे सकता। जो लोग इसके पक्ष में हैं कि कामरोको प्रस्ताव पर बहस की अनुमति दी जाय वे कृपा करके अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(केवल १९ सदस्य खड़े हुये।)

श्री अध्यक्ष —संख्या १९ है और वह कम से कम ३६ होनी चाहिये, इसलिये सदन की अनुमति नहीं है कि इस पर बहस हो, यही सदन का निर्णय है।

जौनपुर में हाकिम परगना के तबादले पर अत्याचार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष —दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है। वह इस प्रकार है "गत ३ दिसम्बर, सन् ५५ को जौनपुर रेलवे स्टेशन पर १२ बजे दिन श्री एस०पी० पांडेय, हाकिम परगना जौनपुर के तबादला पर जाते समय कुछ लोगों ने उन के जालिमाना हरकतों के विरुद्ध प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर श्री प्रयागनारायण, जूडिशियल मेजिस्ट्रेट अन्य सरकारी कर्मचारियों को साथ लेकर टूट पड़े, उन्हें मारा और उनके हाथ से झंडा छीन लिया। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री हरप्रसाद सिंह को गिरफ्तार भी किया गया। जौनपुर के स्थानीय कर्मचारियों ने जिस निरंकुश तथा बरबर ढंग पर जनतंत्र तथा नागरिक अधिकारों का हनन किया है और कर रहे हैं, जिसने विषम परिस्थिति पैदा कर दी है। अतः इस विषम परिस्थिति से उत्पन्न आवश्यक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये यह सदन अपना कार्य स्थगन करता है।"

इस प्रस्ताव में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इससे सरकार से सम्बन्ध है या उसमें इसमें कोई हस्तक्षेप किया हो या इसमें कोई कार्य किया हो या न किया हो। इसलिये स्थानीय शासन से सम्बन्ध रखनेवाली यह चीज है मैं इसको अवैध करार देता हूं।

"नेशनल हेराल्ड" में प्रकाशित मुख्य मंत्री के एक वक्तव्य के अंश पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला नारस)—श्रीमन्, जो कल कामरोको प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुआ था उस सम्बन्ध में चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या कहा उसकी एक रिपोर्ट नेशनल

हेराल्ड में प्रकाशित हुयी है । वह यह है और अगर श्रीमन्, इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं ।

"The Chief Minister denied the charge and order under section 144 app-ed equally to everybody within the Jaunpur Municipality," he said and added that the Socialist Party was permitted to use loud speaker on November 29, 1955 and "how could they make use of that when nobody urned up at the meeting," he said.

श्रीमन् यह जो रिपोर्ट निकली है मुझे नहीं मालूम कि मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही है लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि २९ तारीख को लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं मिली थी बल्कि उस दिन तो मीटिंग हुयी और उसमें २ हजार आदमी वहां थे ।

श्री अध्यक्ष---आप खुद थे वहां ।

श्री राजनारायण---जी मैं खुद वहां बोला ।

श्री अध्यक्ष---मुझे तो यह याद नहीं पड़ रही है कि उन्होंने इसी बात को कहा था, नहीं कहा, लेकिन आपको अभी पता लग जायगा ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि २५ तारीख को इजाजत दी गयी थी लाउड स्पीकर लगा कर मीटिंग करने की, लेकिन वहां कोई नहीं आया इसलिये मीटिंग नहीं हुयी । २९ तारीख के लिये तो मैंने यह कहा था कि वे हनुमानघाट पर मीटिंग करना चाहते थे और के उसके लिये लाउड स्पीकर की इजाजत चाहते थे और उसके लिये इजाजत नहीं दी गयी थी । मालूम होता है कि अखबार में २५ के बजाय २९ छप गया है ।

श्री राजनारायण---मुझे श्रीमन्, एक निवेदन करना है कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी के कहने का मतलब यह है कि २५ तारीख को सोशलिस्ट पार्टी ने इजाजत मांगी थी तो यह बिलकुल असत्य है ।

श्री अध्यक्ष---अभी उसका सवाल नहीं है । जो सवाल है यह है कि नेशनल हैराल्ड में २९ तारीख छप गया कि उस तारीख को मीटिंग नहीं हुयी ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसको साफ कर दूं कि २५ तारीख को कोई सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग नहीं हुयी इसलिये कि पब्लिक नहीं आयी । इसलिये सोशलिस्ट पार्टी ....

श्री अध्यक्ष---आपने जो प्रश्न उठाया उसका जवाब हो गया । इसमें नेशनल हैराल्ड की गलती हुयी यह स्पष्ट है । मैं समझता हूं कि नेशनल हैराल्ड के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं वे जो गलती हुयी है उसको देख लेंगे जिसमें कि वह सही कर दी जाय क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने वह स्टेटमेंट २९ तारीख के बारे में नहीं दिया था ।

श्री राजनारायण---एक तरह की जानकारी मैं श्रीमन् चाहूंगा कि यह एक अहम प्रश्न है टैक्नीकिलटीज की बात नहीं है । इन्हीं सवालों को लेकर कल वहां पर जौनपुर में प्राविंशियल सोशलिस्ट पार्टी की एक्जीक्यूटिव की मीटिंग हुयी थी । हमको आज तक की खबर है कि वहां लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं दे रहे हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ।

श्री अध्यक्ष---सरकार से आप नीति पूछना चाहते हैं तो सदन में नहीं पूछ सकते । आप इंतिजामी नीति के बारे में पूछना चाहते हैं तो उनके कमरे में और उनके आफिस में जाकर या सरकार को लिखकर पूछ सकते हैं ।

श्री राजनारायण---मैं एक शिकायत उनसे करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन शिकायतों का इस समय यह स्थान नहीं है ।

"असत्य" शब्द के प्रयोग पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ऐसा अवसर हो सकता है कि सदन में किसी भी माननीय सदस्य के मुंह से कोई बात निकल जाय कि किसी दूसरे माननीय सदस्य की राय बिलकुल यथार्थ न हो, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि जहां-जहां भी इस प्रकार की संस्था है वहां ऐसा कहना कि यह बिलकुल फाल्स है, अनट्रू है या 'दिस इज ए लाई' ऐसी बात कहना गलत समझा जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस बात की व्यवस्था दें। बात असत्य है, क्योंकि मैं समझता हूं 'दिस इज ए लाई" इसका अनुवाद हिन्दी में किया जाय--मैं किसी खास घटना के बारे में नहीं कह रहा हूं। यह तो बोलने का अपना-अपना ढंग है, तो यह निकलेगा कि यह झूठ है। तो क्या इस तरह की भाषा पार्लियामेंटरी होगी ?

श्री अध्यक्ष---इस विषय में मैं समझता हूं कि पहले भी रूलिंग हो चुकी है क्योंकि मैंने कई दफा यह बात कही थी कि किसी को "लाई" कर रहे हैं यह कहना मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गैरवाजिब चीज है क्योंकि उससे यह मालूम होता है कि वह जानबूझ कर झूठ बोल रहा है, लेकिन यह कहना कि फलां वाकया सत्य नहीं है और उसका यह अर्थ निकलता हो "कांटेक्स्ट" में कि जो फैक्ट्स बयान किये जा रहे हैं वे फैक्ट्स सही नहीं है तो ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि असत्य शब्द पार्लियामेंटरी होग। तो यह "असत्य" शब्द के प्रयोग पर है कि किस जगह पर उसका प्रयोग किया गया है। अगर यह कहा जाय कि आप असत्य कह रहे हैं तो अनुचित होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति जो कह रहा है वह झूठ बोल रहा है, लेकिन यह कहना कि यह बात असत्य है उसका अर्थ यह होता है कि जो फैक्ट्स बतलाते जा रहे हैं वे वाकयात के अनुसार नहीं हैं और उसमें जान बूझकर झूठ बोला जा रहा है ऐसा कोई आक्षेप नहीं होता। किसी माननीय सदस्य के लिये यह कहना कि वह झूठ बोल रहा है और इस दृष्टि से भाषण सदन में हो और यह अर्थ भी वाक्यों से निकलता हो तो यह चीज अनुचित होगी और उसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा लेकिन अगर उसका यह अर्थ निकलता है कि ये वाकयात जो हैं वे सत्य नहीं हैं, सही नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा वाक्य पार्लियामेंटरी होगा।

श्री राजनारायण---एक निवेदन इस सम्बन्ध में और करना चाहता था सप्रेशन आफ ट्रुथ के सम्बन्ध में जो व्यवस्था आपने अभी दी है उससे मैं कतई सहमत हूं.....

श्री अध्यक्ष---अगर आप यह कहते हैं कि वह सप्रेशन आफ ट्रुथ है तब तो मैं उसे अनुचित नहीं कहूंगा लेकिन अगर आप कहेंगे कि माननीय मंत्री जी सप्रेस कर रहे हैं ट्रुथ को तो मैं एतराज करूंगा।

श्री राजनारायण---मैं आपकी व्यवस्था से सहमत हूं और जहां तक मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री मेरे "ट्रुथ" शब्द पर नहीं कह रहे थे और अपनी ट्रेजरी बैंचेज के लोगों को समझाने के लिये ऐसा कह रहे थे।

श्री अध्यक्ष---अब आप कृपा करके बैठ जाइये। उस पर अब बहस नहीं होगी।

†उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय। अब जो जमाना आ रहा है उसमें इसलिये कि हमारे राज्य के रहने वालों की आमदनी बढ़े और बेरोजगारी दूर हो और उद्योग धंधों का बन्दोबस्त करने की जरूरत है। इसलिये सरकार ने यह सोचा कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज या उद्योग धंधे हैं जो इस वक्त तक राज्य में नहीं हैं वे यहां खुलें या वे उद्योग धंधे जो यहां मौजूद हैं उनमें से कोई ऐसे हैं जिनसे जरूरत के मुताबिक चीजें न

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†१९ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

बनती हों या पैदावार न होती हो उसको बढ़ाया जाय तो उसको सरकार की तरफ से किसी किस्म का कन्सेशन मिलना चाहिये। और उस कन्सेशन की शक्ल इस बिल में यह रक्खी गयी है कि सरकार उसकी सब बातों पर विचार करके या तो मुनासिब समझेगी तो विक्री-कर जो उस पर लगता है कानून की रू से उस से उसको एग्जेम्ट कर देगी या यह कि जो विक्री-कर लगता है उसकी शरह को घटा देगी, ताकि इससे इस स्टेट का फायदा हो। और यह बात इस बिल को जो मकसद लिखे गये हैं उनमें भी साफ तौर पर लिख दी गयी है। तो इस बिल का मतलब और इसकी जरूरत सिर्फ इतनी है। इसलिये मुझको जहां तक मैं समझता हूं और कुछ इसके मुताल्लिक बतलाने की जरूरत नहीं है और यह एक छोटी सी और इस राज्य के बहुत बड़े फायदे की बात है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जनाब के जरिये से कि यह सदन इस बिल के ऊपर विचार करे।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४ एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट ४५ दिन के अन्दर दे दे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मेरा एक संशोधन में संशोधन है। माननीय मलखान सिंह जी ने जहां "१९५४" "कहा है वहां" १९५५" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---बिल में भी १९५४ लिखा हुआ है।

श्री राजनारायण---हम को जो हिन्दी का मिला है इसमें १९५५ लिखा हुआ है। और माननीय मलखान सिंह ने संशोधन प्रस्तुत किया है १९५४ के लिये।

(कुछ रुक कर)

तो मेरा संशोधन मान्य हो गया।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उनके संशोधन में ही अन्तर कर देते हैं।

(श्री मलखान सिंह से) १९५५ आप स्वीकार करते हैं?

श्री मलखान सिंह---जी हां।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मुझे दुख है कि मैं माननीय वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। प्रस्तुत विधेयक की मंशा यह है कि यू० पी० सेल्स-टैक्स की धारा की ४ के आगे एक नयी धारा ४ (अ) और जोड़ दी जाय, ताकि राज्य सरकार को इस बात की शक्ति प्राप्त हो सके कि कोई भी ऐसे नये उद्योग धंधे के द्वारा...

श्री अध्यक्ष---संशोधन के भी आप खिलाफ हैं?

***श्री नारायणदत्त तिवारी**---उसका मतलब अपने आप यह हो जाता है कि संशोधन का विरोध हो जाता है, जब कि मूलतः मैं विधेयक का ही विरोध कर रहा हूं।

तो सरकार को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है कि कुछ खास उद्योग धंधों के द्वारा उत्पादित जो सामान हैं उनमें सेल्स-टैक्स की धाराओं को या तो कम किया जा सके या पूर्ण मुक्ति दी जा सके और उसमें एक अवधि भी निर्धारित है--- कम से कम तीन साल और अधिक से अधिक पांच साल तक इस प्रकार की माफी हो सकेगी।

पहली बात तो इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एग्जेम्शन का सारा मामला कि किस सामान का एग्जेम्शन होना काहिये या नहीं होना चाहिये, यह विशेष यू० पी० सेल्स-टैक्स कमेटी के विचाराधीन है। श्रीमन्, आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पूर्व सरकार ने यू० पी० में सेल्स-टैक्स के संगठन, विधान, नियम, ऐक्ट की एग्जेम्शन लिस्ट, सभी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के बारे में विचार करने के लिये एक यू० पी० कमेटी बनायी जिसका मुझे भी सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त है, उसकी तीसरी टर्म्स आफ रेफरेंस यह है कि यू० पी० सेल्स-टैक्स की जो ऐग्जेम्शन लिस्ट है उस पर विचार करना। यह टर्म्स आफ रिफ्रेरेंस है। उस यू० पी० सेल्स-टैक्स कमेटी की दो सब-कमेटियां बन चुकी हैं और उन दोनों सब कमेटियों ने शायद अपनी रिपोर्ट भी, अगर ग़लत नहीं कहता हूं और कोई विशेष बात नहीं कह रहा हूं, तो दे भी दी है और उस पर विचार होने जा रहा है। तो जब इस सम्बन्ध में—सारे विधेयक के सम्बन्ध में— ऐग्जेम्शन की लिस्ट के सम्बन्ध में, जब इस सदन के माननीय सदस्य भी इसमें हैं, और माननीय वित्त मंत्री जी भी उसमें हैं, सरकारी प्रतिनिधि हैं और व्यापारीवर्ग के प्रतिनिधि हैं, हम लोग भी उसमें हैं, तो फिर जब एक विषय विचाराधीन है, एक सिलेक्ट कमेटी है, जैसे मलखान सिंह ने कहा, वह केवल सदन की ही नहीं, बल्कि और भी उसमें प्रतिनिधि हैं, उसके विचाराधीन है और उसकी रिपोर्ट एक महीने या दो महीने के अन्दर जनता के सामने प्रकाशित होने वाली है और उन्हीं सुझावों के आधार पर हमें यू० पी० सेल्स-टैक्स को बदलना होगा, केवल एग्जेम्शन का ही मामला नहीं, बल्कि और मामलों में भी। तो जब एक मामला विचाराधीन है तो मैं नहीं समझता कि सरकार उसी विषय पर, जब सरकार ने एक कमेटी को प्रस्तुत किया है, कि वह अपनी रिपोर्ट दे, इस विचाराधीन समय में ही एक विधेयक लाये, यह ठीक नहीं है, यह सरकार की शान के खिलाफ है। सरकार एक तरफ तो स्वयं अपनी कमेटी के सामने विचार प्रस्तुत करे और दूसरी ओर उसी विचाराधीन समय के अन्दर यहां सदन में प्रस्तुत करे, यह सरकार की शान के खिलाफ है, कमेटी के खिलाफ है और इस विषय में बहुत अन्याय है ही, क्योंकि इसी विषय पर कमेटी को राय देनी है।

दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीज़न्स में लिखा हुआ है कि "such a provision is necessary to"

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपके पास हिन्दी की प्रति भी होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, चेष्टा करने के बाद भी मुझे मिली नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं हिन्दी की प्रति बंट जाय तो ठीक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अथवा जिसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है, तैयार करने के लिये चालू किये गये नये उद्योगों को बिक्री-कर अदा करने के सम्बन्ध में रियायतें देने के निमित्त राज्य सरकार को अधिकार देने के लिये ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है।"

"राष्ट्रीय महत्व का ऐसा माल" का अर्थ यह है राष्ट्रीय महत्व के जो उद्योग होंगे उसके सम्बन्ध में सरकार ऐसा निश्चय करने जा रही है। अब इस सम्बन्ध में श्रीमन् आपको मालूम होगा कि एक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन केन्द्र में बैठा था और उसके वाल्यूम तीसरे में सेल्स-टैक्स के सम्बन्ध में सिफ़ारिश केवल राज्य सरकारों के ही लिये नहीं, बल्कि केन्द्रीय सरकार के लिये भी हैं और केन्द्रीय सरकार अभी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन पर विचार कर रही है और शायद राज्य सरकार भी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन पर विचार कर रही है। तो अभी यह स्पष्ट नहीं, अभी केन्द्र ने स्वयं स्पष्ट नहीं किया है कि सेल्स-टैक्स के बारे में जो राष्ट्रीय उद्योग धंधे होंगे उनकी नीति क्या होगी। हमें केन्द्र की नियत मालूम नहीं है कि किस उद्योग धंधों में, कैसे सामान पर एग्जेम्शन देना है, किस पर नहीं देना है। यह हो सकता है कि केन्द्र की नीति इस सम्बन्ध में दूसरी हो और हमारी प्रदेशीय सरकार की नीति दूसरी हो। मैं सोचता था कि शायद माननीय मंत्री जी अपने भाषण में इस सम्बन्ध में कुछ हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे कि केन्द्र की इस में क्या नीति रही है, या केन्द्र ने इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार से पत्र-व्यवहार किया है या नहीं। तो जब तक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सेल्स-टैक्स में ऐक्जेम्पशन सम्बन्धी सिफारिशों पर केन्द्रीय

सरकार अपने विचार राज्य सरकार को व्यक्त नहीं करा देती तब तक इस प्रकार का फसला लेना मैं समझता हूं बुनियादी नीति के विरुद्ध होगा। क्योंकि आप जानते हैं श्रीमन्, इन्टर स्टेट ट्रेड के मामले सेल्स-टैक्स के सम्बन्ध में कितने पेचीदे हैं, इसके मामले कई बार सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। दिल्ली में जब मामला चला, यहां की राज्य सरकार ने दिल्ली के व्यापारियों से सेल्स-टैक्स वसूल करने की चेष्टा की तो दिल्ली में बवंडर मचा और दिल्ली राज्य सरकार ने भी शायद यहां की सरकार को लिखा। तो जब हम नेशनल इम्पांर्टेंस की इंडस्ट्रीज पर सेल्स-टैक्स के ऐग्जेम्शन की बात करते हैं तो "हमको दूसरी राज्य-सरकारों की नीति और केन्द्रीय सरकार की नीति पर अवश्य ध्यान देना होगा। हमें समाचार-पत्रों द्वारा मालूम हुआ था कि सेल्स-टैक्स के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कोई कानून पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने जा रही है। यह मालूम नहीं कि उस विधेयक में जो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाने को है, सेल्स-टैक्स के बारे में केन्द्रीय सरकार क्या मांग रखेगी, केन्द्रीय सरकार की क्या नीति होगी, तो इस पर भी हमको विचार करना होगा।

तीसरी बात यह है कि यू० पी० विक्री-कर ऐक्ट जो है उसके उद्देश्य और कारण में साफ लिखा हुआ है--जैसी कि उसकी वर्तमान शब्दावली है--यह केवल शब्दावली का ही फेर माननीय मन्त्री जी इसको मानते हैं। जहां तक वास्तविकता है मेरे विचार से राज्य सरकार को ऐसी शक्ति है और राज्य सरकार ने उसका प्रयोग किया है। यह केवल शब्दावली का फेर है और राज्य सरकार को तो इस प्रकार की शक्ति निहित है। जहां तक मैं इस पुराने अधिनियम को समझा हूं मैं आपके सामने इसकी दो एक धारायें पढ़ना चाहता हूं जिसके अनुसार राज्य सरकार को वह शक्ति मिली हुई है। जैसे पहले धारा ३ देखें। यू० पी० सेल्स-टैक्स ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा (१) में एक प्रविजो है, वह अंग्रेजी में ही है, आप की आज्ञा से मैं उसे पढ़ना चाहता हूं --

"Provided, secondly, that the State Government may by notification in the official Gazette, reduce the rate of tax on the turnover in respect of any goods or class of goods and thereupon the tax shall be payable on such turnover at the reduced rate :"

इस प्राविजों के अनुसार राज्य सरकार को गजट में नोटिफिकेशन निकाल कर किसी भी श्रेणी के सामान टर्नओवर के मामले में टैक्स की दर को घटाने का अधिकार प्राप्त है। फिर धारा ४ देखें आप। धारा ४ की उपधारा (१) (ए) इस प्रकार है --

"4. (1) No tax shall be payable on—
(*a*) the sale of water, salt, food-grains, milk, gur, books, magazines, newspapers and motor spirit as defined in the United Provinces Sales of Motor Sprit Taxation Act, 1939 and any other goods which the State Government may, by notifications in the official Gazette, exempt from time to time."

इसका मैं हिन्दी में अनुवाद कर दूं कि कोई भी टैक्स देना लाजिमी नहीं होगा, पानी की बिक्री पर, नमक पर, अन्न पर, दूध पर, गुड़ पर, किताबों पर, मैगजीन्स पर, अखबारों पर और मोटर स्पिरिट पर जैसी कि उसकी परिभाषा यू० पी० सेल्स आफ मोटर स्पिरट टैक्सेशन ऐक्ट १९३९ में दी है, और किसी भी ऐसे सामान पर जिसे राज्य सरकार आफिश्यल गजट में नोटिफिकेशन निकाल कर समय-समय पर मुक्ति या माफी प्रदान कर दे। तो इतने विस्तृत अधिकार हैं। लेकिन राज्य सरकार कहती है कि शब्दावली में कुछ फेर है। हां, इतना फेर अवश्य है कि न्यू इंडस्ट्रीज का नाम नहीं है लेकिन जिस प्रकार की शब्दावली इसमें प्रयोग की गई है उसमें राज्य सरकार को यह शक्ति मिली हुई है। तो इसलिये भी मैं समझता हूं कि अगर यह मान भी लिया जाय कि सरकार के पास शक्ति होनी चाहिये तब भी सरकार के पास शक्ति पुराने अधिनियम के अनुसार मौजूद है। सरकार अगर चाहे तो उसको प्रयुक्त

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कर सकती है। चौथा एतराज जो मुझे इस सम्बन्ध में है वह यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किन वस्तुओं के उत्पादन के हेतु इस विधेयक को ला रही है? वह कौन सी नई इंडस्ट्रीज हैं, वह कौन सा नया सामान ऐसा है, जिसका उत्पादन इसलिये कम हो रहा है कि सेल्स टैक्स उस पर लगा हुआ है क्योंकि माननीय मंत्री जी के भाषण से यह मालूम नहीं हो सका कि वह कौन से नये उद्योग-धंधे हैं, जिनका उत्पादन कम हो रहा है और कम इसलिये हो रहा है कि उन पर सेल्स टैक्स लगा हुआ है। तो हमें माननीय मन्त्री जी यह बतलायें कि वह कौन से ऐसे गुड्स हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज का अर्थ मैं यहाँ पर काटेज इंडस्ट्रीज नहीं समझता, क्योंकि काटेज इंडस्ट्रीज पहले से ही एग्जेम्प्टेड हैं, मेरे पास सारी लिस्ट उनकी मौजूद है एग्जेम्पशन की, जिसमें सभी काटेज इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्ट हैं, तो इंडस्ट्रीज का अर्थ लगाता हूं ऐसे कारखानों से, जिनका हाथ से काम नहीं होता, मशीनों से होता है। ऐसे कारखानों से मतलब लगाते हैं, तो वह कौन सी ऐसी मेकेनिकल इंडस्ट्रीज हैं मशीन से चलने वाली, जिनका सामान इसलिये ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है कि उन पर सेल्स टैक्स लगता है? एग्जेम्पशंस की जो लिस्ट है उसमें कपड़ा हैंडलूम का सब एग्जेम्पटेड है, हैंड स्पिन यार्न, ऐग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, वूलेन कार्पेट्स इंटेडेंड फार एक्सपोर्ट आउट आफ इंडिया, कार्डबोर्ड आदि ४३ आइटम्स की सूची है, जिसमें तमाम ऐसे आइटम्स हैं जो काटेज और हैंडलूम इंडस्ट्री से सम्बन्धित हैं और एग्जेम्प्टेड हैं। और आगे भी इस सूची में वृद्धि हो सकती है। सरकार अगर चाहे तो और भी, जो काटेज इंडस्ट्रीज से गुड्स पैदा होते हैं उनको ऐक्ग्जेम्पशन दे सकती है। लेकिन वह ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनके कारण विधेयक में संशोधन लाना आवश्यक हुआ है, यह स्पष्ट नहीं है।

इस संबंध में मैं आपके सन्मुख टैक्सेशन इंक्वायरी की रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण कोटेशन प्रस्तुत करना चाहता हूं। पेज ६६, वाल्यूम थर्ड में मथाई कमीशन के विचारकों ने यह राय दी है--

"Apart from this, Sales Tax Concessions are hardly a suitable method of encouraging particular industries, trades activities, etc."

इसके अलावा काटेज इंडस्ट्रीज की परिभाषा क्या है? कंसेशंस जो हैं उनको किसी विशेष इंडस्ट्री को एनकरेज और प्रोत्साहन देने के लिये अच्छा तरीका नहीं माना जा सकता, बहुत मुश्किल से माना जा सकता है।

आगे चल कर फिर और स्पष्ट किया गया है--

"Sales Tax Concessions exemptions, which are vague and indefinite, or are liable to be interpreted in more than one way are always a source of harassment to traders and lead to corruption of officials."

ऐसे एग्जेम्पशन और माफियां जो कि अस्पष्ट हैं या जिनकी परिभाषा स्पष्ट नहीं हैं और जिनके एक नहीं अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं, यह एक तरीका व्यापारियों को प्रोत्साहन दिये जाने का होता है और मौका होता है उनको प्रोत्साहन मिलने का तो दूसरी तरफ अफसरों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है।

अब टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि बहुत संक्षिप्त श्रेणी, छोटी श्रेणी को लेकर एग्जेम्पशन की बात सोची जानी चाहिये या और किसी विषय में एग्जेम्पशन की बात सोची जानी चाहिये। लेकिन आमतौर से एक एग्जेम्पशन की बात इंडस्ट्रीज के लिये करना न तो उनको प्रोत्साहन देना है बल्कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ाने का मौका देना है। तो जब टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की ऐसी सिफारिशें प्रस्तुत हैं तो मेरी समझ के बाहर है कि क्यों ऐसे विधेयक को लाये जाने की आवश्यकता है?

श्रीमन्, इन ५ मुख्य कारणों के आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी अब भी इस विधेयक को वापस लेने की कृपा करेंगे और अपनी उस कमेटी की रिपोर्ट के आने तक तो अवश्य इन्तजार करेंगे जो कमेटी स्वयं उनकी सदारत में काम कर रही है और जो इसी विषय पर विचार करने के लिये बैठी है कि सेल्स टैक्स विधेयक कैसा बनाया जाय, क्या नियम बनाये जायं और किन-किन मामलों में एग्जेम्पशन दिया जाय और किन किन में न दिया जाय।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी तिवारी जी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरा यह प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५ को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जब एक प्रवर समिति बननी है तो मेरा यह सुझाव है कि एक संयुक्त प्रवर समिति कर दी जाय, क्योंकि कौंसिल में विशेष इंटरेस्ट के व्यक्ति रहते हैं। इसलिये मेरी समझ से अगर उनको भी साथ ले लिया जाय तो अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जो ये दो अमेंडमेंट्स सिलेक्ट कमेटी की बाबत आये हैं उनकी निस्बत कुछ अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि और लोगों को अभी बोलना है, विरोध का भी सवाल है न।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---शायद उसके बाद मेम्बरान को यह खयाल हो कि यह चीज अगर सिलेक्ट कमेटी में जाती है तो इस वक्त हमको इस पर ज्यादा वक्त खराब नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष---तो सिलेक्ट कमेटी को आप मंजूर करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी, मैं सिलेक्ट कमेटी को भी मंजूर करूंगा और जो अभी मेरे भाई जोरावर जी ने तरमीम उसमें पेश की है उसको भी मंजूर करूंगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इसी में एक संशोधन हमको देना है। जो जोरावर वर्मा जी ने पेश किया है। उसमें इस बिल के जो उद्देश्य और कारण हैं उनके स्कोप को बढ़ाने का नहीं रखा गया है। तो मेरा संशोधन यह है कि सिलेक्ट कमेटी में इसको भेजा जाय इस अधिकार के साथ कि इसके स्कोप को भी बढ़ा सकती है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं जनाब की इजाजत से.....

श्री अध्यक्ष---क्या 'प्वाइंट आफ आर्डर' है आपका ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---प्वाइंट आफ आर्डर उसको करार दीजिये। मेरे खयाल में तो किसी बिल के जो हाउस में आया है स्कोप को बढ़ाने की निस्बत कोई कार्यवाही या संशोधन नहीं हो सकता है और मैं समझा यह हूं कि यह कहा जाता है कि उस सिलेक्ट कमेटी को जिसमें यह बिल भेजा जाय यह अख्तियार दिया जाय कि वह अगर चाहे तो इस बिल के स्कोप को बढ़ा दे। यह एक इस्टैब्लिश्ड कन्वेन्शन है कि बिल के स्कोप को किसी अमेंडमेंट के जरिये बढ़ाया नहीं जा सकता है और अगर कोई अमेंडमेंट ऐसा दिया जाय वह अवैधानिक करार दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह वैधानिक प्रश्न है। नियमों में तो इस विषय में कोई स्पष्ट बात नहीं है कि स्कोप बढ़ाया जा सकता है या नहीं। अगर सिर्फ नियम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

लिया जाय तब तो स्पष्ट यह है कि स्कोप बढ़ाने के बारे में कोई संशोधन नहीं आता। लेकिन यह प्रथा, यानी कन्वेन्शन हो सकता है कि इन्सट्रक्शन सदन की तरफ से किसी प्रवर समिति को दिये जायं कि इसके स्कोप को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और इस सम्बन्ध में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ संख्या ४७८ की तरफ मैं माननीय वित्त मंत्री का भी ध्यान दिलाऊंगा। उसमें यह लिखा है :—

"On the order of the day being read for the House to be put into Committee on a Bill the opportunity occurs of moving an Instruction to the Committee. Instructions are of two kinds, permissive and mandatory.

Permissive Instruction—The object of a permissive instruction, which is the more ordinary form, is to confer on the Committee authority to do something which, without instructions, they would have no power to do, for example, to divide a Bill into two Bills, to consolidate two Bills into one or to exend the scope of a Bill. Instructions of this kind merely confer on the Committee the power to take the course of action specified, leaving it to the discretion of the Committee whether they exercise the power or not".

मैन्डेटरी इन्सट्रक्शन भी इसी तरह का दिया जाता है। मैंने केवल परमिसिव इन्सट्रक्शन का इसलिये जिक्र किया और हवाला दिया चूंकि माननीय राजनारायण जी का सिर्फ इतना ही कहना है कि यह इन्सट्रक्शन कमेटी को देते हैं कि वह अगर इसके स्कोप को विस्तृत करना चाहे तो कर सकती है और इस इन्सट्रक्शन के साथ यह प्रवर समिति को भेजा जाय। तो इस तरह से इन्सट्रक्शन देने की प्रथा ब्रिटिश पार्लियामेंट में मौजूद है, और मैं समझता हूं निश्चित तो नहीं कह सकता लेकिन शायद यहां पर कभी एक दफा इसकी चर्चा थी और निर्णय हुआ था कि यह बात इंस्ट्रक्शन देकर हो सकती है अगर कोई इन्सट्रक्शन्स न दें तो प्रवर समिति स्कोप नहीं बढ़ा सकती है क्योंकि विधेयक के सिद्धान्त मान लिये गये हैं। इसी तरह से बिल के दो टुकड़े प्रवर समिति नहीं कर सकती। लेकिन यह कहना कि सदन को ऐसी हिदायत देने का अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है प्रथा के अनुसार। नियम में यह भी नहीं लिखा गया है कि सदन को ऐसे अधिकार नहीं हैं और यह भी नहीं लिखा गया है कि अधिकार हैं। इसलिये यह बात नियमों में स्पष्ट नहीं है। इसलिये मैं इस प्रथा को जो उचित है, जो सदन के अधिकार को सीमित नहीं करती है और दूसरी जगह भी मौजूद है, इस सदन में भी जारी रखना ठीक समझता हूं और जो संशोधन उपस्थित हुआ है, उसको वैध करार देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा विचार यह है कि जब एक विषय पहले से है और वह एक समिति के सम्मुख गया हुआ है, जिसमें विधान सभा और कौंसिल दोनों के मेम्बर्स हैं और उसके सामने वही विषय और टर्म्स आफ रिफ्रेन्स मौजूद हैं और उसके सभापति वित्त मंत्री जी हैं तो वह विषय क्या दूसरी समिति के पास जा सकता है? इस सदन में मंत्री जी के आश्वासन द्वारा समिति नियुक्त है, जिसमें कौंसिल के मेम्बर्स हैं, असेम्बली के मेम्बर्स हैं और सभापति वित्त मंत्री हैं.....

श्री अध्यक्ष—बाहर के भी मेम्बर्स हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, व्यवसायी वर्ग के भी हैं और उसका काम भी यही है और उसके टर्म्स आफ रिफ्रेन्स भी वही हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह संगत है?

श्री अध्यक्ष—विधेयक में संगत है या नहीं यह तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं। वैधानिक है या नहीं, यह पूछ सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं वैधानिक दृष्टिकोण से ही पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसमें सदन को पूर्ण अधिकार है कि किसी समिति को जो नियुक्त की गई है, चाहे उसे सरकार ने नियुक्त किया है, उसके रहते हुये भी कोई विशेष बात, जिसे सरकार ऐसी महत्व की समझती है, जिसके लिये कोई विधान बनाया जाना उसे आवश्यक प्रतीत हो तो वह सदन के सामने विधेयक उपस्थित कर सकती है और इस सदन की मर्जी है, उचित समझे तो उस पर विचार करे और न उचित समझे तो विचार करने के लिये इनकार कर दे। लेकिन उपस्थित करने का और विचार करने का पूर्ण अधिकार सरकार को और सदन को मौजूद है और उसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने जो स्कोप को बढ़ाने का अधिकार देते हुये प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजने का संशोधन रखा है, उसके औचित्य पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं और मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे प्वाइंट को सुन लें तब जाने की कृपा करें। श्रीमन्, इसके उद्देश्य और कारणों को अच्छी तरह से पढ़ा जाय और इसका जो पूर्व ऐक्ट है, उसमें सरकार को क्या अधिकार प्राप्त हैं, इसको भी अच्छी तरह से देखा जाय। माननीय नारायणदत्त जी ने जो ऐप्लीकेशन आफ ऐक्ट का पैरा पढ़ा, उसमें साफ बात है, कि पहले के सेल्स टैक्स ऐक्ट में इस सरकार को यह हक हासिल है जिस गुड्स पर सरकार चाहे उस पर टैक्स न लगाये और जितना चाहे कम करे, और जहां चाहे वह कम कर दे। तो ऐसी कौन सी नवीन विशेषता इस विधेयक में आ गई जिससे कि यहां विधेयक का लाना जरूरी हो गया, इस पर कोई रोशनी माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं डाली। मैं अपने मित्र माननीय नारायणदत्त जी ने से भी निवेदन करूंगा और अगर इसको जरा ध्यान से पढ़ा जाय तो आप देखेंगे कि गुड्स के एक्जेम्प्शन की बात पुराने विधेयक में है, लेकिन व्यक्ति के एक्जेम्प्शन की बात उसमें नहीं है। श्रीमन् अब माननीय संपूर्णानन्द जी की सरकार, जो एक फिलासफर भी हैं, कितना पावर अपने हाथ में लेना चाहती है, इसको यह सदन देखे। केवल गुड्स माननीय नारायण दत्त जी भी बना सकते हैं और वित्त मंत्री जी भी, लेकिन सरकार यह चाहती है कि माननीय नारायणदत्त जी को वह सेल्स टैक्स की छट दे और दूसरे को नहीं.....।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप इसका ध्यान रखें कि गरमा-गरमी न होने पाये।

श्री राजनारायण---मैं तो बहुत नम्र हूं, गरमा-गरमी नहीं चाहता। तो ध्यान से देखने पर यह बात साफ़ हो जायगी कि अब सरकार यह चाहती है कि वह ऐसी सुविधा प्राप्त व्यक्ति विशेष का समुदाय पैदा करे कि जिसको सरकार अपनी इच्छा पर जब चाहे छट दे दिया करे। श्रीमन्, यह विधेयक जिस रूप में है उसका सीधा सादा मतलब यह है कि एक ऐसा तबका और ऐसे व्यक्ति पैदा कर दिये जायंगे कि जिनको सरकार जब चाहे अपने समर्थन में खड़ा कर सकेगी और जो चाहे वह काम उनसे ले सकती है। तो इस उद्देश्य और कारण को मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप नियत पर हमला न करें।

श्री राजनारायण---ऐसी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं अपने शब्दों को वापस लेने को तैयार हूं क्योंकि मैं नीयत पर हमला नहीं करना चाहता। मैं तो समझता हूं कि सरकार की नीयत अच्छी है लेकिन उसका फल बहुत खराब निकलता जा रहा है और श्रीमन्, कल आप नहीं थे। मैंने यहां एक बात कही थी---

"It is the verb that matters, not the noun."

[श्री राजनारायण]

नाउन तो सभी स्तेमाल करते हैं लेकिन देखना यह चाहिये कि क्रिया क्या है, क्योंकि क्रिया से ही फल होता है। तो हम क्रिया पर जाना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि आप श्रीमन्, इसकी आज्ञा भी देंगे।

श्री अध्यक्ष—आप इस तरह के वाक्य कह सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट के हाथ में यह अधिकार नहीं होना चाहिये। किसी सरकार को यह डिस्क्रिमिनेशन का हक देना ठीक नहीं है, इत्यादि।

श्री राजनारायण—वही कह रहा हूं। तो इस विधेयक के जरिये जो अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है यदि वह उसने लिया तो उसका फल यह होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो सरकार के पास अप्रोच करेंगे और यह सरकार उनको छूट देगी। इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है कि—यू० पी० बिक्री-कर ऐक्ट द्वारा जैसी कि उसकी वर्तमान शब्दावली है, राज्य सरकार को किसी माल के, या माल के वर्ग के उत्पादकों को बिक्री कर से छूट देने या उन पर कम दर से बिक्री कर लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी वस्तु के कई उत्पादक हो सकते हैं, एक ही माल को पैदा करने वाले कई हो सकते हैं। इस ऐक्ट के जरिये, जब इसको कानूनी शक्ल मिल जायगी, सरकार को यह हक हासिल हो जायगा कि जिस व्यक्ति को सरकार चाहे उसको छूट दे दे। नियत उसकी बड़ी अच्छी रहेगी छूट देने में, जैसा कि सरकार कह तो रही है, चाहे हम उसको मानें या न मानें।

इसके बाद दूसरे, "राष्ट्रीय महत्व का ऐसा माल जिसका अभी तक इस राज्य में उत्पादन नहीं हो सका है, अथवा जिसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है, तैयार करने के लिये चालू किये गये नये उद्योगों को बिक्री कर अदा करने के सम्बन्ध में रियायतें देने के निमित्त राज्य सरकार को अधिकार देने के लिये ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है"। अगर किसी विधेयक का यही उद्देश्य और कारण है तो मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री से जो निवेदन करूंगा कि क्या पुराने ऐक्ट के अन्दर इसकी गुंजाइश है? अगर राष्ट्रीय महत्व का कोई सामान सरकार को प्रतीत हो कि फलां सामान राष्ट्रीय महत्व के अन्दर आ रहा है और राष्ट्रीय धन को बढ़ाने के लिये एक नये प्रकार के गुड्स को पैदा करने की आवश्यकता है तो पुराने कानून के मातहत भी यह हक हासिल है सरकार को कि सरकर उस गुड्स पर बिक्री-कर न ले या उस सामान से बिक्री कर की दर कम कर दे, यह उस कानून के अन्दर है। इतना ही सरकार का मकसद नहीं है। इन उद्देश्य और कारणों के अलावा सरकार जो परिस्थिति पैदा करेगी, उसमें भ्रम पैदा होगा, जैसे कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई चीज समाचार-पत्र में निकलती है और नारायणदत्त तिवारी जी उसका विरोध करते हैं। यह सरकार राष्ट्रीय महत्व का सामान पैदा करना चाहती है और उस पर बिक्री-कर लगा देना नहीं चाहती है और नारायणदत्त तिवारी जी उसका विरोध कर दें तो उसमें यह बात हो सकती है। इसलिये मैं इसको साफ कर देना चाहता हूं। इस सरकार की मनोवृत्ति अधिकार लेने की ओर बराबर बढ़ती चली जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी जरा इस पर अंकुश लगायें। बिना अंकुश के काम नहीं चलेगा।

अब आप दूसरे पैरे की तरफ ध्यान देने की कृपा करें। उसमें यह है कि "राष्ट्रीय महत्व का ऐसा माल जिसका अभी तक इस राज्य में उत्पादन नहीं हो सका है अथवा जिसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है तैयार करने के लिये चालू किये गये नये उद्योगों को बिक्री-कर अदा करने के सम्बन्ध में रियायतें देने के निमित्त राज्य सरकार को अधिकार देने के लिये ऐसी व्यवस्था होना आवश्यक है।" मैं इस उद्देश्य से सहमत हूं। अगर सरकार का यह उद्देश्य है कि वह राष्ट्रीय महत्व का सामान पैदा करे और कराये तो मैं इसकी कतई ताईद करता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार का ऐसा मकसद हो और सरकार ऐसे सामान पर बिक्री-कर हरगिज न रखे

और बिक्री-कर खत्म कर दे। लेकिन मैं आपकी इजाजत से श्रीमन्, यह बताना चाहता हूं कि अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि जितने टैक्स होते हैं, वे सब प्रतिक्रियावादी माने गये हैं। बिक्री कर के बारे में बराबर आप देखेंगे कि उसका ज्यादा से ज्यादा बोझ पड़ता है उस आदमी पर जो उस सामान को खरीदता है, जिसके परिवार के लोग ज्यादा होते हैं। जो जितना ज्यादा समान खरीदता है उसके ऊपर उतना ही ज्यादा बोझ पड़ता है। इसका नाम ही उलटा चलता आया है लेकिन जो सामान को खरीदता है उसको यह बिक्री-कर देना पड़ता है और जो उस सामान को बेचता है उसको यह टैक्स नहीं देना पड़ता है तो फिर इसका नाम बिक्री-कर ही क्यों रहे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री राजनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार करने का प्रस्ताव सरकार की ओर से प्रस्तुत है। मेरे सामने जो संशोधन है वह इतना है कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास, यह अधिकार देते हुये भेज दिया जाय कि सेलेक्ट कमेटी उद्देश्य और कारणों की सीमा को भी बढ़ा सके। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन से यह निवेदन कर रहा था कि माननीय नारायणदत्त जी ने इस विधेयक का विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत करने से कोई विशेष काम होने वाला नहीं है। अपने तर्क में माननीय नारायणदत्त जी ने यह बात भी कही कि एक कमेटी इसके पूर्व ही सरकार की ओर से बनायी हुयी है और जिसके अध्यक्ष माननीय वित्त मंत्री जी ही हैं। वह कमेटी बिक्री कर से संबंधित जितनी बातें हैं, उन पर विचार करने के लिये बनायी गयी थी, उस कमेटी के अन्दर उन तमाम बातों को रख कर अच्छी तरह से सोच विचार करके एक व्यापक विधेयक माननीय सदन में आना चाहिये था। श्रीमन्, जहां तक माननीय नारायण दत्त जी के तर्क और भाव हैं, मैं उनके साथ हूं। माननीय नारायणदत्त जी के भाव भी ठीक हैं और तर्क भी ठीक हैं। सरकार को यदि बिक्री कर कानून में कोई संशोधन करना था तो जो कमेटी बहुत पहले से बनी हुयी थी उस कमेटी के सामने सारी बातें जानी चाहिये थीं, जिससे वह कमेटी सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार करती और विचार करने के बाद जो चीजें पहले कानून में रह गयीं थीं, उन सब बातों का संशोधन होता मगर सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार जिस ढंग से चल रही है उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। श्रीमन्, कमेटी बनती रहती है लेकिन उनकी मीटिंग्स नहीं होतीं, अगर होती भी हैं तो उनके सामने सारे मसले नहीं जाते और सरकार की ओर से नन्हे से शब्दों को प्रयोग करके विधेयक रख दिया जाता है, जिसका कि व्यापक असर होता है। यह नन्हा सा विधेयक इसी माने में व्यापक असर रखने वाला है। विधेयक में मैंने इस बात को साफ करने की कोशिश की थी जो उद्देश्य और कारण इस में दिखाये गये हैं उन में सरकार अपने हाथ में असीम अधिकार ले रही है और यदि यह विधेयक कानून की शक्ल में आयेगा तो सरकार के हाथ में इतनी शक्ति चली जायगी कि सरकार मनमाने ढंग पर जब चाहे तब जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को छूट दे दे और जिस व्यक्ति को चाहे उस के सामान पर बिक्री-कर की दर को कम कर दे या छोड़ दे। इससे पहले जो बिक्री-कर कानून था उस कानून में सरकार को गुड्स पर से बिक्री-कर कम करने या हटाने का अधिकार था। अब "व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति" जैसी शब्दावली है, वह पहले नहीं थी। यदि विधेयक का दूसरा पैरा देखा जाय तो माननीय वित्त मंत्री जी ने उद्देश्य और कारणों में ही साफ लिखा है कि "तदनुसार, किसी माल अथवा माल के वर्ग के विशिष्ट उत्पादकों को बिक्री कर से छूट देने, या उन पर कम दर से बिक्री-कर लगाने के लिये यू० पी० बिक्री-कर ऐक्ट को उचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है"। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बतायें कि "विशिष्ट उत्पादकों" से माननीय मंत्री जी का क्या आशय है? वह कौन सा आधार होगा कि जिस पर वह कहेंगे कि फलां व्यक्ति उत्पादक विशेष है और फलां व्यक्ति उत्पादक विशेष नहीं है? माननीय मंत्री जी को सफाई के साथ यह बात रखनी चाहिये थी।

[श्री राजनारायण]

मैं ट्रेजरी बेंचेज के सम्मानित सदस्यों से और विरोधी पक्ष के दूसरे दलों के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब इस सदन में विधेयक आते हैं तो सरकार की ओर से धारायें दूसरे शब्दों में रहते हुये भी अच्छे भावों को रोकने के लिये कभी-कभी कोशिश होती है और सरकार कह देती है कि हमारी भी यही भावना थी। अभी-अभी कल की ही बात है जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन बिल पर विचार हो रहा था तो उस समय सदन में यह बात आयी कि पहले जब कि चुनाव के बारे में या प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के बारे में कहा गया था कि जिलाधीश बहुत विजी है वह प्रेसक्राइब्ड अथारिटी न माना जाय तो सरकार ने ऐसा समझकर जिलाधीश को हटा दिया था और सरकार की ओर से कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को न रखा जायगा और इस तरह की पाबन्दी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही यहां रखा है और जिस आश्वासन के साथ पहले बिल में कहा गया था, उस आश्वासन की पूर्ति नहीं हुयी। मेरी समझ में सरकार की ओर से एक बार ऐसी बात आने के बाद इस तरह से इस विधेयक में न रखना चाहिये था। अब सरकार यह कह सकती है कि जब हम विशिष्ट व्यक्तियों या उत्पादकों को चुनेंगे तो उस में कोई ज्यादती न होगी, सरकार की भावना ऐसी हो सकती है, लेकिन जब सरकार ऐसी शक्ति अपने हाथ में लेती है तो ज्यादती तो अवश्य होगी, उसको वह रोक नहीं सकती। यदि सरकार ऐसी ज्यादती को रोकना चाहती है तो क्यों सरकार इस में किसी ऐसी धारा को जोड़ती है, जिसके अनुसार जिस जिले में, जिस रीजन में या जिस लोकेलिटी में कोई सामान उत्पन्न होता है, वहां की एक कमेटी हो, चाहे वह गांव सभा हो या कोई लोकल बोर्ड हो या कोई भी ऐसी बाडी हो या वहां के कोई व्यक्ति विशेष हों, जो उस विषय में सरकार को सलाह दे सकें और सरकार उनकी बात को माने। मगर सरकार इस विधेयक के अन्दर कहीं इस बात को नहीं ला रही है कि जिस क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय महत्व के माल को पैदा करना जरूरी होगा, उस क्षेत्र के लोगों की भी राय ली जायगी। जैसे मान लीजिये अलीगढ़ है उसमें कोई अच्छे ढंग का सामान बनाना हो और माननीय मलखान सिंह जी या दूसरे सम्मानित सदस्य या वहां की पब्लिक यह चाहती है कि इस पर बिक्री-कर न रहे तो वे लोग अच्छे तरीके से पैदावार के काम में लग सकते हैं। वहां के लोगों के इस राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न को समझा जा सकता है, वहां के लोग अपील कर सकते हैं और सरकार उनकी अपील को सुन सकती है और सरकार उनकी राय ले कर कोई फैसला करे तो सरकार की निरंकुशता पर कुछ अंकुश हो सकता है। मगर सरकार को यों ही छोड़ दें तो जिस तरह से सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती रही है इस विधेयक में भी वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगी।

मैंने पहले ही कहा था कि मैं नारायणदत्त जी के उद्गारों के साथ हूं और हमने उद्देश्य और कारणों के स्कोप को बढ़ाने का प्रस्ताव इसीलिये रखा है, जिससे माननीय नारायणदत्त जी की भावनाओं को सम्मिलित किया जा सके। जिस भावना को लेकर वह विरोध कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे अपने विरोध को दूसरे रूप में बदल दें और वे अपने विरोध को सिलेक्ट कमेटी में जाने के लिये कहें, जिससे सरकार को कोई गुंजाइश न हो सके कि सरकार यह कहे कि हम राष्ट्रीय महत्व के माल को तैयार कराना चाहते थे, लेकिन विरोधी पक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया। सिलेक्ट कमेटी में जब यह बात जायगी और जब वहां इस पर विचार विनिमय होगा तो वह अच्छी तरह से इस बात को समझ सकती है कि राष्ट्रीय महत्व के माल क्या हैं? श्रीमन्, कहीं भी इस विधेयक के अन्दर इस बात को नहीं रखा गया है कि कौन सा माल राष्ट्रीय महत्व का है और कौन नहीं। इसमें मुझे शक है कि जब सरकार चाहेगी और जिस माल को चाहेगी, चाहे वह माल रद्दी से रद्दी हो मगर वह माल किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा पैदा हो रहा है तब वह उनके लिये रियायत कर सकती है। इस विधेयक के अन्दर सरकार बहुत ही असीमित अधिकार अपने हाथ में लेने जा रही है, इसलिये ऐसी बात का विरोध करना हर जनतांत्रिक प्रणाली पर चलने वाले आदमी का फर्ज होता है और इसीलिये हम डटकर

इसका विरोध करते हैं। जिस भावना को लेकर सरकार इतने असीमित अधिकारों को लेना चाहती है उसके लिये विरोध इस माने में कि वह सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और उसको यह अधिकार दिया जाय कि वह इस स्कोप को बढ़ा सके उचित ही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी कोशिश की, श्रीमन्, और बड़ी दलीलें दीं कि राजनारायण के स्कोप बढ़ाने वाले संशोधन को अवैध करार दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब उसकी आवश्यकता नहीं रही, इसलिये कि उस पर अब फैसला हो चुका है।

श्री राजनारायण—रिफ्रेंस के लिये कि सरकार की मंशा क्या है मैं यह कह रहा था। मैं पहले ही से इस बात को बता दूं कि सरकार सिलेक्ट कमेटी में जाने को मान रही है और माननीय वित्त मंत्री जी माननीय मलखान सिंह जी के प्रस्ताव को मानने जा रहे हैं। और वह उनके प्रस्ताव को मानकर सिलेक्ट कमेटी में भेजेंगे लेकिन उसमें स्कोप को घटाने बढ़ाने की बात नहीं रह जायगी। तब तो माननीय मंत्री जी उसी तरह से वहां सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों को बांधेंगे और उनसे कहेंगे कि नहीं इसका उद्देश्य यह है कि विशिष्ट व्यक्तियों को छूट दी जाय तो इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते और यह तो यही रहेगा। मैं यहां यह साफ कह दूं कि यदि स्कोप के बढ़ाने की बात नहीं होती है तो मैं नारायणदत्त जी के साथ रहूंगा। माननीय नारायण दत्त जी की तरह उनसे भी ज्यादा उग्रभाव से सरकार के पास इतने अधिकार जाने का मैं विरोधी हूं। मैं तो नारायणदत्त जी से जो अपील कर रहा हूं वह इस वजह से कि वे हमारे संशोधन को मान जायं और उस संशोधन में दोनों बातें हल हो जाती हैं। सिलेक्ट कमेटी में बैठकर हम यह बात देख सकेंगे कि फलां चीज राष्ट्रीय महत्व रखती है और इस चीज को पैदा करने के लिये फलां-फलां व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों में आ सकते हैं, और यह भी विचार कर सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति शब्द रक्खा जाय या न रक्खा जाय क्योंकि विशिष्ट व्यक्ति शब्द से सार्वजनिक अनर्थ होगा। इसलिये स्कोप को बढ़ाते हुये अगर सिलेक्ट कमेटी में इस हमारे संशोधन को सरकार मानती है तब तो हम चाहेंगे कि सदन हमारे इस संशोधन को अपना समर्थन दे और यदि सरकार की ओर से स्कोप बढ़ाने के हमारे संशोधन का विरोध होता है तो मैं आपके द्वारा यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि फिर इतने अधिकार इस सरकार के हाथ में देने का मैं सख्त विरोधी हूं। किसी भी तरीके से और सरकार के लिये भी यह उचित है। अब माननीय वित्त मंत्री जी को यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि वे किस ढंग का उत्पादन कराना चाहते हैं।

श्रीमन्, बार-बार पं० जवाहर लाल नेहरू जो प्रधान मंत्री हैं कहते रहे हैं कि विकास योजनाओं में पंचायतों का और जनता का हाथ हो ताकि राष्ट्रीय धन की बढ़ोत्तरी की जाय। परन्तु जितनी प्रान्त की सरकारें हैं सब इसके विरोध में सदन में विधेयक प्रस्तुत करती हैं। यह विधेयक पूर्णरूपेण इस भावना के विरोध में जाने वाला विधेयक है। माननीय मंत्री जी सदन को कुछ नहीं बतलाते कि बिजनौर में कौन सी राष्ट्रीय महत्व की खास चीज बन सकती है, कौन सा माल तैयार हो सकता है और किस स्तर के लोगों को विशिष्ट व्यक्ति में मानेंगे जिनको छूट दी जायगी ? यह बात सेलेक्ट कमेटी में बैठकर तै हो सकती है। इस सदन में लम्बा चौड़ा विवाद नहीं हो सकता और इतने आंकड़े देने के लिये यहां इतना समय नष्ट नहीं किया जा सकता। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है यह तानाशाही का द्योतक है कि सरकार अपने हाथ में इतने अधिक अधिकार ले रही है, जिससे वह व्यक्तियों के अन्दर श्रेणी पैदा करेगी और जो सरकारी पक्ष के लोग होंगे उनको छूट दे देगी और बाकी जो सही मानी में राष्ट्रीय धन की वृद्धि करना चाहते हैं उन पर अंकुश लगा सकती है। इतनी पावर देना जनतंत्र प्रणाली के विरुद्ध है। इसलिये मैं अंतिम रूप में अपने संशोधन के औचित्य पर प्रकाश डालते हुये सम्मानित सदस्यों से अपील करूंगा कि स्कोप को बढ़ाते हुये सिलेक्ट कमेटी में, इस विधेयक के भेजने में हमारे संशोधन के पक्ष में अपनी राय दें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा संशोधन विधेयक जिस समय माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया तो मैं यह समझता था कि यह एक मामूली छोटा सा बिल है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मेरे आश्चर्य की सीमा न रही जबकि माननीय मलखान सिंह जी ने इसे प्रवर समिति के समक्ष भेजने का प्रस्ताव किया और इसके बाद माननीय जोरावर वर्मा जी ने दोनों सदनों की प्रवर समिति के सम्मुख इसे भेजने का प्रस्ताव किया। मुझे ऐसा लगा, मालूम होता है कि पहले से कोई माननीय वित्त मंत्री जी की सांठ-गांठ उन लोगों से थी और बिना कारण बतलाये उन्होंने इन दोनों प्रस्तावों को स्वीकार भी कर लिया। माननीय मलखान सिंह जी ने कोई कारण नहीं बताया कि क्यों प्रवर समिति के पास भेजा जाय। न माननीय जोरावर वर्मा जी ने कोई कारण बताया कि क्यों यह संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाय। ऐसी परिस्थिति में माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बिना कोई कारण बताये अपनी सम्मत्ति दे दी। मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन के इतिहास में पहली घटना होगी कि जब केवल एक क्लाज का बिल इस प्रकार से केवल प्रवर समिति के पास नहीं संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाय। तो मुझे ऐसा लगा कि अवश्य ही इसमें कोई बड़ी भारी त्रुटि होगी, बहुत कुछ संशोधन इसमें करने होंगे, इसीलिये माननीय वित्त मंत्री जी ने इन दोनों संशोधनों को स्वीकार किया होगा। जब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो फिर माननीय राजनारायण जी का यह संशोधन भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि यदि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाना है तो अवश्य ही इसमें जो कोई कमी हो माननीय वित्त मंत्री जी उसको पूरा करना चाहते हों तो उस संयुक्त प्रवर समिति को यह भी अधिकार दे दिया जाय कि इसके उद्देश्य और कारणों में भी यदि परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह कर सके। वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि पीसमील लेजिस्लेशन बिक्री-कर के सम्बन्ध में जो इतना आ रहे हैं, एक तो आया था ऐक्ट ४०,१९५२; दूसरा ऐक्ट १८,१९५३ और ऐक्ट ३२, १९५२ और फिर ऐक्ट ८,१९५४, तो इस बिक्री-कर के सम्बन्ध में इतने ऐक्ट बन चुके हैं।

मैं समझता हूं कि इन सारी कठिनाइयों को देखते हुये बार-बार इस तरह से पीसमील लेजिस्लेशन, किसी ऐक्ट पर लाने की आवश्यकता को ही देख कर माननीय वित्त मंत्री जी ने एक कमेटी जिसका जिक्र माननीय नारायणदत्त जी ने किया है बनायी है ताकि पूर्ण रूप से गौर करके जो कुछ बिक्री कर के सम्बन्ध में उचित लेजिस्लेशन हो वह इस सदन के सम्मुख लाया जाय। जबकि जैसा मालूम हुआ उसकी सब-कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और शायद मूल कमेटी के सामने प्रश्न विचाराधीन है, तो यह बात भी समझ में नहीं आयी कि इतनी जल्दी इस छोटे से संशोधित विधेयक को लाने की कौन सी आवश्यकता प्रतीत हो गयी। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह नहीं बतलाया कि इसकी आवश्यकता इसलिये है कि किसी विशेष फैक्टरी या कारखाने के बनी हुयी चीजों को वह बिक्री कर से मुक्त करना चाहते हैं, या कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको बिक्री-कर से मुक्त किये बिना उस चीज का उत्पादन घट रहा है। अगर यह बात बता दी जाती कि कौन सी ऐसी वस्तु है या विशेष फैक्टरी है जिसके बने हुये माल को बिक्री-कर से मुक्त करना इतना आवश्यक हो गया है कि अभी फौरन, जो एक कमेटी बनी हुयी है, उसके निर्णय से पहले ही इस ऐक्ट को पास कर दिया जाय और चालू कर दिया जाय, तो बात समझ में आती। कोई आर्डिनेंस इस बारे में जारी नहीं हुआ था, ताकि उस आर्डिनेंस के होने से पहले बिल पास करने की आवश्यकता हो। जब तक इसकी आवश्यकता न बतलायी जाय कि क्यों इसकी जरूरत हो रही है तब तक इस सदन के माननीय सदस्यों के लिये यह कठिन होता है इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि इस विशेष विधेयक की लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी। वैसे विधेयक छोटा सा है, इसमें कोई संदेह नहीं और अगर कोई ऐसी आवश्यकता माननीय मंत्री महोदय बतला दें, जिससे किसी विशेष वस्तु की या समान के उत्पादन में कमी हो रही है तो माननीय सदन के माननीय सदस्यों को इस विधेयक को पास करने में कोई ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जरूर विचार करने की है कि जो इस छोटे से क्लाज का दूसरा अंश है और जिसमें यह कहा गया है कि किसी माल पर सामान्यतः किसी माल को कर से मुक्त किया जाय।

और वहीं यह भी कहा गया कि किसी फैक्टरी या किसी कारखाने के ही माल को इस बिक्री-कर से मुक्त करने का अधिकार सरकार को दिया जाय तो जो यह अधिकार सरकार ले रही है कि चाहे तो वह सामान्यतः किसी माल को बिक्री कर से मुक्त कर दे या किसी विशेष फैक्टरी या कारखाने के माल को बिक्री कर से मुक्त कर दे, तो यह डिस्क्रीमिनेशन की बात हमारी समझ में नहीं आती। तो अगर कोई डिस्क्रीमिनेशन किया जा सकता है किसी उसूल पर तो वह खास-कर जो कोटेज इंडस्ट्रीज हैं उनसे बने हुये माल के लिये सेल्स टैक्स से बरी करने का डिस्क्रीमिनेशन हो सकता है, और वह है भी। तो कौन-सी ऐसी फैक्टरी होगी जिसको सामान्यतः उसको अलग करके उसके लिये ऐसे उत्पादन की सुविधा दी जाय ?

मैं समझता हूं कि कोई ऐसा माल हो जिसका उत्पादन घट रहा हो और हमारे प्रदेश के लिये उसके उत्पादन की आवश्यकता हो उसको सामान्य रूप से बिक्री-कर से अलग किया तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन किसी विशेष फैक्टरी या कारखाने को उस उत्पादन से, बिक्री कर से मुक्त करने में दो दिक्कतें होती हैं। पहली यह कि फिर एक डिस्क्रीमिनेशन होता है कोई फैक्टरी या कारखाना जो उस उत्पादन को कर रहा है। उसका माल उसे मंहगा पड़ेगा और वह फैक्टरी या कारखाना खत्म हो जाय। दूसरे फैक्टरी या कारखाने के मुकाबले में क्योंकि आपस के कम्पटीशन की तो सम्भावना है ही और दूसरे यह कि यह कोई फैक्टरी या कारखाना जिसे विशेष रूप से गवर्नमेंट सेल्स टैक्स से बरी कर दे तो फिर उस कारखाने या उस फैक्टरी को दूसरी फैक्टरी के जिनका माल पहले बन रहा है उसी तरह का उनके मुकाबिले में एक तरह की तरफदारी करने का इल्जाम भी सरकार के ऊपर आयद हो सकता है। तो यह अधिकार, मैं समझता हूं, मुनासिब नहीं है कि इस प्रकार का कोई अधिकार सरकार ले क्योंकि इसमें फिर जो डिपार्टमेंटल चीजें होने लगेंगी और इंडस्ट्रीज की तरफ से जो सिफारिशें आयेंगी उसमें तरह-तरह की सरकार के सामने कठिनाइयां हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि यह बात हमारे किसी सिद्धांत के अन्दर नहीं बैठती। मैं नहीं जानता कि कांस्टीट्यूशन इसको एलाऊ करता है या नहीं। लेकिन सिद्धांततः यह मुनासिब नहीं है कि एक तरह के बने हुये माल को जो एक फैक्टरी या कारखाने के द्वारा हो उसमें ऐसा किसी प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन किया जाय, करने का अधिकार सरकार ले जिसमें कि बिक्री-कर से मुक्त करने की बात हो। जहां तक बिक्री-कर की बात है, मैं उसको बिक्री-कर तो नहीं समझता, मैं उसको खरीद-कर ही समझता हूं। क्योंकि जब माल जो रोजगारी बेचता है तो कैश मीमो देता है, उसमें लिख देता है खरीदार इतना बिक्री-कर दे। तो असल में उसका नाम खरीद-कर है लेकिन उसका नाम बिक्री-कर रखा गया। अगर यह कोई ऐसा नियम होता कि बिक्री-कर सरकार, जितना माल दूकानदार बेचता है, उससे वसूल करती और वह कीमत अपनी जो माल बेचने वाला है अपना सेल्स टैक्स लगा करके कीमत में शामिल कर लेता, तो जो खरीदार है उसके माइन्ड पर यह इम्प्रेशन कि उससे टैक्स वसूल किया जा रहा है, यह न पड़ता। वैसे मैंने देखा है बहुत माल बेचने वाले अपने कैश मेमो में सेल्स टैक्स नहीं लिखते यानी एक तरह के दो दूकानदार माल बेंचते हैं। एक दूकानदार सेल्स टैक्स उसमें जोड़ देता है तो ग्राहक दूसरे दूकानदार के पास इसलिये जाता है कि वह सेल्स टैक्स नहीं जोड़ता उसे सस्ता पड़ जाता है। यह एक तरह से वह दूकानदार चोरी करता है सेल्स टैक्स की, ताकि उसके हिसाब में वह चीज आये नहीं, ऊपर ऊपर वह माल बेच दे। सेल्स टैक्स न ले और दूसरे दूकानदार के मुकाबिले में अपना माल सस्ता बेच दे। तो जो कैश मेमो है अगर वही देखकर टैक्स न लिया जाकर जितना उसके पास सामान है, बाहर से माल खरीदता है और जो माल बेचता है, जो दुकान में उसके रह जाता है यह सारा हिसाब देखकर उसकी बिक्री पर टैक्स लगा लिया जाय तो फिर जो खरीदार हैं उनके ऊपर इस तरह का बोझ जो एक साइकोलाजिकल बोझ है, वह बोझ पड़ने से रह जाता है, वह बोझ नहीं पड़ेगा। माल जो कोई भी खरीदार खरीदता है, उसमें मंहगा भी दूकानदार लोग बेचते हैं, सस्ता बेंचते हैं, जो भी हो, लेकिन वह सेल्स टैक्स का देना खरीददार के लिये एक बोझ जरूर पड़ता है, क्योंकि जिस वक्त वह एक माल की बात करता है तो उस वक्त वह असली दाम समझता है कि इतना ही असली दाम इसके लिये मुझे देना है लेकिन जिस वक्त वह दाम

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

देने को तैयार होता है तो उस वक्त सेल्स टैक्स उसमें वह और जोड़ देता है। तो उसके दिमाग पर इतना बोझ और पड़ता है कि इतना और देना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नियमों में हो सके तो कर दिया जाय कि खरीदार जो सामान ले उसकी कीमत जो वह दे उसी में वह भी ले लिया जाय और उसको अलग से वह टैक्स न देना पड़े तो ज्यादा अच्छा है।

जहां तक इस मौजूदा विधेयक का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि अगर संयुक्त प्रवर समिति के पास जाने की आवश्यकता यह सदन महसूस करता है, माननीय वित्त मंत्री जी इसे समझा दें क्योंकि इसकी आवश्यकता है तो इसका स्कोप भी बढ़ जाना चाहिये ताकि पूरे तौर पर उस स्कोप के अन्दर इसके ऊपर विचार हो जाय। वैसे मैं नहीं समझता कि इसकी कोई आवश्यकता कहीं भेजने की है। जो कमेटी बनी हुयी है वह सारा विवरण जिस समय दे दे और उस रिपोर्ट के आधार पर एक बिल माननीय वित्त मंत्री जी उपस्थित करते तो बार-बार इस बिल के लाने की या इस तरह संशोधन करने की आवश्यकता न होती, क्योंकि मुझे भय है कि जब उस कमेटी की रिपोर्ट आयेगी तो फिर कोई न कोई बिल माननीय वित्त मंत्री जी लायेंगे और फिर उस पर सदन का समय इस प्रकार से लगेगा। मैं समझता हूं कि वह सदन के समय का अपव्यय होगा क्योंकि उसी चीज को बार-बार सदन में दोहराना और बार-बार उसूली बातों को यहां कहना, इससे कोई लाभ नहीं होगा। एक ही बार जो माननीय सदस्य यहां निर्णय करते वही अंतिम चीज होती तो इससे टैक्स देने वाले को भी और टैक्स वसूल करने वाले को भी पता चल जाता कि कितना टैक्स वसूल करना है और कितना देना है और क्या आमदनी सरकार को होगी या हो सकती है। जहां तक इस बिल में टैक्स कम करने की बात है, इसके पिछले वाले बिल में जो सन् ५४ में संशोधन हुआ था उसमें टैक्स कम करने का क्लाज है, मैं नहीं समझता कि इसको रखने की क्या जरूरत हुयी। उसमें धारा ३ में यह पहले से ही मौजूद है कि:—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति दे कर किसी माल या माल के वर्गों के सम्बन्ध में विक्रय धन पर कर की दर कम कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसे विक्रय धन पर देय कर का हिसाब निम्नलिखित ढंग से लगाया जायगा :—

तो इस मौजूदा विधेयक में भी इसी तरह का एक क्लाज लाया गया है कि एग्जैम्पट कर देने का, टैक्स कम कर देने का, अधिकार राज्य सरकार को रहेगा तो मैं नहीं समझता कि जो अधिकार पहले से हैं उनको इस बिल में लाने की क्या आवश्यकता हुयी, और दूसरी जो एग्जैम्पट करने की बात है उसूलन सरकार जिसको मुनासिब समझे उसको करे, लेकिन उसमें कोई डिस्क्रीशन नहीं होना चाहिये किसी विशेष फैक्ट्री के लिये।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स का जिस तरह से हमारे प्रदेश में और एक तरह से कहना चाहिये दूसरे प्रदेशों में भी प्रयोग होता रहा है, उसकी अनेक शिकायतें जनता में और काम करने वालों में, उत्पादकों में और व्यापारियों में रही हैं। इसीलिये समय-समय पर इस ऐक्ट में संशोधन होते रहे हैं।

मैं यह अत्यन्त आवश्यक समझता हूं कि इस समय जब देश में औद्योगीकरण के लिये इतने बड़े प्रयत्न किये जा रहे हैं, उस समय हमारी सेल्स टैक्स की नीति पर पूरी तरह से विशद विवेचन होना चाहिये, उसका परीक्षण होना चाहिये। मैं प्रस्तुत विधेयक का इस आधार पर, जहां तक मैं समझता हूं, समर्थन करता हूं कि सरकार को ऐसे अधिकार प्राप्त हों कि वह जिन माल को या जिन उत्पादकों को राष्ट्रीय हित में समझे, उनको वह सेल्स टैक्स से मुक्त कर सकें।

आपको मालूम है, इस सदन में मैंने एक प्रस्ताव रखा था काटेज इंडस्ट्रीज के सिलसिले में, और उसके जो ११ सूत्र थे, उसमें पहला सूत्र यह था कि काटेज इंडस्ट्रीज को इस सेल्स कर से मुक्त कर दिया जाय। मैं जानता हूं, इस सम्बन्ध में इसको व्यावहारिक रूप देने के लिये सरकार को अनेक कठिनाइयां हो सकती हैं और यदि यह प्रस्तुत विधेयक उन कठिनाइयों को दूर करने और काटेज इंडस्ट्रीज को उन टैक्सेज से मुक्त करने का पूर्वाभास है, तो मैं इसका

स्वागत करता हूं, और सरकार को इसके लिये बधाई देता हूं। अनेक कारणों से मैं इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में अपने प्रदेश की, मैं बहुत पेस्सीमिस्ट होता जा रहा हूं। मेरा खयाल यह है कि जब दूसरे प्रदेशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये बड़ी से बड़ी योजनायें बन चुकी हैं और वह इंडस्ट्रियलाइजेशन के मार्ग पर तेजी से चलने लगे हैं और चलेंगे उस समय मुझे अपने प्रदेश के सम्बन्ध में अनेक शंकायें हैं और खास तौर से जबकि मैं आगामी सेकेंड फाइव ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, में देखता हूं कि इतने बड़े प्रदेश में हम जो काटेज इंडस्ट्रीज के लिये धन व्यय करने जा रहे हैं, और मैं तो कहता हूं कि बड़ी इंडस्ट्रीज के लिये भी हम जो धन व्यय करने जा रहे हैं तथा हमारे देश में जो प्रयत्न होने जा रहे हैं, उनकी तुलना में बहुत ही नगण्य है। तो मैं तो समझता हूं कि हमारा प्रदेश जहां तक औद्योगीकरण का सम्बन्ध है, अपने चारों तरफ फैले हुये प्रदेशों से सब से पिछड़ा हुआ होने जा रहा है। मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश में काफी पोटेंश्यलिटीज हैं, काफी प्रयत्न है उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के। पंजाब पहले से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारे प्रदेश से ज्यादा बढ़ा हुआ है। यही स्थिति बिहार और बंगाल की है और बाम्बे की भी यही स्थिति है। तो मेरा खयाल यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के सम्बन्ध में सब से बड़ी कठिनाइयां हमारे प्रदेश की यह हैं कि हमारे प्रदेश में खनिज पदार्थों की कमी है। जिस समय हमारे प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आयोग के सामने आती है तो उसके सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है वह यही होती है कि हमारे पास रा मैटीरियल्स (कच्चा माल) नहीं हैं और एकोनामिकली अपने प्रदेश में उनको हम उपलब्ध नहीं कर सकते। इसके लिये मेरा यही जवाब है कि मैं जानता हूं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिये भी हमारे यहां कहीं कहीं क्षेत्र हैं और हमें उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। लेकिन हमारे प्रदेश की काटेज इंडस्ट्रीज के लिये, जिनको जापान की लाइन्स पर इस प्रदेश में हम चला सकते हैं और उनसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का मुकाबिला कर सकते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझा सकते हैं, हमें बहुत कुछ करना है। हमारे प्रदेश को केवल एग्रीकल्चर (कृषि) पर अवलम्बित रहने के लिये कोई स्थान नहीं है। न तो हम अपनी बढ़ती हुयी आबादी के लिये उससे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और न अपने प्रदेश के जीवन-स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो हमारे लिये, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने एक बार कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अब हमारे प्रदेश के जीवन और मरण की समस्या बन गया है, तो मैं उसका बिलकुल समर्थन करता हूं। मेरा खयाल यह है कि अब ऐसी परिस्थिति आ गयी है जबकि हमें इस पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये कि हम अपने प्रदेश को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे पीछे एक साहब यह कह रहे हैं कि इसका सेल्स टैक्स से क्या ताल्लुक है। वह बहुत बड़ा है मैं उस जिले से आता हूं जोकि छोटे-छोटे उद्योगों के लिये न केवल इस प्रदेश में बल्कि भारतवर्ष में सब से बड़ा केन्द्र है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—जूतों का।

श्री देवकीनन्दन विभव—जूतों का तो वह सब से बड़ा केन्द्र है ही, लेकिन उसके अलावा करीब ५२ छोटे-छोटे उद्योग-धंधे वहां पनपते हैं, जिनमें हजारों, लाखों आदमी आज भी लगे हुये हैं। उन पर बिक्री-कर का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सेल्स टैक्स का बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने उसको अध्ययन किया है। आज बहुत से छोटे-मोटे उद्योग-धंधे इसलिये विघटित हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी भारी कठिनाई सेल्स टैक्स की भी है। मैं वित्त मंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिये धन्यवाद देता हूं और सरकार को भी बधाई देता हूं। हम इस सम्बन्ध में सरकार को पूरी ताकत देने के लिये तैयार हैं और हम चाहते हैं कि उसका उपयोग देश के छोटे-छोटे उद्योग-धंधों में किया जाय। माननीय राजनारायण जी को सबसे बड़ी शंका यह थी कि शायद इसका उपयोग राजनीतिक पार्टियों के खयाल से किया जायगा, उत्पादन के खयाल से नहीं किया जायगा। कौन सी चीज का उत्पादन होना चाहिये इसका ध्यान नहीं किया जायगा बल्कि शायद व्यक्तियों के खयाल से, राजनीतिक पार्टियों के खयाल से इसका उपयोग किया जायगा। जनतंत्र की भावना पर स्थापित किसी भी सरकार के प्रति इस तरह की शंकायें रखना मेरे खयाल से उचित नहीं है। मैं कहता हूं कि छोटे

[श्री देवकीनन्दन विभव]

द्योग-धंधों के साथ बड़े उद्योग-धंधे भी ऐसे हो सकते हैं जिनमें अगर कोई भी फैक्टरी या कारखाना नया स्थापित होता है तो प्रारंभिक कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो बड़ी कठिनाई के होते हैं। आप अगर उनको दो तीन साल के लिये प्रोत्साहन देते हैं, अगर आप उसको सेल्स टैक्स से मुक्त कर देते हैं और वह उद्योग फल फूल जाता है तो वह राष्ट्र के हित में है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के हित में नहीं है। इसलिये मैं राजनारायण जी से चाहे वह इस समय सदन में हों या न हों, उनसे तथा उनके विचार के लोगों से कहता हूं कि जिस समय हम इकोनामिक (आर्थिक) और देश के निर्माण के प्रश्नों पर विचार करते हैं तो हम को फिर किसी भी संकीर्ण विचार से बिल का विरोध करना शोभनीय नहीं है। मैं इस भावना के साथ और आशा लेकर इस शक्ति को सरकार के हाथ में दे रहा हूं कि इससे काटेज इंडस्ट्रीज और बड़े उद्योग-धंधे भी जिनकी आवश्यकता है, उनके लिये हमारे इस विधेयक का प्रयोग हो और उद्योग-धंधों को लाभ पहुंचे तो मैं इसका समर्थन करूंगा और मैं समझूंगा कि जो ताकत दी गयी वह देना बहुत ही आवश्यक थी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्तुत विधेयक जिस उद्देश्य से लाया गया है, वह यह है कि जो माल राष्ट्रीय महत्व के हैं उनको बिक्री-कर से मुक्त कर दिया जाय ताकि आगे चलकर उनका उत्पादन अधिक हो सके अथवा जो माल राष्ट्रीय महत्व का हो और अभी पैदा किया जा रहा है, अगर काफी तादाद में पैदा नहीं हो रहा है तो उसका बिक्री-कर से मुक्त करके, ज्यादा उत्पादन किया जाय। यही इसके दो मुख्य कारण दिखाये गये हैं और वित्त मंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में इसी पर प्रकाश डाला है। जहां तक इस उद्देश्य का ताल्लुक है यह तो समझ में आ.ता है कि राष्ट्रीय महत्व का जो सामान है वह हमारे प्रदेश में बढ़े। अब जो नई धारा ४(क) के रूप में बढ़ाई जा रही है उस पर दृष्टिपात करें और उन उद्देश्य और कारणों के दृष्टिकोण में जांच करें तो मैं समझता हूं कि दो एक बातें ऐसी हैं जिन पर गौर करने से मालूम होगा कि हमारा वह उद्देश्य इसके द्वारा पूरा नहीं हो सकता है।

आप देखेंगे कि इस विधेयक में जो उपखंड (२) दिया हुआ है उसमें यह व्यवस्था रखी गयी है कि या तो समानरूप से सारे माल को हम एक खास तारीख से बिक्री-कर से मुक्त कर देंगे या उसमें जो दर बिक्री-कर की है वह कम कर दें या यह भी व्यवस्था है कि किसी खास तारीख से जो विज्ञप्ति का दिनांक है, उसके बाद जो फैक्टरी या कारखाना स्थापित हो, उससे जो माल निकलता हो सिर्फ उसी पर बिक्री कर हटा दिया जाय, या कम कर दिया जाय। इसको अगर गौर से देखा जाय तो डिसक्रिमिनेशन होता है। हमारा तो उद्देश्य है कि राष्ट्रीय महत्व के सामान को बढ़ावा दें ताकि उत्पादन ज्यादा हो। अगर हम केवल नई फैक्टरीज जो खास दिन से माल उत्पन्न कर रही हैं, उन्हीं को छूट देते हैं तो क्या इससे ऐसा नहीं होगा कि जो माल पहले से उत्पादित हो रहा है और उसी कैटेगरी का है और उसी महत्व का है तो उस पर भेद नीति होने के कारण हमारे बाजार में दो तरह की कीमतें हो जायंगी ? एक तो पुरानी फैक्टरी जो चली आ रही है और एक जो खास दिन के बाद से स्थापित हुयी है उनमें जो माल पैदा हो रहा है और एक ही कैटेगरी का, तो उसमें यदि हमने नयी फैक्टरी के माल को बिक्री-करसे मुक्त कर दिया, तो क्या दो तरह की कीमतें होने की संभावना बाजार में नहीं है और क्या इस दो प्रकार के व्यवहार से पुराने उद्योगों को क्षति नहीं पहुंचेगी ? मैं समझता हूं कि दो तरह की कीमतें बाजार में हो जायंगी और इस तरह से पूरी तरह पर माल के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती है और ऐसी आशंका इसमें है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह तो नहीं है कि डिस्ट्रिक्रमिनेशन किया जाय या एक खास तारीख के बाद से स्थापित हुयी फैक्टरी के माल को ही हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य तो यह है कि एक खास तरह के माल को जो राष्ट्रीय महत्व का है, उत्पादन बढ़े और इस उद्देश्य की पूर्ति अगर हम इस उपखंड (२) को रखते हैं तो उससे नहीं हो सकती है। इस ख्याल से मैं समझता हूं कि इस विधेयक में यह खामी मालूम पड़ती है और इसको हम ठीक से ग्रूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैंने जो संशोधन दिया था कि हमें सामान्य रूप से किसी

भी तारीख से सारे माल पर छूट दे देना चाहिये, वह मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा है और वही हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है।

दूसरे, उपखंड (१) में कुछ टाइम का खयाल रखा गया है कि किसी माल के लिये हम या तो ३ साल के लिये छूट दें या ५ साल के लिये छूट दे दें। उसमें यह बंधन रखा गया है कि हम कम से कम छूट ३ साल की तो दें और ज्यादा से छूट ५ साल की दें। इससे भी हमारा वह मकसद हल नहीं हो सकता। हम अगर ३ साल के लिये छूट देते हैं और उस बीच में ही कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जिस माल के लिये छूट दी गयी है वह ज्यादा उत्पादित होने लगता है तो हम उसे बिक्री-कर से मुक्त क्यों करें? इस ऐक्ट के पास हो जाने के बाद यह प्रतिबन्ध हो जायगा कि हम ३ साल से कम की छूट दे ही नहीं सकते और दूसरा प्रतिबन्ध यह हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा छूट हमें ५ साल की देना चाहिये। अगर हम ज्यादा समय के लिये छूट देना चाहते हैं तो वह हम नहीं दे सकते हैं भले ही वह माल उस पर्याप्त मात्रा में न पैदा होने लगा हो जो हम चाहते हैं। इन दोनों दृष्टियों से हम उस मकसद पर नहीं पहुंचते कि जो माल राष्ट्रीय महत्व का है, ज्यादा उपयोगी है उसके उत्पादन में बृद्धि हो। तो इन दोनों क्लाजेज से, जो उद्देश्य और कारण बिल में दिये हुये हैं, उनकी पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं।

अब दूसरी शंका हमारे कुछ माननीय सदस्यों को हुयी कि इससे कुछ फेवरटिज्म हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जिससे हम किसी व्यक्ति विशेष को कुछ ज्यादा प्रोत्साहन दे सकते हैं, क्योंकि आखिरकार हमने यह रखा है किसी एक खास तारीख के बाद से हम किन्हीं कारखानों को बिक्री-कर से मुक्त करना चाहते हैं। मेरे संशोधन से यह शंका भी दूर हो जाती है। अगर हम इस पर विचार करें कि सामान्य रूप से हम एक कैटेगरी के माल को बिक्री-कर से मुक्त कर देते हैं तो उसके बाद कोई इस प्रकार की आशंका नहीं रह जाती। इसलिये मैं, जो यह संशोधन आया हुआ है कि इसको प्रवर समिति मे भेज दिया जाय, इसका समर्थन करता हूं। साथ ही यदि बिक्री-कर के मामले में कुछ और विचार करना है, जैसा कि विचार किया जा रहा है, तो मैं उसके स्कोप को बढ़ाने में भी सहमत हूं। यदि हम इसके स्कोप को बढ़ाने की गुंजायश रखें तो प्रवर समिति में जाकर हम और मसलों पर भी जो अहमियत के हों, उन पर भी गौर कर सकते हैं। इस विधेयक के पास होने से यह खामी रह जाती है और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है, बल्कि यह मकसद पूरा होता है कि हम नयी फैक्ट्रीज को ही प्रोत्साहन देना चाहते हैं, और जब यह आशंका हमारे सामने रखी गयी कि हम नयी फैक्टरीज को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उनके साथ पक्षपात करना चाहते हैं तो इसका निर्मूल होना आवश्यक है। उसका निराकरण प्रवर समिति में अच्छी तरीके से कर सकेंगे क्योंकि हमारा मकसद यह नहीं है कि नयी फैक्टरीज को प्रोत्साहन दिया जाय। नयी फैक्टरीज को अगर हम लगाना चाहते हैं और उनको यहां प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो फाइनेंशियल कारपोरेशन बना हुआ है, उसके जरिये से उनको मदद दी जा सकती है और उनकी स्थापना करायी जा सकती है। तो वह मकसद हमारा उस प्रकार ही हल हो सकता है। केवल बिक्री-कर से मुक्त करके वह मकसद हल नहीं होता है। तो यह आशंका जिन लोगों को है कि हम नयी फैक्टरी को स्थापित करके उनको बिक्री-कर से मुक्त करना चाहते हैं यह प्रवर समिति में जाकर दूर हो सकती है। जो हमारा मकसद राष्ट्रीय महत्व के सामान के केटेगोराइजेशन व उत्पादन बढ़ाने का है वह भी ढंग से प्रवर समिति में ही कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का जो प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजने के लिये सदन के सामने रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये इस बिल पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं कि कुछ शंका माननीय सदस्यों को उत्पन्न होने की सी बात मुझे मालूम हुयी। माननीय विभव जी ने जो भाषण दिया उससे हमने यह अन्दाजा लगाया कि वह यह समझते हैं कि हमारी ओर से जो उद्देश्य इस बिल में रखा गया है उसका हम विरोध करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कुछ बातें इस सिलसिले में कहीं उनका कभी भी यह मंशा नहीं था कि हम सिद्धांतः जिन उद्देश्यों से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

इस संशोधन को सदन के सामने रखा है उनका हम समर्थन नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। हम उससे बिलकुल सहमत हैं। हम लोग बराबर इस बात को कहते रहे कि सेल्स-टैक्स में अगर कमी हो तो उसको जरूर कर दिया जाय। इससे हमारे यहां जो इंडस्ट्रीज हैं वह प्रदेश के अन्दर ज्यादा तादाद में कायम हो सकती हैं। वैसे तो हम जैसा कि मौर्य जी ने कहा कि यह बहुत छोटा बिल है, हम भी समझते हैं कि यह छोटा है और प्रवर समिति में जाने के योग्य नहीं है लेकिन फिर भी यह बिल अवश्य बहुत महत्व का है क्योंकि जब हमारे सामने दूसरा फाइव ईयर प्लान बन रहा है और गवर्नमेंट आफ इंडिया से इस बात की कोशिश की जा रही है कि हमारे प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े उद्योग धंधे कायम होने चाहिये और यहां पर खुलने चाहिये जिससे हमारे प्रदेश के उद्योग-धंधे बढ़ें और साथ-साथ हमारी जो बेकारी की समस्या है वह भी हल करने की कोशिश की जाय। अगर सेल्स-टैक्स को किसी प्रकार से यहां पर कम करने की कोशिश की गयी तो इससे हमारे प्रदेश के अन्दर नये उद्योग-धंधे आ सकेंगे। इसी उद्देश्य से यह बिल रखा गया है। मैं समझता हूं सब लोग पूर्ण रूप से सरकार से इस विषय में सहमत हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी ने इसलिये उसका विरोध किया था कि उनका यह खयाल है कि हमारे पास जो ऐक्ट पहले का बना हुआ है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को काफी इस बात की ताकत है कि वह जिन गुड्स पर चाहें सेल्स-टैक्स कमकर सकती है, रियायत कर सकती है, छूट दे सकती है। अगर सरकार यह समझती है कि नहीं यह बात नहीं है, उसको पावर नहीं है जिसकी वजह से सेल्स-टैक्स कम कर सके या छूट दे सके, तो अवश्य करले। सरकार की मंशा यह है कि नये उद्योग-धंधे यहां पर कायम हों और इस बिल को लाने से वह हमारी मंशा पूरी हो सकती है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में हमारा कोई भी विरोध नहीं है। माननीय नारायणदत्त जी ने एक और तर्क दिया था वह यह कि सेल्स-टैक्स की एक कमेटी भी बैठी हुयी है जिसमें हमारे बिजनेसमैन, लेजिस्लेटर्स तथा और भी बहुत से लोग हैं, वे सब उस बारे में छानबीन कर रहे हैं और छानबीन करने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे जो करीब-करीब तैयार हो चुकी है। तो उनका कहना यह था कि जब एक कमेटी के सामने ऐसा मामला है तब फिर इस हाउस के सामने एक छोटा सा मामला लाना कुछ ठीक नहीं है। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि हम लोग यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में उद्योग-धंधे हों और उद्देश्य और कारणों में भी लिखा हुआ है कि "राष्ट्रीय महत्व का ऐसा माल जिसका अभी तक इस राज्य में उत्पादन नहीं हो सका है अथवा जिसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है, तैयार करने के लिये चालू किये गये नये उद्योगों को बिक्री-कर अदा करने के सम्बन्ध में रियायतें देने के निमित्त राज्य सरकार को अधिकार देने के लिये ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है। यह रियायत मिलने पर सिर्फ नये उद्योगों की स्थापना को प्रात्साहन मिलेगा, अपितु रोजी रोजगार के नये साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे"।

तो जब इतनी चीज होगी, एक छोटा सा अमेंडमेंट पेश हो जाने से तो इस सदन का कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जो इसका विरोध करेगा। मैं तो सिर्फ उस गलतफहमी को दूर करने के लिये खड़ा हुआ था जो माननीय नारायण दत्त जी के "विरोध" कह देने से उत्पन्न हो रही थी। उनके यह कहने का कभी भी मतलब नहीं था कि जो इस विधेयक के उद्देश्य हैं हम उनका विरोध करते हैं। अगर इसमें कोई ऐसा राज भी हो जिसको सरकार हाउस के सामने न बताना चाहती हो लेकिन अगर इसके पास कर देने से हमारे प्रदेश में उद्योग-धंधों के खुल जाने की आशा हो तो हम उस मामले में भी सरकार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि सेल्स टैक्स के कारण जो जनता में असंतोष है उसको दूर करने के लिये सरकार ने पहले ही एक कमेटी बैठायी है, वह कमेटी काफी दिन से बैठी हुयी है और उसके मेम्बरान काफी छानबीन भी कर रहे हैं तो उसके अनुसार जो बिल आये उसको सिलेक्ट कमेटी के सामने भी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है; यह हाउस ही उस पर विचार कर लेगा और हम भी उसको सपोर्ट करने के लिये तैयार हैं। अगर सरकार समझती है कि इस छोटे बिल को सिलेक्ट कमेटी क्या वह ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भी भेजने के लिये वह तैयार है तो उसमें जरूर कोई राजकी बात मालूम होती है। लेकिन

कहीं यह न कहा जाय कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इसका विरोध कर रही है, इसलिये मैं यह बताने के लिये तैयार हुआ हूं कि हमें सिद्धांतः कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर सेल्स टैक्स में कमी करके हमारे प्रदेश में उद्योग-धंधे खुल सकें, कुछ बेरोजगारी दूर हो सके और उन उद्योगों को चाहे बाहर के लोग खोलें या गवर्नमेंट आफ इंडिया खोले, तो मैं इसका स्वागत ही करूंगा। मैं तो सिर्फ इसलिये खड़ा हुआ था कि माननीय नारायणदत्त जी के विरोध से किसी को कोई गलतफहमी न हो जाय। उन्होंने केवल विरोध इसलिये किया था कि उनका कहना था कि इसके लिये कमेटी बनी हुयी है और सरकार को भी ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन जहां तक प्रिंसिपल का सवाल था या जिन उद्देश्य और कारणों के हेतु बिल लाया गया है उनका तो हम लोग समर्थन ही करते हैं। किसी भी काम से, जिसके द्वारा हमारे प्रदेश की भलाई हो सकती है, उसमें हम हमेशा सरकार के साथ हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके विषय में एक सुझाव यह भी रक्खा गया था कि इसको प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय। इसके अतिरिक्त इसका विरोध भी हुआ। जहां तक इसके विरोध का प्रश्न है, मेरे मित्र माननीय उपाध्याय जी ने भी अभी इसके संबंध में काफी कह, दिया है और इस विषय में उन्हीं के दल के माननीय सदस्य तिवारी जी ने जो बातें रक्खीं उनका खुद ही उपाध्याय जी ने उत्तर दे दिया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। जहां तक इस विधेयक में संशोधन का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में दो चार बातें निवेदन करूंगा। इसके उद्देश्यों के बारे में ज्यादा मतभेद नहीं हो सकता। हालांकि यह बिल बहुत छोटा सा है लेकिन मैं इसको काफी महत्वपूर्ण समझता हूं। हमारे प्रान्त के कई जिलों में पहले ऐसे उद्योग-धंधे थे जो पिछले ५०, ८० या १०० वर्ष में बन्द हो गए और उनमें रुकावटें आ गईं और किन्हीं कारणों से वे खुले बाजार में दूसरे उत्पादकों का मुकाबला न कर सके, उनका बनाया हुआ माल बन्द हो गया या उसकी मात्रा बहुत कम रह गई। अब इस बात की आवश्यकता है कि इसके बारे में जांच पड़ताल हो कि हर जिले में या हर क्षेत्र में अगर फिर से वह उद्योग-धंधे जारी किये जायं तो उससे जनता का लाभ होगा और उन चीजों का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि जहां जरूरत हो ऐसे उत्पादन के लिये सरकार की ओर से मदद की जाय और उनको सेल्स-टैक्स से बरी कर दिया जाय, जाहिर है कि ऐसा करने से उनकी बिक्री में कुछ मदद मिलेगी।

श्री तेज प्रताप सिंह ने जो प्रश्न उठाया है वह गौरतलब है। उनका खयाल है कि अगर इस तरह से छूट दी गई तो मुमकिन है कि कहीं-कहीं इसका उल्टा असर हो। जहां तक उनका मतलब मैं समझा हूं वह यह है कि फर्ज कीजिए कि किसी जिले में बरतनों का काम नये सिरे से आगे बढ़ाया जा रहा है और वहां पर सरकार ने सेल्स-टैक्स में छूट दे दी तो उनकी राय में यह भी मुमकिन हो सकता है कि मुरादाबाद में बर्तनों के व्यापार में धक्का लगे या और कहीं अगर वह कारबार होता है तो उस पर आंच आ जाय। इस बिल में कोई इस तरह की सूची नहीं दी गई है जिसमें बताया गया हो कि फलां-फलां उद्योग-धंधों पर सेल्स-टैक्स की छूट दी जायगी। इस बात को सरकार ने अपने हाथ में रखा है। पहले ऐक्ट में इस प्रकार का कोई अधिकार सरकार के हाथ में नहीं था कि सरकार अगर छूट देना चाहे तो दे दे लेकिन इस बिल की मारफत यह अख्तयार दिया जा रहा है। गवर्नमेंट जहां कोई खास शक्ल या सूरत पैदा होते देखेगी तो छूट देगी। मेरे खयाल में जब यह मामला आयेगा कि किस खास उत्पादन पर कहां सेल्स-टैक्स की छूट दी जाय तो सरकार गौर करेगी कि इस छूट से किसी दूसरे जगह के कारबार को कोई धक्का तो नहीं लगता क्योंकि यह छूट सिद्धान्ततः उन्हीं उद्योगों में दी जायगी जो फाटेज इंडस्ट्री की शकल में हैं और उनकी मिकदार ज्यादा न होगी। इसलिये किसी मुकामी कारबार में यह छूट दी गयी तो यह लाजमी नहीं है कि उसका असर तीन-चार जिलों के फासले की चीजों पर पड़े। लेकिन यह एक ऐसा मसला है कि सरकार छूट देते वक्त इस पर गौर करेगी और यह कोई जरूरी

[श्री शिवनाथ काटजू]

नहीं है कि इन सब बातों को इस बिल के अन्दर रखा जाय। बिल में केवल सरकार को अधिकार दिया गया है कि जहाँ वह मुनासिब समझे इस छूट को लगा दे। मेरे खयाल में ऐसे अधिकारों का जब कभी लागू करने का समय आयेगा तो जितनी बातें हैं उन सब पर सरकार गौर करेगी। यह सदन भी इस सिद्धान्त को स्वीकार करेगा कि इस प्रकार की छूट देना बाज जगह बहुत जरूरी साबित हो और उसकी वजह से नये-नये धन्धे पनप सकें। मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि ऐसे बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय क्योंकि इसमें कोई ज्यादा डिटेल की बात नहीं है जिसमें वहां उस पर गौर हो सके। यहां जो तीन और पांच वर्ष तक की छूट देने की मियाद रखी गयी है वह बहुत माकूल मालूम पड़ती है और मैं समझता हूं कि जिस शक्ल में यह विधेयक इस सदन के सामने रखा गया है वह बहुत मुनासिब है और सदन इसको स्वीकार करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं बैठा हुआ सुन रहा था सेल्स-टैक्स विधेयक पर इस विवाद को लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि आजकल जब हम यह तय करने जा रहे हैं कि हमें इंडस्ट्रीज को इस पंचसाला योजना में तकवीयत देना है तो जरा सी भी गुंजायश उसमें हो सकती है तो क्यों न की जाय। मैंने मौर्य साहब को भी और दूसरे साहबान की तकरीर को भी सुना। जो साहबान इंडस्ट्रीज से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं वह जानते हैं कि जब कोई नयी इंडस्ट्री शुरू करते हैं वह आना पाई का हिसाब लगाते हैं। वह यह देखते हैं कि कितना मुनाफा होगा और उसको किस तरह से चलायेंगे। सेल्स-टैक्स हो या कोई टैक्स हो जो भी हो, उसका डिपार्टमेंट यह समझेगा कि किस तरह से उस इंडस्ट्री की मदद करना है तो वह उस चीज पर टैक्स की छूट दे सकते हैं और वह उस इंडस्ट्री को तक्वीयत दे सकते हैं। इसमें रियायत भी हो सकती है और एक्जेम्प्शन भी हो सकते हैं और यों तो एक्जैम्प्शन का कानून पहले से मौजूद है। जिन्होंने उस कानून को देखा है उनको मालूम है कि उसमें एक लिस्ट मौजूद है और उसमें जो चीज मौजूद है उन्हीं पर कार्यवाही हो सकती है लेकिन जो चीज चलती है उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। इसलिये जो लोग इन्डस्ट्री शुरू करेंगे वह नहीं बता सकते कि हम पर क्या टैक्स लगेगा। वह अगर सरकार से पूछे कि हमको यह इंडस्ट्री शुरू करना है उस पर क्या टैक्स लगेगा, तो सरकार को यह कुछ न कुछ खयाल रखना है कि इन चीजों पर तीन साल या पांच साल की छूट देनी है, क्योंकि जो व्यापार करते हैं उनका एक अलग विभाग टैक्स के लिये बनाना पड़ता है उसका खर्चा बनाना पड़ता है। ट्रेजरी में उनका आदमी जाता है, वहां दिन भर लगाता है फिर इम्पोरियल बैंक में जाना पड़ता है। तो जो आदमी इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखते हैं उनको यह देखना होगा कि किस-किस तरह से उनको रियायत हो सकती है। मौर्य साहब ने अपनी स्पीच में बताया कि एक व्यापारी जब आता है और समझता है कि उसको इस सेल्स-टैक्स को देना पड़ेगा। तो वह खरीदने में हिचकिचाता है, हिचकिचाहट खरीदने में और सेल में आ जाती है और इससे सेल कम हो जायगी तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी? मैं समझता हूं कि यह जरूरी है। यह जो बात आयी है कि इस वक्त जो कमेटी बनी है उसके लिये रुका जाय लेकिन उससे इसका कुछ ताल्लुक नहीं है। वह डिटेल में जा रही हैं; वह जो कुछ होगा उस को तो करेगी लेकिन जो आज इंडस्ट्री को शुरू करना चाहते हैं उनको मालूम हो जाना चाहिये कि गवर्नमेंट ने ऐसा कानून पास कर दिया है और अब इसकी इजाजत ले सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि हमको इस कीमत पर चीज पड़ेगी और इस कीमत पर बेच सकते हैं। लिहाजा मैं यह समझता हूं कि जो साहबान इसके विपक्ष में बोले हैं शायद उनको कुछ शुबहा इधर-उधर का हो गया है इसलिये यह सब हुआ। मैं समझता हूं कि यह विधेयक बहुत जरूरी है और फौरन् इसको लागू हो जाना चाहिये।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रूखाबाद)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---मैं समझता हूं कि यह विधेयक बहुत महत्व का है और इस पर अभी और बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---यह बहुत छोटा सा विधेयक है और इस पर काफी बहस हो चुकी है फिर प्रस्ताव भी उपस्थित हो चुका है।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---९८

विपक्ष में---१२।)

***श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं और वह यह कि इस विधेयक को जल्द पास कराने की बड़ी इच्छा है हमारे माननीय सदस्यों को तो मैं चाहता हूं कि अब ५ या १० मिनट जो हमारे वित्त मंत्री जी जवाब देने में लगायेंगे वह समय भी बचा लिया जाय तो अच्छा होगा। यह आप की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें नियम १७६ है जिसमें बिल्कुल आपकी इच्छा पर है। अगर किसी सदस्य को नियम के मुताबिक जवाब देने का भी अवसर मिलता हो तो आपकी इच्छा पर है कि दें या न दें। तो मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब वित्त मंत्री जी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। बगैर उनके उत्तर दिये हुये यह विधेयक वोट के लिये प्रस्तुत कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो इस विषय पर बोलने न बोलने की स्वतंत्रता वित्त मंत्री जी पर ही छोड़ना चाहता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बहस इस बिल के संबंध में सुनी उसमें से एक बात जो उधर से कही गयी और जिसको कुछ और भाइयों ने भी दोहराया वह यह है कि इस बिल का विरोध इसलिये किया जाय कि कमेटी सेल्स-टैक्स पर इस वक्त बैठी हुई है। उसके सामने यह भी सवाल जा सकता था और उस पर उसका फैसला होने के बाद कोई कार्यवाही कानून बनाने के मुताल्लिक हो सकती थी। लेकिन राज-नारायण जी ने इत्तफाक से एक बहुत सही बात कही कि उस कमेटी से इस सवाल का कोई वास्ता नहीं है। एक गलतफहमी यह है कि जो कानून अब है उस कानून में गवर्नमेंट को यह अख्तियार है कि वह अगर इन चीजों को इस हालत में, जिसमें इस बिल में लिखा हुआ है, मुस्तसना करना या किसी सेल्स टैक्स की शरह को घटाना, तो वह कर सकती है। यह बात सही नहीं है। इस वक्त के कानून में जो अख्तयार है वह लफ्ज गुड्स को पढ़ा जा रहा था इधर से। गुड्स के मुताल्लिक है, कमोडिटीज के मुताल्लिक है, मसलन यह कहा जाय कि कपड़े को, जूते को, मेज को, कुर्सी को किसी खास चीज को मुस्तसना किया जाय तो गवर्नमेंट को उसके मुस्तसना करने का अख्तियार है। लेकिन मेरे दोस्त इधर से अभी तकरीर फर्मा रहे थे वह उधर बैठ गये हैं और वह बहुत ठीक बात कह रहे थे कि अगर आज गवर्नमेंट यह चाहे कि काटेज इंडस्ट्रीज को मुस्तसना करे तो उसके मुस्तसना करने का अख्तियार इसको नहीं है। किसी खास काटेज इंडस्ट्री की पैदावार को, उस चीज के नाम से जो चीज वह पैदा करती है, मुस्तसना करना तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

दूसरी बात है। चुनांचे अभी इसी साल के अन्दर और उससे पिछले साल में १३-१४ चीजों को गवर्नमेंट ने अपने उस अख्तियार के मातहत मुस्तसना किया है। तो वह अख्तियार जो इस कानून के जरिये से गवर्नमेंट हासिल करना चाहती है वह अख्तियार गवर्नमेंट को नहीं है। वह गवर्नमेंट क्यों लेती है अख्तियार? मैंने अपने नजदीक यह समझा कि वह एक ऐसी बात है जिसको कि एक तो हर शख्स वेलकम करेगा, उसको अच्छा समझेगा। दूसरी बात यह भी है उसके मुताल्लिक किसी किस्म की कोई बदगुमानी नहीं होगी। लेकिन जो बहस यहां हुई उस बहस से मैं यह समझा कि तबीयतों में बदगुमानी भी पैदा हुई और इस किस्म की बदगुमानी भी हुई जैसे मेरे भाई ने इधर से फरमाया कि वित्त मंत्री ने ठा० मलखान सिंह साहब से कोई साजिश कर ली और साजिश कर के यह कह दिया कि समिति में भेजे जाने का उनका प्रपोजल है उससे वह इत्तफाक करते हैं या उधर से जोरावर सिंह साहब ने तजवीज़ पेश की कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मैंने उसमें एतराज नहीं किया ऐसी बात नहीं। दूसरे इधर से यह बात कही गई। उसके कहने वाले मेरे भाई राजनारायण साहब हैं, वे तो बहुत खुली बात को कहते हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में इस किस्म का अख्तियार जाना, जिस किस्म का अख्तियार इस कानून की रूह से जा रहा है, बहुत ही खतरनाक बात है और इस अख्तियार को गवर्नमेंट के हाथ में नहीं जाना चाहिये। मैं अर्ज करूं, जैसा लिखा भी है, बात तो थोड़ी सी है और वह बात इस जमाने में मेरे नजदीक ऐसी अहम और जरूरी है कि उसके लिये हर शख्श को तैयार होना चाहिये। क्या है वह बात? हमने सुना पिछले दिनों कुछ चर्चा अखबारों में हुई, हमारी जबानों पर भी आयी कि हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां हैवी इंडस्ट्री भी हो और हमारे यहां छोटी इंडस्ट्री भी हो, जिसको स्माल कोटेज इंडस्ट्री कहा जाय या काटेज इंडस्ट्री कहा जाय, जो कुछ भी कहा जाय, उस में हमारे यहां अलग तरक्की हो। जो मौजूद है हमारे यहां इस वक्त उनके अलावा और नई इंडस्ट्री हो ताकि हमारे यहां जो बेरोजगार आदमी हैं उनको रोजगार मिले और जो पहले से बनी हुई है उनमें इजाफा हो और उसी के साथ हमारे यहां हैवी इंडस्ट्री भी आये। अब अगर मैं यह कहूं कि स्टील इंडस्ट्री कोई शख्स बनायेगा यहां तो मैं उसको यह रियायत दूंगा। हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से इस बात की कोशिश की कि हमारी इस स्टेट को हैवी इंडस्ट्री मिले। उसमें अभी तक हमको कामयाबी नहीं हुई। हम अपने रिसोर्सेज को और अपने पास जो रुपया हो सकता है और जो खर्च हम कर सकते हैं उसके लिहाज से हम इस बात को बहुत मुश्किल समझते हैं कि हम काटेज इंडस्ट्रीज को भी और दूसरे किस्म की इंडस्ट्रीज को कर सकें और बड़ी इंडस्ट्रीज को उस तरीके से कायम कर लें जिस तरीके से कोई पैसे वाला कर सकता है। तो हमारे जो भाई हिन्दुस्तान के अन्दर या हमारी स्टेट के अन्दर रहते हैं उनकी इमदाद तलाश करें जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनकी इमदाद तलाश करें, इसलिये कि हमारे यहां किसी किस्म की, बड़े किस्म की इंडस्ट्री, कायम हो सके। तो उनको एट्रेक्ट करने के लिये, अपनी तरफ बुलाने के लिये कि वे इस काम को हमारे यहां करें अगर इस किस्म की रियायत उनको दें जो रियायत उनके काम में मुफ़ीद हो और उनको यह तरक्की दिलाते हुये कि वे कुछ अर्से तक निहायत कामयाबी के साथ इस काम को आपकी स्टेट के अन्दर कर सकेंगे तो सोचने की बात है वह काम किया जाय या नहीं। अब सवाल यह होता है कि वह कौन हो जिसको इसका अख्तियार दिया जाय। मैं नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट को अख्तियार दे दें। अगर आप किसी और से करा सकते हों तो उससे करा लीजिये। दुनियां में सिवाय इस गवर्नमेंट के और कोई गवर्नमेंट कहीं नहीं करती है। और यों तो इन्सान के हर काम के ऊपर इस किस्म के शुबहे किये जा सकते हैं जिस किस्म के शुबहे यहां जाहिर किये गये अपनी तकरीरों के अन्दर। तो इससे मक़सद किसी खास शख्स को पैट्रोनाइज करने या किसी खास शख्स को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है। बिजली के अन्दर हम कर सकते थे और हमने एलान कर

दिया कि अगर कोई शख्स यहां इंडस्ट्री लगाये जो हमारे यहां नहीं है और उसको बिजली की जरूरत है तो हमने उसको २५ फीसदी की रियायत दे दी, ताकि स्टेट को फायदा हो, इस स्टेट के अन्दर इंडस्ट्री आये यहां लोग काम करने वाले मुतवज्जह हों और यहां पर मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री खुलें। मसलन जैसे बिजली का सामान है, जो आज कल बिजली के पावर हाउस बन रहे हैं उनमें टरबाइन्स लगते हैं वे यहां नहीं बनते। लेकिन हम चाहते हैं कि यहां बनायें। यहां वह आयें और इस किस्म की इंडस्ट्रीज को कायम करें। हम शायद किसी से इसके मुताल्लिक कुछ बातचीत भी करते हों, चाहते हों कि कोई शख्स इस किस्म के काम यहां करने लगें, तो उनके लिये अगर इस किम्म के काम करने की जरूरत हो तो उसको न इस शुबहे की नजर से देखना चाहिये और न उसको ऐसी चीज समझनी चाहिये कि वह किसी किस्म की ऐसी बात है कि गवर्नमेंट किसी साजिश के मातहत कोई चीज करने जा रही है। तो जहां तक उस कमेटी का ताल्लुक है जिसका कि हवाला दिया गया और जहां तक कि मौजूदा कानून का ताल्लुक है, कानून में यह अख्तियार नहीं है। उस कमेटी से इसका कोई मतलब नहीं है। यह तो जो मैंने बात की, वह सीधी सादी बात है। तो मैं समझता हूं कि हम इस मामले को जैसा कि वह है उसी नजर से देखें। उसमें यह शुबहा हुआ कि सिलेक्ट कमेटी में काहे के लिये जाय। सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मैंने एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेज दो, मैंने उस पर कोई एतराज नहीं किया और इस लिये नहीं किया कि अगर इस हाउस के मेम्बरान की यह ख्वाहिश हो कि इस मामले पर और ज्यादा छानबीन हो तो मैं क्यों उसमें एतराज करूं, अच्छा है, भेज दिया जाय। अगर मैं खड़ा हो कर के यह कहता कि मैं सिलेक्ट कमेटी में भेजने का अपोज करता हूं तो कहा जा सकता था कि साहब, दाल में कुछ काला नजर आता है। लेकिन जब मैंने इत्तफाक कर लिया तब तो यह सब कहा गया और जब मैं यह कहता कि नहीं साहब, मैं नहीं मंजूर करता हूं, इस बात को, क्यों यह सिलेक्ट कमेटी में जाय, क्यों ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, तब पता नहीं क्या कहा जाता! तब तो यह बात भी हो सकती थी कि जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन मैंने तो इसे मंजूर कर लिया कि भेज दिया जाय, अगर ज्यादा छानबीन की जरूरत कोई समझता है तो वह कर ले, इसमें अगर कुछ दिन और लग जाते हैं तो लग जायें, जितनी छानबीन यहां हुई है उससे कुछ ज्यादा छानबीन वहां हों सकेगी, वह हो जाय। अगर किसी को कोई शुबहा बाकी हो तो वह वहां चलकर अपना शुबहा दूर कर लें और उसके लिये जो कुछ भी वे बतलायेंगे वह भी किया जा सकेगा। इसलिये मैं तो कुछ यह एतराज की बात इसमें समझा नहीं कि क्यों यह सिलेक्ट कमेटी में न भेज दिया जाय, भेज दें।

जहां तक कि देर का प्रश्न है, तो इसमें इतना सवाल जरूर है कि अप्रैल में नया साल आ रहा है, नये प्लान का काम शुरू करना है और अगले प्लान का जुज जो है, वह इंडस्ट्री है। तो उसकी तैयारी में जो कुछ भी हम पहले से कर सकते हैं वह हम जल्दी से जल्दी कर लें तो अच्छा है। जो बात उसके लिये करनी जरूरी है वह उस वक्त तक हम कर दें, जिससे कि कोई अपना प्लान सोच रहा हो तो वह अपना काम वक्त से शुरू कर सके। इतनी बात है महज, जो मैंने रख दी। मगर उसके लिये दस-बीस दिन में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिये मैंने उसको मंजूर कर लिया। लेकिन जहां तक कि उस अमेंटमेंट का ताल्लुक है जो राजनारायण साहब की तरफ से पेश हुआ, जिसमें यह कहा गया कि इस बिल के स्कोप को बढ़ा दिया जाय, तो इस बिल का स्कोप जो मैंने अर्ज किया वह सिर्फ उतना ही है कि इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिये हम किसी किस्म की रियायत दें या नहीं दें, सिर्फ यह एक सवाल है। बाकी और जितनी बातें उसमें हैं उनमें से किसी से भी इसको मिलाया नहीं जा सकता। यह बिल्कुल एक नये किस्म की, एक अनोखी बात है जिसका और किसी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो यह समझता था कि जब एक फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से इस बिल को लेकर हाउस के अन्दर जाऊंगा जिसमें कि मैं अपनी ही आमदनी को कम करने की बात कर रहा हूं तो लोग समझेंगे कि बड़ी उम्दा बात है और इसको बगैर किसी एतराज के मंजूर कर लेंगे, क्योंकि एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर क्यों कहे कि हम टैक्स कम करने

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

के लिये या माफ करने के लिये तैयार हैं, लेकिन इतना वक्त इसमें गुजर गया, खैर अच्छा हुआ। मेम्बरान बोलना चाहते थे, उन्होंने अपने खयालात का इजहार कर लिया। मैं सब बातों का जवाब तो देना चाहता नहीं। एक एतराज इन्हीं का यह था कि साहब इसकी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को पहले से अख्तियार है, तो मेरे नजदीक यह अख्तियार नहीं है। मैं समझता हूं इसको मंजूर किया जाय। इस बिल को मंजूर किया जाय। अगर वे कोई मोशन पेश करें तो मैंने तो गवर्नमेंट का ऐटीच्यूट अपनी तरफ से अर्ज कर दिया है कि अगर वह साहब जिनका कि मोशन है सिलेक्ट कमेटी के लिये और उसके अन्दर तरमीम भी थी श्री जोरावर सिंह की, अगर वह उसको मंजूर करते हों तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से एतराज नहीं करता और उनके रास्ते में खड़ा नहीं होता हूं। हाउस इसको भेजना चाहें तो जरूर भेजे।

श्री उपाध्यक्ष---वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव पर तीन संशोधन हैं। मैं सब से पहले श्री राजनारायण जी के संशोधन को राय के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री मलखान सिंह---मेरा संशोधन जब प्रवर समिति में जाने का मंजूर होगा, तब यह पेश होगा।

श्री उपाध्यक्ष---वह स्कोप बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका प्रस्ताव सब से पहले सदन के सामने प्रस्तुत होना चाहिये।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५, को सिलेक्ट कमेटी के पास उद्देश्य और कारण की सीमा को बढ़ाने का अधिकार देते हुए भेज दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश विक्री-कर संशोधन विधेयक, १९५५, को एक संयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee) के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट ४५ दिन के भीतर पेश कर दे। समिति के सदस्यों की नामावली बाद में पेश की जायगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---९२

विपक्ष में---०।)

श्री मलखान सिंह---श्रीमान् जी, मेरे संशोधन का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष---आपने तो उनका संशोधन स्वयं स्वीकार किया है। आपका प्रस्ताव केवल प्रवर समिति के लिये था, दूसरा प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति के लिये था। इसलिये वह स्वीकार किया गया। नामावली बाद को प्रस्तुत की जायगी।

*उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४

†मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

इस विधेयक की बात बड़ी सीधी है। सिनेमा के सम्बन्ध में एक पुराना कानून था, १९१८ का। अब जो नया कांस्टीटचूशन हमारा बना तो उसमें सिनेमा से सम्बन्धित कामों के दो टुकड़े हो गये। एक हिस्सा तो वह है जिसका सम्बन्ध फिल्म्स को सर्टिफाई करने से है कि यह फिल्म दिखलाने योग्य है या नहीं। यह काम तो केन्द्रीय सरकार के अधीन है, शेडचूल में उनके पास है। उन्होंने २-३ जगहों पर सेन्सर बोर्ड रखे हैं। जो भी नया फिल्म आता है वह बोर्ड के सामने पेश होता है। बोर्ड अगर उसको ठीक समझता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है और वह दिखलाया जाता है और उसमें यह लिखा रहता है कि सर्टिफाइड ....हम में से जिन लोगों ने सिनेमा देखा है वे जानते ही हैं कि उसमें क्या लिखा रहता है। तो वह काम तो केन्द्रीय सरकार के पास है। लेकिन सिनेमा घर, जहां कि फिल्म दिखलाये जाते हैं, उनको लाइसेंस देने का काम प्रादेशिक सरकारों के पास आ गया है। १९५२ में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने १९१८ वाले कानून को संशोधित किया। और नियम करीब करीब वही रखे लेकिन नया कांस्टीटचूशन बन जाने के बाद उन्होंने उसको थोड़ा सा बदल दिया और लाइसेंस देने के नियम भी बना लिये,

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जिनको कि क्लास सी० स्टेट्स में, जो कि सीधे गवर्नमेंट आफ इंडिया के अधीन हैं, लागू कर दिया। तो अब जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके लिये जरूरी हो गया कि कांस्टीटचूशन के मुताबिक अपने अपने यहां भी लाइसेंसिंग के सम्बन्ध में कानून बना लें। इसी वजह से यह कानून बनाया गया है, जो इस वक्त सदन के सामने विचार के लिये पेश है। इसमें करीब-करीब वही सब बातें हैं, जो १९१८ के कानून में थीं और जिनको १९५२ के कानून में रखा गया है, उनमें सिद्धान्त की बात नई नहीं है, और मुझको ऐसा विश्वास है जैसा कि अभी अपने जोवियल मूड का सदन ने परिचय दिया है, उसमें जो मैंने प्रस्ताव रखा है वह बहुत जल्दी स्वीकृत हो जायगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन के सिद्धान्त से पूर्णतया सहमत हूं, बल्कि मेरा विचार तो यह है कि जो विधेयक आज प्रस्तुत किया गया है यह आज से बहुत पूर्व ही आ जाना चाहिये था, क्योंकि विधान १९५१ के शुरू जनवरी से लागू हुआ है और आज १९५५ है और यह विधेयक १९५४ में प्रस्तुत कर दिया गया था। विधान की प्रक्रिया के अनुसार , विधान की धाराओं के अनुसार जो हमारे राज्य में कानून में परिवर्तन होने चाहिये थे, उसमें विलम्ब होना बहुत शोभा नहीं देता था, तो आज अगर हम संविधान की इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं, तो अच्छा ही है। जहां तक इस ऐक्ट की धाराओं का ताल्लुक है, मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि उनका रूप वैसा ही है जैसा कि १९४८ के विधेयक में सिनेमाटोग्रेफेटिक ऐक्ट में थीं। उनमें बहुत परिवर्तन किया गया है। लायसेंस के सस्पेंशन के सम्बन्ध में, नियमों के सम्बन्ध में और जो कभी-कभी सरकार की ओर से सिनेमाओं को आदेश दिये जाते हैं, इस सम्बन्ध में धारायें बढ़ा दी गई हैं। और जहां तक लायसेंसिंग अथोरिटी का

---

* १० फरवरी, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रश्न है, उसमें दो मानी गई हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और दूसरी कोई भी ऐसी अथौरिटी जिसे राज्य सरकार लायसेंसिंग अथौरिटी बनाये। मेरे विचार से जिला मजिस्ट्रेट को यह कार्य देना उपयुक्त नहीं होगा, बल्कि लायसेंसिंग अथौरिटी बना कर जैसा कि खंड ४ के प्रोविजन में लिखा हुआ है कि लायसेंसिंग अथौरिटी बनाई जायगी। चाहे वह एक व्यक्ति हो या दो तीन व्यक्ति हों, उन्हीं के हाथ में लायसेंस वगैरह देने का अधिकार होना चाहिये। जिला मजिस्ट्रेट को इतना समय नहीं होता कि वह ठीक तरह से जांच करा सके या इस विधेयक की मंशा को पूरी कर सके। इसलिये मेरा विचार है कि वर्तमान आवश्यकता को देखते हुये जिला मैजिस्ट्रेट के हाथ में यह शक्ति नहीं रहनी चाहिये।

दूसरी बात जो इस विधेयक के खंड ५ से सम्बन्ध रखती है कि जो ऐडवरटाइजमेंट सिनेमाओं द्वारा होता है इसके सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि जो सिनेमाघरों में विज्ञापन किये जाते हैं, उनके लिये कुछ नियम होने चाहिये। यह प्रश्न उनके निजी व्यवसाय से सम्बन्ध रखता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रोक तो होनी ही चाहिये। अगर रोक न कहना चाहें तो स्पष्ट नियम होने चाहिये जिनके आधार पर विज्ञापन सिनेमाओं में दिखाये जायं, क्योंकि आज के युग में प्रचार एक अत्यन्त ही प्रचलित और व्यापक माध्यम बन गया है। अगर उसमें किसी प्रकार की अश्लीलता आती है या ऐसी कोई बात होती है, जो नैतिकता के लिए अशोभनीय हैं तो इस पर विचार करना चाहिये कि किस प्रकार से विज्ञापन दिखाये जा सकें और किस सीमा तक उनका उपयोग हो सकता है। शायद इसमें यह प्रश्न उठे कि यह विज्ञापन का प्रश्न तो सर्टिफिकेट से सम्बन्ध रखता है जो कि केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय पार्लियामेंट के कानून बनाने की सीमा के अन्दर है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने नियमों में भी इस बात की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ जहां पर इस बात की व्यवस्था की गई है कि लाइसेंस किन्हीं हालतों में रद्द किया जा सकता है तो वहीं पर स्थान की बात भी लिखी गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगर किसी सिनेमाघर के चारों तरफ का वातावरण बिगड़ जाने का अन्देशा हो तो उस हालत में भी सिनेमाघर का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिये। मिसाल के लिये किसी सिनेमाघर के पास अगर होस्टल है या कोई शिक्षा संस्था है या कोई विशिष्ट प्रकार के क्लासेज खोलने की योजना है तो उसके वातावरण में और सिनेमा के वातावरण में हम जानते हैं कि बहुत फर्क रहता है और अगर वे दोनों पास-पास रहीं तो शिक्षा संस्थाओं को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके लिये वहां पर स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिये कि ऐसी अवस्था में सिनेमाघरों का लाइसेंस रद्द कर दिया जायगा। इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

जहां तक जुर्माने का सम्बन्ध है, वह १०० रुपये से बढ़ा कर ५०० रुपया कर दिया गया है। मैं इस बात का हामी हूं कि दंड अवश्य कड़ा मिलना चाहिये लेकिन ५०० रुपया रोजाना का दण्ड कुछ अधिक प्रतीत होता है। अगर १०० रुपये के बजाय २०० रुपया कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि काफी होगा। इसके साथ ही साथ जो इसमें नियंत्रण की प्रणाली है, सिनेमाघरों के इंस्पेक्शन की व्यवस्था है, वह नहीं के बराबर है। सिगरेट, बीड़ी, इत्यादि के सम्बन्ध में जो हमने एक विधेयक पारित किया था, उसके लिये कुछ इंस्पेक्टर अवश्य हैं लेकिन सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट की धाराओं के अनुसार सिनेमाघर कार्य कर रहे हैं या नहीं इसकी देखभाल के लिये, इंस्पेक्शन के लिये कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। इस विधेयक में यह स्पष्ट किया जाना चाहिये था कि इंस्पेक्शन की व्यवस्था क्या होगी, इसका विधान

क्या होगा और इसकी रिपोर्ट किस के पास भेजी जायगी और उसका क्या होगा। यह न तो विधेयक में स्पष्ट है और न आज तक के जो प्रचलित नियम हैं उनमें ही स्पष्ट है। इस बात के स्पष्ट होने की अत्यन्त आवश्यकता है। साथ ही साथ जो इसमें कम्पनी की परिभाषा दी गई है और जो डाइरेक्टर की परिभाषा दी गई है, वह मैं समझता हूं कि अपूर्ण है। डाइरेक्टर केवल एक पार्टनर माना गया है कम्पनी ऐक्ट में। अगर इसमें वही परिभाषा शामिल कर ली गई होती तो अच्छा होता। पार्टनर को भी डाइरेक्टर मानना चाहिये और तभी मैं समझता हूं कि हम अच्छा नियंत्रण कर पायेंगे। इसमें एक शक्ति राज्य सरकार ने अपने हाथ में ली है कि वह ऐक्ट की किसी भी धारा को या सारे ऐक्ट को किसी विशेष सिनेमा के लिये या सिनेमा-घरों के लिये छूट दे सकती है कि वह ऐक्ट वहीं लागू नहीं होगा। यह राज्य सरकार के हाथ में एक असाधारण शक्ति है। यह एक शिकायत की बात भी हो सकती है कि अगर हमने किसी खास सिनेमाघर के लिये इस प्रकार की आज्ञा निकाल दी कि उस पर यह ऐक्ट या उसकी कुछ धारायें लागू न होंगी तो उसका क्या परिणाम होगा यह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यह मैं समझता हूं कि जो इसमें खंड १० है, उसके अनुसार सरकार अधिकार अपने हाथ में ले रही है। यह विधान की परम्परा के विरुद्ध प्राविजन किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस साधारण अधिकार को वह कम से कम रद्द करने की कृपा करें। इस प्रकार का अधिकार, मैं समझता हूं, डिस्क्रिमिनेशन करने वालों के लिये शक्ति पैदा करेगा और किसी प्रकार से वाञ्छनीय नहीं होगा।

इस विधेयक में एक वैधानिक प्रश्न भी उत्पन्न होता है। वह यह है कि खंड १२ के जरिये आप सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट, १९१८, को रिपील करना चाहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या हम ऐसे ऐक्ट को रिपील कर सकते हैं, जो कि पहले से ही रिपील्ड है। जब पार्लियामेंट ने सन् १९५२ में सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट बनाया तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट, १९१८, को रिपील करते हैं। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि :—

"Provided that in relation to part A States and part B States the repeal shall have effect only in so far as the said Act relates to the sanctioning of cinematograph films for exhibition".

मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें खंड १२ इस प्रकार से लिखा गया है उसमें सेन्ट्रल ऐक्ट की भावना का ध्यान रखा गया है, नहीं तो जो शब्दावली उसमें प्रयुक्त की गयी है, उसका प्रयोग न किया गया होता। इसमें प्रश्न उठता है कि क्या हम किसी केन्द्रीय ऐक्ट को स्वयं रिपील कर सकते हैं, जब कि उसका रिपील होना पार्लियामेंट के ही हाथ में हो। तो मैं यह चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस वैधानिक प्रश्न को स्पष्ट कर दें या वैधानिक दृष्टिकोण हमें इस सम्बन्ध में जो रिपील के लिये आवश्यक हों, उसको अपनायें। चाहे वह प्रेसीडेंट के जरिये से या पार्लियामेंट के जरिये से हो, जो भी उचित तरीका हो वैधानिक, मर्यादा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उसको अख्तयार करने का प्रयास करना चाहिये। उसके आधार पर प्रस्तुत संशोधन जो रखा गया है, उसके लिये वैधानिक मर्यादा का पालन हो सकेगा। ऐसा कार्य न करें जिसको केन्द्रीय विधान ही कर सकता है और जिसको हम अपने विधान के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं और जिन विशेष तथ्यों के प्रश्न उठाये गये हैं, उनकी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता था कि जो १९१८ का ऐक्ट है और जिसको निरस्त करने की बात है वह क्या सेंट्रल ऐक्ट है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—जी हां, वह सेंट्रल ऐक्ट है।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, आज पहले पहल मुझे इस सदन में इन चलचित्रों के संबंध में इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला है जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि मैं अपने विचारों को माननीय मुख्य मंत्री के सामने उपस्थित करूं। मान्यवर, माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने आपके द्वारा सदन का ध्यान और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये चलचित्रों की खराबियों की तरफ ले जाने की चेष्टा की है। मैं भी माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान चलचित्रों की तरफ, जो आज प्रचलित हैं, ले जाना आवश्यक समझता हूं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक के लिये कुछ गुंजाइश होना आवश्यक था। जहां तक चलचित्रों द्वारा वांछनीय प्रचार का संबंध है आज भी लखनऊ नगर में एक चलचित्र में यह दिखाया जा रहा है कि विटेमिन बी० डालडा वनस्पति में शुद्ध देशी घी से भी अधिक है। इसके नकशे बनाये गये हैं और विटेमिन बी० का बाहुल्य उसमें शुद्ध घी से भी अधिक दिखलाया गया है। इसी तरह से एक दूसरे चलचित्र में दिखाया गया है, उस में एक बीड़ी का प्रचार है उसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन उस के अन्त में कहा गया है कि इस के पीने से जिन्दगी, स्फूर्ति और ताकत की वृद्धि होती है और वह शायद २२ नम्बर की बीड़ी है। मैं इन दोनों चीजों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि कोई भी वैज्ञानिक इस बात को मानने को तैयार न होगा कि डालडा में शुद्ध घी से अधिक विटेमिन बी० है और बीड़ी या स्मोक की जाने वाली चीजों से जिन्दगी, स्फूर्ति और ताकत मिलती है, लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चलचित्रों में इस तरह का प्रचार जारी है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सरकार के पास ऐसे अधिकार होने चाहिये और इस बिल में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि इस प्रकार के गलत प्रचार जो जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं और जो व्यवसाय या मुनाफे के लिये किये जाते हैं, उन पर प्रतिबन्ध लग सके।

जहां तक इस बिल का संबंध है लाइसेंसिंग अथारिटी इस में जिलाधीश को रखा गया है, इस संबंध में मेरा कटु अनुभव रहा है, वह मैं सदन के विचार के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं, ज्यादातर जिलों के हेडक्वार्टर्स पर सिनेमा अवश्य होते हैं और जिलाधीश वहीं रहते हैं तो उनके बारे में मेरा दावा है कि वह बिला खौफ सिनेमा देखने बिला टिकट जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि ५१ जिलों के सभी जिलाधीश ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसे कलेक्टरों का बाहुल्य अवश्य है जो टिकट नहीं खरीदते। मुमकिन है कुछ ऐसे भी हों जो खरीदते हों लेकिन अधिकतर मुफ्त ही देखा करते हैं। मैं किसी विशेष डी० एम० के बारे में नहीं कहता, लेकिन मेरा दावा है कि बाहुल्य ऐसे जिलाधीशों का है, जो मुफ्त देखते हैं, और जब वह मुफ्त जाते हैं तो हो सकता है कि अधिकारों को इस्तेमाल करते समय भी वे उनकी सिनेमा के मालिक होने के नाते तरफदारी कर जायं। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि जिलाधीश को लाइसेंसिंग अथारिटी न बनाकर कमिश्नर को बनाया जाय, क्योंकि एक कमिश्नर होगा तो उस का कई जिलों के बीच एक हेडक्वार्टर होगा, अगर उस को वह सिनेमा वाले मुफ्त दिखालाना चाहेंगे तो न दिखला सकेंगे और अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना बहुत कम हो जायगी। इसके अलावा जिलाधीश के पास हेडक्वार्टर पर प्लानिंग और विकास आदि के अन्य बहुत से कार्य हैं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के काम उसी के सिर पर हैं, इसलिये यह चलचित्र वाला बोझ उसके सिर पर न रख कर कमिश्नरों को वह अधिकार देना चाहिये। यही मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है।

दूसरी बात यह है कि नियमों का पालन न करने पर एक लाइसेंसी पर एक हजार रुपया जुरमाना हो जाय और अगर फिर भी वह नियम की अवहेलना जारी रखे तो उस पर ५०० रुपया रोजाना जुरमाना होगा। मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने कहा कि जुरमाना कम करना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये, मैं जुरमाने के कम या अधिक होने की बात न कहकर निवेदन करूंगा कि उस को सजा अवश्य होनी चाहिये और जेल की व्यवस्था ऐसी दशा में अनिवार्यरूप से रखी जाय। अगर कोई सरकारी आज्ञा की अवहेलना करे और चलचित्र का दिखाना आज्ञा के विरुद्ध जारी रखे तो इस तरह से वह ५०० रुपया रोज देता रहेगा और दस दिन तक ५००० दे देगा, लेकिन उस से कहीं अधिक उन दिनों में वह कमा लेगा और उसी में से जुरमाना भी दे देगा। यह ठीक नहीं है, उस अवहेलना पर उसको जेल की सजा अवश्य होनी चाहिये। इस तरह से उस को जुरमाना देना महसूस न होगा और कानून का मतलब हल न होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जुरमाने के साथ सख्ती से काम लेकर सजा की व्यवस्था यहां करना आवश्यक है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि कोई खेतिहर मजदूर या किसान या लेबरर तो सिनेमाघरों को चलाते नहीं है, पैसेवाले लोग ही सिनेमा घरों को चलाते हैं और उन पैसेवाले को आप पैसे का दंड देकर अपराध करने से रोक नहीं सकते। उन्हें जेलखाने की सजा हो। जेलखाना जाने से पैसेवाला आदमी डरता है। इससे सरकार को भी सुविधा होगी अगर यह व्यवस्था कर दी जाय कि जो नियम का उल्लंघन करने वाला आदमी है, उसको सजा होगी।

श्री अध्यक्ष---आप खंडों पर जोर न दीजिये। इस वक्त सिद्धांत की बात ही हो सकेगी।

श्री रामेश्वर लाल---श्रीमन्, जहांतक इस संशोधन विधेयक के समर्थन का सवाल है, मैं इसके सिद्धांतों से सहमत हूं और यह समझता हूं कि यह एक बहुत अनिवार्य और आवश्यक विधेयक है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने देरी से सही इस विधेयक को इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया है, वह उचित है और आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, यह जो विधेयक सदन के सामने आया हुआ है, उसका जो उद्देश्य है उससे जैसा कि और माननीय सदस्यों ने बतलाया है हम भी सहमत हैं, लेकिन इस विधेयक के खंडों में संशोधन करना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सी ऐसी धारायें हैं, मैं समझता हूं कि जो ठीक नहीं है और जब तक कि उनका संशोधन नहीं करेंगे तब तक इसका काम ठीक से चलने वाला नहीं है। जो गड़बड़ियां बताई गई हैं मैं उनको दुहराकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता लेकिन जो त्रुटियां इस विधेयक में हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसकी धारा जो पांच है . . .

श्री अध्यक्ष---इस वक्त सिद्धांतों का संबंध है और खंडों में परिवर्तन तो संशोधन भेजकर आप करा सकते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---तो वही मैं कह रहा था कि जहां तक इस विधेयक का सवाल है, इसमें लाइसेंस देते वक्त ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है कि जो सिनेमाघर किसी स्कूल, किसी वाचनालय, किसी लाइब्रेरी या किसी बोर्डिंग हाउस के पास हों तो उनके लिये क्या किया जायगा। मैं तो समझता हूं कि ऐसे सिनेमाघरों में सिनेमा दिखाने की कतई इजाजत नहीं मिलनी चाहिये, क्योंकि इससे जो वाचनालयों में पढ़नेवाले होंगे या लाइब्रेरी में पढ़ने वाले होंगे या बोर्डिंग हाउस में रहकर जो पढ़नेवाले होंगे, उनका डिस्टरबेंस होगा, वे ठीक से अध्ययन नहीं कर पायेंगे और इससे नुकसान तो होगा ही, दूसरी दिक्कत यह होगी कि लड़कों की लत भी पड़ेगी सिनेमा देखने की ओर। श्रीमन्, मैं बताऊं कि किस किस्म के सिनेमा यहां दिखाये जाते हैं हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंसर बोर्ड है जो जितने पिक्चर्स निकलते हैं उनको सेंसर करता है और जो खराब होते हैं, जो उनमें खराबियां होती हैं, उनको छांट कर उनको निकाल देता है या जो पिक्चर ही खराब हुई तो पिक्चर को ही इजाजत नहीं देते लेकिन फिर भी श्रीमन्, आपको बतलाऊं कि इस तरह के पिक्चर आते हैं जो लड़कों पर ही नहीं बल्कि तमाम समाज पर बुरा प्रभाव डालते हैं और उससे बड़ा नुकसान होता है। कम से कम और लोग जो काफी बालिग हैं वे लोग देखें तो उनके लिये कोई हर्ज नहीं है क्योंकि उनका जो करेक्टर बनना था वह बन चुका, लेकिन जो बच्चे हैं और जिनका

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

अभी आचरण बन रहा है, जो स्कूलों में पढ़ते हैं वे इस प्रकार की पिक्चर्स देखेंगे तो उनके बिगड़ने का डर है। इसलिये मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया। इसमें ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि जो सिनेमाघर हैं वह इस तरह के बोर्डिग हाउसेज से दूर हों। श्रीमन्, आप देखेंगे सड़कों पर चले जाइये, पिक्चरों के ऐसे ऐसे अश्लील गाने छोटे-छोटे बच्चे गाते फिरते हैं सड़कों पर, जिसक बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं तो यह चाहूंगा कि हमारी यू० पी० की सरकार सेंटर को लिखे कि इस किस्म के गानों पर जिनसे कि बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है सेंसर और कड़ा करे। ऐसे ऐसे फिल्म बनाने की चेष्टा करे जिनका हमारे देश के बच्चे जो सिनेमा देखते हैं उन पर अच्छा असर पड़े और वह आगे चल कर अच्छा काम कर सकें। इस तरह श्रीमन्, इस ऐक्ट में सरकार ने यह भी आधिकार लिया है कि जिस फिल्म के द्वारा कहीं झगड़ा होने की गुंजाइश हो तो उस फिल्म को हम बन्द करा दें। यह तो समझ में आता है कि उसमें जो खराब गाने हैं या जो खराब दृश्य दिखाये जाते हैं जो बुरा प्रभाव डालते हैं, उन्हें बन्द होना चाहिये लेकिन यह समझ में नहीं आता कि सिनेमा चलाने में या उसे देखने में कहां झगड़ा पैदा हो जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---कम्यूनल नेचर के जो होंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---कम्यूनल नेचर के जो पिक्चर आते हैं सेंसर उनको वहीं काट देता है और अगर आपकी सरकार का सेंसर इतना खराब है कि जो कम्यूनल नेचर के पिक्चरों को इजाजत दे देता है तो ऐसे सेंसर बोर्ड को, मैं समझता हूं कि तोड़ देना चाहिये, जिस पर झूठ मूठ इतना रुपया बरबाद हो रहा है। श्रीमन्, यह तो ठीक है कि आपको कुछ अधिकार होना चाहिये रोकने के लिये, लेकिन यह ग्राउन्ड कोई ग्राउन्ड नहीं है। यह भी हो सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी सिनेमाघर में जाकर पिक्चर देखना चाहे और वहां का प्रोपराइटर कह दे कि जब तक आप टिकट नहीं खरीदेंगे तब तक सिनेमा घर में नहीं बैठने पायेंगे। बस उन्होंने एक फरमान ईश्यु कर दिया क्योंकि अथारिटी वही हैं, देखो तुम्हारे इस सिनेमा से यह गड़बड़ी है इसलिये झगड़ा पदा होने की गुंजाइश है इसलिये मैं तुम्हारे सिनेमा को बन्द कर देता हूं। इस ऐक्ट में यह प्राविजन हैं कि इस किस्म का आर्डर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे तो उसकी अपील प्राविन्शियल गवर्नमेंट में हो सकती है, लेकिन श्रीमन्, आप जानते कि अपील होने में और उसका फैसला होने में कितना टाइम लगता है। उसके फैसले में कई महीने लग जायेंगे और वह सिनेमावाला तो मारा गया इसलिये कि उसकी कमाई खत्म हो गई। क्योंकि उसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फ्री पास नहीं दिया। इस तरह के अधिकार मैं समझता हूं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं देना चाहिये और अगर दिया गया तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। या मान लीजिये वैसे ही झगड़ा हो किसी मैजिस्ट्रेट से और किसी ने आ कर शिकायत कर दी कि तुम्हारे पिक्चर में झगड़ा होने की संभावना है, लिहाजा तुम बन्द कर दो। दूसरी चीज जो इस विधेयक में है श्रीमन्, वह यह है कि सरकार किसी भी सिनेमाघर के मालिक को यह हुक्म दे सकती है कि फलां पिक्चर तुम को चलानी होगी, जैसे डाकूमेंटरी फिल्मस या न्यूज रील्स आती हैं, वह चलानी होंगी। ठीक है, होना चाहिये। हमारे देश में या विदेश में क्या खबरें हैं, यह जरूर सिनेमा में प्रदर्शित होना चाहिये। हम क्या प्रगति कर रहे हैं, इसका भी प्रदर्शन होना चाहिये। लेकिन श्रीमन्, एक डर और है कि कहीं इसी हिसाब से मैं नहीं कहता यह गवर्नमेंट कोई भी पार्टी पावर में आये, जिस तरह का यह नियम बनाया गया है वह यह भी हुक्म दे सकती है कि यह पार्टी का प्रचार होना है, इलेक्शन का प्रचार है इसको भी प्रदर्शित करो। तो झक मार कर उसको दिखलानी होगी। नहीं दिखलायेगा तो एक हजार रुपया जुर्माना होगा। इसलिये कोई न कोई ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिये कि अगर इस तरह का नाजायज काम करना चाहे तो न कर सके। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा होगा ही लेकिन एक डर है कि अगरचे यह शक्ति रही तो हो सकता है कि इस का दुरुपयोग किया जाय। तो इस किस्म की शक्ति नहीं देनी चाहिये। अगर दी भी जाय तो उसमें ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिये कि कोई भी पार्टीबाजी

वाली फिल्म का आर्डर सरकार न दे सके। इस किस्म का कोई प्रतिबन्ध इसमें जरूर होना चाहिये। हां, श्रीमन्, एक चीज इसमें और है वह यह कि कोई भी काम जनहित के लिये किया जाय तो उस पर कोई लीगल प्रोसीडिंग कोई नहीं कर सकता। ठीक है। यह तो सही है, क्योंकि अगरचे ऐसा न हो तो मैं समझता हूं कि सरकार या जो अधिकारी उसका जिम्मेदार है वह कोई काम ही नहीं कर सकता। कोई भी सरकार हुकुम देगी तो फट से उसके खिलाफ दावा दायर कर देंगे। तो सरकार या वह अधिकारी परेशान होगा। लेकिन इस ऐक्ट में देखने से ऐसा मालम होता है कि या तो लिखावट ही गलत है या बहुत अक्लमन्दी से लिखा गया है। वह धारा ११ है। "किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के अधीन दी गयी आज्ञा अथवा दी गयी समझी गयी आज्ञा..." यह दी गयी आज्ञा तो मैं ठीक समझता हूं, लेकिन दी गयी समझी गयी आज्ञा कोई भी हो समझी जायगी कि यह अज्ञा दीगयी, तो यह तो श्रीमन्, मैं समझता हूं कि कुछ ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि इस तरह का अख्तियार लेने से मैं समझता हूं कि सिवा इसके कि कुछ लोग गड़बड़ी पैदा करेंगे क्योंकि कोई चीज वह करें और यह कह दें कि यह तो दी गयी आज्ञा समझी जाती है। तो इस तरह की चीज इसमें नहीं होनी चाहिये। और इस किस्म की चीजों को हटा देना चाहिये, नहीं तो बड़ा दुरुपयोग हो सकेता है और नुकसान हो सकता है। जो अफसर होंगे उनको मनमानी करने का एक मौका मिल सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि वैसे तो हम लोग इसके जो उद्देश्य हैं उनका समर्थन हम लोग करते ही हैं इसलिये कि लाइसेंसिंग जरूर होनी चाहिये, उन पर प्रतिबन्ध जरूर होना चाहिये। प्रतिबन्ध न होने से सिनेमा वाले मनमानी कर सकते हैं। यह सारी चीजें होनी चाहिये। लेकिन जो कुछ भी त्रुटियां हैं वह तो हम लोग जैसा कि आपने बताया कि आप संशोधन भेजें वह तो हम करेंगे और हम ने किया भी है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर पहले से ही मैं आकृष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके ऊपर सोचें और विचारें। हमारा इसमें संशोधन आये तो बहुत सहृदयतापूर्वक उसको वे स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी बातों पर ध्यान करेंगे कि इस विधेयक में जो त्रुटियां रह गई हैं उनको वे ठीक करने की कृपा करेंगे।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, यह जो सिनेमा के मुताल्लिक सदन में बिल पेश किया गया है उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देती हूं और उसका समर्थन करती हूं। साथ ही साथ मेरे अनुभव के आधार पर जो कुछ सुझाव हैं उन्हें सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। इसमें जो सिनेमाटोग्राफ रूल है, जो ऐक्ट १९१८ में पास हुआ था उसमें कई चीजें ऐसी आती हैं कि जिनता पालन करना जनता के हित के लिये और सिनेमा-गृह में जो चलचित्र प्रदर्शन होते हैं उनके स्पष्ट देखने के लिये बहुत जरूरी हो जाती है। पहला नम्बर धूम्रपान का आता है। बड़े-बड़े शहरों में तो जहां तक देखा गया है इस नियम का पूरी तरह से पालन होता है और जब खेल शुरू होता है तो दर्शक गण सिगरेट आदि पीना छोड़ देते हैं। लेकिन जहां तक हम छोटी जगहों में देखते हैं तो इसके लिये जनता का कोई ध्यान नहीं है और बराबर ही वहां पर सिगरेट पीना जारी करते रहते हैं। इसकी कमी मैं किस पर बतलाऊं यह समझ में नहीं आता। जनता की अज्ञानता या सरकार की तरफ से इसका पूरी तरह से पालन करने के लिये उपयुक्त उपाय न करना, यह कुछ समझ से बाहर है। बाहर की जनता जो इस चीज को नहीं समझती है और उन पर इसके लिये कठिन प्रतिबन्ध भी नहीं रखा गया है तो वह इसकी अवज्ञा करते हैं और जो आपकी तरफ से सिनेमा के लिये आफिसर्स वगैरह नियुक्त किये गये हैं जैसे कि इन्टरटेनमेंट टैक्स आफिसर हैं वे भी सिनेमा में जाकर चेक करते हैं। टैक्स वगैरह के लिये वह अपनी पूर्ति करके आ जाते हैं। वह भी इस नियम का पालन करने में अपनी कुछ वहां पर शक्ति का उपयोग नहीं करते। यह भी पूरा होना चाहिये। तो मेरे खयाल से जब कि कोई चीज पास हो जाती है, आज हम सदन में एक चीज पास करते हैं तो हमारे पास करने के साथ ही साथ दूसरा कर्त्तव्य यह भी हो जाता है कि जनता उसका पालन करे। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि जैसा कि धूम्रपान करना अवैध है उसको पूरी तरह रोकने के लिये काम होना चाहिये।

[श्रीमती चन्द्रवती]

दूसरी चीज हमारे ऐक्ट के मुताबिक यह प्रतिबन्ध आता है कि अगर हम नये सिनेमा-गृह को लाइसेंस देते हैं तो उसके पास अस्पताल और स्कूल की बिल्डिंग नहीं आनी चाहिये । अगर ऐसी जगह एक फर्लांग के अन्दर कोई अस्पताल या स्कूल की बिल्डिंग आती है तो नये सिनेमा-गृह को लाइसेंस देना अनुचित ही नहीं, बल्कि कानून के विरुद्ध भी अवैध माना जाता है । लेकिन आज यह बात कहां तक कही जाय, यह पूरी परह से पालन किया जाता है या नहीं किया जाता है। मेरे अनुभव ने तो यह बतलाया है कि इस ओर सरकार के जो अधिकारी होते हैं, लाइसेंस देने वाले, वे पूरी तरह से ध्यान तक क्या इसकी ओर किंचित मात्र ध्यान भी नहीं देते हैं । अभी हाल ही में एक किस्सा हमारे बिजनौर में सिनेमागृह के लिये हुआ और माननीय मुख्य मंत्री जी को पूरी तरह ज्ञात है इस मामले के बारे में। उस सिनेमा-गृह के पास एक स्कूल की बिल्डिंग भी आती है और अस्पताल भी आता है। जनाना अस्पताल होने के कारण और बच्चों का स्कूल होने के कारण दोनों ही अवैध माने गये हैं। मैं कहां तक बयान करूं कि यह सिनेमा गृह एक बहुत अशांति के गृह बन जाते हैं और उसके पास वाले ऐसे स्थान जहां अस्पताल है, मरीज रहते हैं, वह इस अशांति से और भी अपने दुख का अनुभव करते हैं। तो उस चीज को कहां तक जायज कहा जाय और कहां तक नाजायज कहा जाय यह सदन के सामने एक प्रश्न उपस्थित है। मेरे खयाल से अगर जो किसी सूझबूझ से ऐसे लाइसेंस दिये गये हैं तो उन पर भी सरकार को उस कर्मचारी को या ऐसे नियमों के उल्लंघन करने वाले को पूरी तरह से दंडित करना चाहिये ।

अब मैं आखीर में इस बात पर जोर देना चाहती हूं जो लाइसेंस देने का अधिकार आज सरकार जिले के एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देने जा रही है वह मैं समझती हूं अनुचित होगा, क्योंकि जो रीति पहले से अपनायी गई थी जिस रीति से सरकार पहले कार्य करती थी वह रीति एक बहुत अच्छी रीति थी। आज जिले में अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जाता है तो वह अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग इस मात्रा में कर जाता है कि वह दूसरी चीज और कानून के विरुद्ध कुछ भी देखकर अन्धा हो जाता है और यहां पर मैं अपने अनुभव से प्रमाण करती हूं कि उसमें रिश्वत के भी खूब हाथ रंगे जाते हैं। इन बातों को सोचते हुये क्या यह उचित होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस तरह से पार्श्यलटी करने का और यह सब करने का अधिकार दिया जाय। यह मैं मानती हूं कि सरकार के इस व्यवस्था करने के भी कुछ मुख्य कारण हैं क्योंकि इसमें काफी व्यवस्था करनी होती है तो इसके लिये यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देकर ही कुछ सुविधा सरकार को हो सकती है। किन्तु एक तरफ तो अपनी सुविधा और दूसरी तरफ जनता की सुविधा। जनता की सुविधा हमेशा माननी पड़ेगी। इसलिये मेरे खयाल से तो जो पहले रीति थी वही उचित थी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार देना अनुचित होगा । इस लिये मुख्य मंत्री से नम्र निवेदन है कि वह इस चीज को सोचें और फिर इसकी व्यवस्था करें।

श्री व्रजभूषण मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बोलने की इच्छा तो नहीं थी, किन्तु यहां पर कुछ ऐसी बातें कही गयीं कि पांच मिनट का मुझे वक्त लेना ही पड़ा। यहां पर खास तौर से यह बात कही गई कि जिलाधीश को सिनेमा लाइसेंस देने का अधिकार न दिया जाय और उसके बारे में यह कहा गया कि वह बदगुमानी कर सकता है, पक्षपात कर सकता है या मुफ्त में सिनेमा देखेगा और जो नहीं दिखायेगा उसको परेशान करेगा, तो यह तो एक कहावत है देहाती कि "लाख रूपये का बराती और तावा ले के भागा।" डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो अधिकारों का पहाड़ लेकर बैठा है। अगर वह इतना बेइमान है, इतना गलत आदमी है तो न जाने कितनी गलत बातें कर सकता है। तो इतने जो अधिकार हमने उसको दे रखें हैं, उसमें तो कुछ नहीं और अगर सिनेमा का लाइसेंस देने लगेगा तो निहायत बेइमान हो जायगा, यह बात जरा समझ में नहीं आती ।

दूसरी बात यह कही गई कि स्कूल जहां हों, वहां सिनेमा गृह न हों। उसूल ठीक है लेकिन एक सवाल पैदा हो जायगा कि जहां पर इस समय पहले से ही मान लीजिये कि स्कूल और सिनेमा गृह दोनों एक ही जगह हैं, जैसे मैं मिर्जापुर की बात कहता हूं कि वहां पर स्कूल और सिनेमा दोनों एक ही स्थान पर हैं, स्कूल दिन में लगता है और सिनेमा रात चलता है, तो उस समय कोई

प्रतिबन्ध डाल दिया जाता है तो ऐसे केसेज के बारे में क्या होगा ? वैसे तो जिलाधीश को अधिकार दिया जायगा तो वह लाइसेंस देते वक्त इन सब बातों पर तो यों ही गौर करेगा। उस के लिए कोई क्लाज में या बिल में कोई धारा जोड़ी जाय, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह उसी के डिस्क्रिशन पर छोड़ देना चाहिए, वह जैसा उचित समझेगा करेगा। तीसरी बात यह है कि झगड़े इत्यादि पैदा करने वाले फिल्मों पर रोक लगाने वाली धारा के सम्बन्ध में एतराज उठाया गया, उस सम्बन्ध में मैंने बीच में टोका तो मल्ल जी ने कहा कि वह तो बोर्ड आफ सेंसर पास करता है, तो एक तरफ तो वे बोर्ड आफ सेंसर को गलत बताते हैं और कहते हैं कि सिनेमा में भद्दे और दुराचार की ओर ले जाने वाले चित्र पास कर दिये जाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि उसमें कोई हर्ज नहीं है, वह ठीक काम करेंगे। उनको मालूम नहीं कि आज कल जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, जैसे साबुन वाले या जो विदेशी यात्री आते हैं ये सब सड़कों के किनारे सिनेमा दिखाते हैं, उससे बहुत सी फिजूली की चीजें पैदा हो सकती है। उनको रोकने का यदि कोई विधान हमारी सरकार का नहीं होगा तो बहुत सी बुराइयां पैदा हो सकती हैं और इसीलिए उसको लाया गया।

श्री जगन्नाथ मल्ल---बोर्ड आफ सेंसर से वह पास होते हैं। क्या उसको तोड़ दें ?

श्री व्रजभूषण मिश्र---बोर्ड से वह सब नहीं होता है।

एक बात रामेश्वर लाल जी ने कही कि डालडा या बीड़ी के विज्ञापन जो सिनेमा में दिखाये जाते हैं उनको रोकने का विधान होना चाहिये। ठीक है, बात सुन्दर लगती है। डालडा और बीड़ी को बहुत से लोग बुरा समझते हैं, लेकिन जो चीजें बाजार में बिक रहीं है, सिनेमा में उनका विज्ञापन कैसे बन्द किया जा सकता है और किस वसूल पर यह किया जा सकता है ? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बहस का एक तरीका होना चाहिये। इस प्रश्न के सम्बन्ध में दो टुकड़े हैं। एक तो फिल्मों को प्रमाणित करना, उसका हमें यहां कोई अधिकार नहीं है और दूसरा यह कि यहां जो लाइसेंस आदि देने का शेष काम है उसको नियमित करना है। उसके सम्बन्ध में यह छोटा सा बिल है और मैं समझता हूं कि इसमें किसी का विरोध नहीं होगा। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं परसनल एक्सप्लेनेशन पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई परसनल बात नहीं है। आपने कुछ कहा, उसका विरोध हुआ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बैठे-बैठे बोलना नहीं चाहता था। मैंने तो सोचा था कि कि दो मेम्बर ही बोल कर खत्म कर देंगे, लेकिन यहां पर जो गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी में, कालिजों और स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको अपने बच्चों की देख-भाल करनी है, इस ओर मुझे ध्यान दिलाना पड़ा। वह बच्चे ६ घंटे स्कूलों में रहते हैं और १८ घंटे मां बाप के यहां रहते हैं। मां-बाप पैसा देते हैं। मैं तो सरकार से कहता हूं कि यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि १६ वर्ष तक के बच्चे सिनेमा न जाने पायें। अगर यह बात मुख्य मंत्री जी कर दें तो समाज कल्याण की एक बड़ी बात होगी।

दूसरी बात यह है कि हमें सिनेमा की बड़ी आवश्यकता भी है। रूस, अमरीका आदि देशों में सिनेमा द्वारा बड़े काम हो रहे हैं। शिक्षा का काम, प्रचार का काम, हमारी अगली पंच वर्षीय योजना का जो बड़े से बड़ा काम होगा प्रचार का, वह सिनेमा के द्वारा हो सकता है। जिस भाखरा-नांगल का हम केवल नाम सुनते थे उसको सिनेमा के चल-चित्रों में हमने अच्छी तरह देखा। साथ ही पं० जवाहर लाल नेहरू की रूस यात्रा का हाल भी सिनेमा हाउस में हमको देखने को मिला और आज भी रूस के दो महान नेता जो आये हुए हैं और उनका जो यहां

[श्री शिव नारायण]

इतना भारी रिसेप्शन हुआ और उनके स्वागत में हमारे देश की ओर से जो-जो बातें हुईं जिनको कि हम नहीं देख सके थे दिल्ली में उनको हम यहां "जय हिन्द" सिनेना में देख सकते हैं। तो सिनेमा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिस नीति से बैठ कर हम देखते हैं उसको ठीक करना है। अपने बच्चों को हम रोकें, यह बहुत जरूरी है। आज शाम को देखो तो हजरतगंज में यूनिवर्सिटी के लड़के ही नहीं लड़कियां भी ज्यादा दिखाई देती हैं और वह सिनेमा ज्यादा देखते हैं बनिस्पत इन बुड्ढों के। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि सरकार जो प्रतिबन्ध लगाये वह सुन्दर ढंग से हों।

कहा गया कि स्कूल सिनेमा हाउस के पास न हों। बिलकुल ठीक है। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सी परती जगहें लोगों ने सारी जुतवा लीं। शहरों में ४-४ कदम पर सिनेमा और स्कूल दिखाई पड़ते हैं। लखनऊ में ही करीब २५ सिनेमाघर होंगे। यह ठीक है कि एक-एक फर्लांग पर होना चाहिये और एक-एक फर्लांग पर इसको कर पायें तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा लेकिन साथ ही कई सिनेमा घरों को सलाम करना पड़ेगा। या फिर यूनिवर्सिटियों को हटा कर पहाड़ पर करना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्री जी भी चाहते हैं कि पुरानी संस्कृति के अनुसार शिक्षा यहां पर हो और वह अध्यापक भी रहे हैं और हमारे समाज के सर्वश्रेष्ठ नेता भी रहे हैं। उनके कर कमलों से अगर स्कूलों को हटा दिया जाय और शिक्षा संस्थाओं को हरद्वार या नैनीताल में कर दिया जाय पहाड़ों पर और ऋषि-मुनियों की तरह से जंगलों में हमारे विद्यार्थी भेज दिये जायं और वहीं विद्या सीखें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष---यह शिक्षा संस्थाओं का विधेयक नहीं है।

श्री शिवनारायण---मैं सिनेमा के बारे में ही कर रहा हूं। तो इस प्रकार सिनेमा के जो ऐब हैं उनसे हमारे बच्चे बच सकते हैं, अगर उनको दूर कर दिया जाय।

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए कहा गया, तो मैं कहता हूं कि जिन लोगों को लखनऊ आना पड़ता है या कानपुर जाना पड़ता है लाइसेंस के लिए, उनको कितना दौड़ना पड़ता है और कितनी कितनी रिश्वत कहां देनी पड़ती है? उसका हिसाब अगर लगया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारे जिले का सर्व प्रथम हाकिम होता है, इस राज्य का संचालक होता है, वह पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होता है, कोई गैरजिम्मेदार आदमी नहीं होता है, उसके लिये सिनेमा के बारे में अधिकार देने में लोग कह रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ हो जायगा, बड़ा जुल्म हो जायगा। यह बिलकुल गलत चीज है। मैं समझता हूं कि कोई भी मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बिना एंटरटेनमेंट टैक्स दिये सिनेमा नहीं देख सकता है। हम मैनेजर हैं अपने सिनेमा के और हमने अगर किसी को परमिट कर दिया तो हम गवर्नमेंट का इंटरटेनमेंट टैक्स जरूर लेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को देखें कि इस विधेयक में इतना हो सके कि सुन्दर प्रतिबन्ध हो और १२ वर्ष तक के विद्यार्थियों पर जरूर प्रति बन्ध लगे।

एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं कि सिनेमा घरों में पान और चाय बिकती है जिससे बड़ी गन्दगी और डिस्टरबैन्स होता है। सिगरेट तो सरकार ने सिनेना के अन्दर बन्द कर दिया। एक सज्जन ने कहा कि अब भी लोग बीड़ी सिगरेट सिनेमा में पीते हैं। ऐसा नहीं है। उस नियम का पालन हो रहा है, बाहर निकल कर लोग जरूर पीते हैं, लेकिन हाल के अन्दर कोई नहीं ता। लेकिन चाय जरूर हाउस में बिकती है जिसकी वजह से बड़ा डिस्टरबैन्स होता है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी ओर वे जरूर ध्यान दें।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, एक बात मैं जानना चाहता था कि यह जो लाइसेन्स रखा गया है यह खाली सिनेमा घरों पर ही लगेगा या कोई आदमी भी अगर सिनेमा दिखाये तो उस पर भी लगेगा ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उत्तर में इसका जबाव दे दिया जायगा ।

***श्री हरिसिंह** (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं । जहां तक सिनेमा का प्रश्न है कि वह क्यों चलाया गया और उससे क्या लाभ और हानि है, मैंने इसके विषय में सुना है कि सन् १९१४ की लड़ाई में जब यहां अंग्रेजी शासन था तब उन्होंने अपने सिपाहियों को साहस देने के लिये यहां चल-चित्र की व्यवस्था कायम की थी और उसके लिये सिनेमा हाल बनवाये । लेकिन अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उससे लड़कों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, १६ वर्ष के विद्यार्थी नहीं जाने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

श्री सी० वी० महाजन के त्यागपत्र की सूचना

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना चाहता हूं । श्री सी० वी० महाजन, एम० एल० ए० ने अपना इस्तीफा इन शब्दों में भेजा है---

"For reasons personally explained by me to Dr. Sampurnanand I wish to resign my membership of the Legislative Assembly. As the matter is urgent I shall be much obliged if my resignation can kindly be accepted from November 17, 1955."

यह पत्र उन्होंने लिखा मुझको कि "मैंने मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द को इस्तीफा देने का कारण बता दिया है कि मैं क्यों इस्तीफा दे रहा हूं ।"

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---वह कारण क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष---वे कारण यहां बताने की आवश्यकता नहीं है । मैं यह सूचना दे रहा हूं । वे कहते हैं कि "चूंकि यह बहुत आवश्यक मामला है इसलिये १७ नवम्बर से मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाय ।" तो यह सदन को सूचना दे दी । उनका इस्तीफा अपने आप ही मंजूर हो जाता है, उसे कोई मेरे या सदन के द्वारा मंजूर करने की आवश्यकता नहीं रहती है । जैसा कि उन्होंने कहा कि वे १७ तारीख से इस्तीफा देते हैं वैसे ही १७ नवम्बर से उनका इस्तीफा मंजूर हो गया । तो वह जगह खाली हो गयी है ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

राधे रमण सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
६ दिसम्बर, १९५५ ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नत्थी 'क'

(देखिये २२ नवम्बर, १९५५ के स्थगित तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४ पर)

७५,००० रु० के अनुदान की सहायता से जो घोसी तथा सगड़ी तहसीलों के अतिरिक्त अन्य तहसीलों में जिला परिषद् द्वारा गिये गये कार्यों का विवरण ।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	नाम सड़क जहां पर कार्य हुआ	धन जो व्यय किया गया रु०	आ०
		१—तहसील सदर		
१	मरम्मत सड़क	सदर तिलक रोड ..	१,०२९	१
२	मरम्मत कराना	गाजीपुर आजमगढ़ सड़क मील ४३	१,७६३	१
३	मरम्मत सड़क	गाजीपुर शाखा सड़क ..	६९६	१२
४	मरम्मत सड़क व पुल कार्य	कोटिला आंवक सड़क ..	८,७२०	१५
		योग ..	१२,२०९	१३
		भवन		
१	खास मरम्मत	नार्मल स्कूल राजकीय ..	१,५५७	११
		योग ..	१३,७६८	८
		२—तहसील लालगंज		
१	मरम्मत सड़क	देवगांव मेहनाजपुर ..	१९२	
२	मरम्मत सड़क	मेहनगर तरवा सड़क ..	१,१८२	
३	मरम्मत सड़क	देवगांव जिवाली ..	६२०	
		योग ..	१,९९४	
		भवन		
१	खास मरम्मत	पशुवाड़ा देवगांव ..	८२४	
		योग ..	२,८१८	
		३—तहसील मुहम्मदाबाद		
१	मरम्मत सड़क	सड़क गाजीपुर आजमगढ़ ३३, २३ व २४ * ..	८,५८१	४
२	मरम्मत सड़क पूरी	मय पुलिया मऊ सुल्तानीपुर पूरी सड़क ..	७५,७३५	१३
		योग ..	८४,३१७	१

भवन

			रु०	आ०
१—खास मरम्मत	जू० हा० स्कूल चिरैयाकोट		१,५६०	११
		योग ..	८५,६०७	१२

४—तहसील अहरौला

१—मरम्मत पुल	अतरौलिया अहरौला	..	६४	१५
२—मरम्मत कटान वरदह	सड़क सुहौली वरदह कटान	..	५,३८०	१५
३—मरम्मत पुल व निर्माण	दीदारगंज सड़क माइल पवई	..	६४६	४
४—मरम्मत पुल निर्माण	दीदारगंज, दीदागंज रोड	..	६४६	४
५—मरम्मत सड़क	अहरौला दीदारगंज	..	८,६२०	१
		योग ..	१६,३७२	४

भवन

१—खास मरम्मत	अहरौला चिकित्सालय	..	२,००८	११
२—खास मरम्मत	निरीक्षण निवास अहरौला	..	३७१	१
		योग ..	१८,७५२	० ०
		योग ..	१,२१,२४५	—४ —०

सम्पूर्ण जिले में व्यय किया गया धन	..	१,५१,६८१
सरकारी अनुदान	..	७५,०००
जिला परिषद के निज मद से	..	७६,६८१

नत्थी 'ख'

(देखिये २२ नवम्बर, १९५५ के स्थगित तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९ पर)

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ द्वारा १४ वें मंगलवार के लिये पूछे गये विधान सभा प्रश्न संख्या २४ के उत्तर में उल्लिखित तालिका।

क्र० सं०	नगरपालिका	अनुदान एवं ऋण											
		शिक्षा	तहबाजारी	राजनैतिक पीड़ित	स्वास्थ्य	सार्वजनिक जमीनों से आय के सम	सड़कें	नालियां	हरिजन क्वार्टर	रोड फण्ड	ट्रक तथा कम्पोस्ट स्कीम	वाटर सप्लाई
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
						अनुदान १९५३–५४						
१—अलीगढ़		२,३०,७४०	६२२	२५	..	३१९	१,००,०००	१,००,०००	..	..	..	..
२—हाथरस		६३,९५०	९९३	..	..	२०	५०,०००	..	..	१,४७०	..	..
३—सिकन्दरा-राउ		९,३५०	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
४—अतरौली		११,३४९	..	..	..	..	३०,०००	..	..	..	..	..
						१९५४–५५						
१—अलीगढ़		२,२३,२०५	३,६००	..	..	३०७	१,०९,७००	१,७२,०००	२२,०००	..	..	..
२—हाथरस		७८,८४९	४,११५	..	..	४९९	३४,०००	..	..	१,४७०	..	..
३—सिकन्दरा-राउ		१०,००८	..	..	८००	..	३२,७००	..	७,५००	..	..	..
४—अतरौली		११,६३६	..	..	.	..	१५,९००	..	..	..	..	..

ऋण १९५३–५४

१—अलीगढ़	..	..	..	..	..	..	१,५०,०००	..	..	..	..
२—हाथरस	..	..	..	..	..	..	१,००,०००	..	..	..	१,००,०००

१९५४–५५

१—अलीगढ़	..	..	..	..	..	..	२,६५,०००	४३,०००	..		१६,०००
२—हाथरस	..	..	..	..	..	..	१,२५,०००	..	..	..	२५,०००
३—सिकन्दराराउ	..	.	..	..	..	..	..	१२,५००	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये २२ नवम्बर, १९५५ के स्थगित तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर)

NAMES OF LOCAL BODIES WHERE NEW WATERWORKS ARE BEING CONSTRUCTED

1. Ayodhya.
2. Ballia.
3. Bareilly.
4. Basti
5. Chandpur.
6. Hamirpur.
7. Hathras.
8. Kankhal (Hardwar)
9. Padrauna.
10. Pilibhit.
11. Ramnagar (NAC)
12. Sitapur.
13. Azamgarh.
14. Bulandshahr.
15. Chandausi.
16. Deoria.
17. Etah.
18. Farrukhabad-cum-Fatehgarh.
19. Fatehpur.
20. Firozabad
21. Gorakhpur.
22. Hapur.
23. Hardoi.
24. Lalitpur.
25. Mainpuri.
26. Nagina.
27. Najibabad.
28. Pratapgarh
29. Rampur. (यहाँ वाटरवर्क्स केवल नाम मात्र का था।)
30. Rath.
31. Rishikesh.
32. Saharanpur.
33. Sandila.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६ पर)

विज्ञप्ति संख्या १५७६ डब्लू० २३/६२ डब्लू०/१६४६, दिनांक ३१ मार्च, १६५३ में छपी सिंचाई की दरों में हुये परिवर्तनों का विवरण।

नहर अथवा फसल आदि का नाम	परिवर्तन	विज्ञप्ति अथवा राजाज्ञा संख्या जिसके द्वारा परिवर्तन हुआ
१	२	३
(१) बिजनौर नहरें।	३१–३–५३ की विज्ञप्ति की अनुसूची १ में दी हुई दरों के स्थान पर १–४–५३ के पहले प्रचलित रेट ही इन नहरों पर लागू किये गये। यह आज्ञा १–४–५३ से ही अमल में लाई गई।	(१) विज्ञप्ति संख्या ६०२२(२) डब्लू० दिनांक ३०–१–५४ (२) राजाज्ञा संख्या ६०२२(२) डब्लू० दिनांक ६–२–५४
(२) मिर्जापुर की करमनासा नहरें।	(१) सब खरीफ की फसलों के लिये निम्न दरें निर्धारित की गयीं। डाल––३ रु० ६ आ० प्रति एकड़। तोड़––१ रु० ११ आना प्रति एकड़।	(१) विज्ञप्ति संख्या ६०२२ दिनांक ३०–१–५४।
	(२) बाद में यही दरें रबी की सब फसलों के लिये भी लागू कर दी गयीं।	(२) विज्ञप्ति संख्या १३४६ डब्लू, दिनांक ५–३–५४।
(३) रामपुर की कोसी, बहाला, धगा और गांगन नहरें।	३१–३–५३ की विज्ञप्ति की अनुसूची १ के स्थान पर उक्त विज्ञप्ति की अनुसूची २ के अनुसार सिंचाई दरें निर्धारित की गयीं।	विज्ञप्ति संख्या ६००२ डब्लू, दिनांक ३०–१–५४।
(४) बनारस राज्य की नहरें।	(१) ३१–३–५३ की विज्ञप्ति में इन नहरों के लिये दरें निर्धारित नहीं की गई थीं। इनके लिये निम्नलिखित दरें निर्धारित की गयीं।	(१) विज्ञप्ति संख्या ६०२२ डब्लू, दिनांक ३०–१–५४।

नहर	फसल	रेट प्रति एकड़ डाल	तोड़
करमनासा (तहसील चकिया)	चावल (पौध)	५/४	५/४
	चावल (छितराया हुआ)	२/१०	२/१०
	गन्ना	७/८	७/८
	रबी	४/८	४/८
करैल क्षेत्र की करमनासा नहर	चावल (पौध)	३/०	३/०
	चावल (छितराया हुआ)	२/४	२/४

नहर अथवा फसल आदि का नाम	परिवर्तन		विज्ञप्ति अथवा राजाज्ञा संख्या जिसके द्वारा परिवर्तन हुआ
पथरवा नहर	गन्ना	७/८	७/८
	रबी	४/८	४/८
	चावल (पौध)	४/८	४/८
	चावल (छित-रोया हुआ)	२/४	२/४
	गन्ना	७/८	७/८
	रबी	४/८	४/८
	(२) उपर्युक्त दरें डाल और तोड़ के लिये एक समान थीं अतः अन्य शहरों की भांति तोड़ के उपर्युक्त रेट कम करके डाल के रेट से आधे कर दिये गये। यह आधे रेट प्रारम्भ से ही वसूल किये गये।		विज्ञप्ति संख्या ६०२२ डब्लू०, दिनांक ३०-१-५४
(५) दून नहर के चाय बगीचे और बाग	३१-३-५३ की विज्ञप्ति की अनुसूची १ में दी हुई दरों के स्थान पर निम्न दरें निर्धारित की गयीं: डाल १५ रु० प्रति एकड़ तोड़ ७/८ प्रति एकड़		विज्ञप्ति संख्या ६०२२ डब्लू०, दिनांक ३०-१-५४।
(६) बेलन नहर	३१-३-५३ की विज्ञप्ति में इस नहर के लिये कोई सिंचाई दर निश्चित नहीं की गयी थीं। उस नहर पर उक्त विज्ञप्ति की अनुसूची २ में सम्मिलित कर दिया गया अतः उस अनुसूची में दिये हुये रेट इस नहर पर लागू किये गये।		विज्ञप्ति संख्या ३०२२ डब्लू०, दिनांक २०-७-५४।
(७) दुद्धी क्षेत्र के बेदार, दमहा और राज सौर बांध।	३१-३-५३ की विज्ञप्ति में यह सम्मिलित नहीं थे। इन पर अब उक्त विज्ञप्ति की अनुसूची २ के अनुसार रेट निश्चित कर दिये गये हैं।		विज्ञप्ति संख्या ३८५६ डब्लू०, दिनांक २९-११-५४
जगनेर (आगरा जिला) के तालाब।	इनको ३१-३-५३ की विज्ञप्ति की अनुसूची २ से निकाल दिया गया और इन पर १-४-५३ से निम्नलिखित रेट निर्धारित किये गये:		(१) राज आज्ञा ३७४२ डब्लू०, दिनांक ६-१०-५५।
	Submerged area	३ रु० प्रति एकड़	(२) राज आज्ञा ३७४२(१) डब्लू०, दिनांक ६-१०-५५।
	Fringe area	१ रु० ,,	
	Outside irrigation	३ रु० ,,	
ब०	३१-३-५३ की विज्ञप्ति की अनुसूची ३ में जो रेट अन्य खरीफ की फसलों के लिये निर्धारित किये गये थे वही रेट २० जुलाई १९५४ की विज्ञप्ति संख्या ३०२२ डब्लू० के द्वारा रबी की सब फसलों पर भी लागू कर दिये गये।		

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८ पर)

सुपरसीड होने के बाद अलीगढ़ नगरपालिका द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य

(क) सफाई तथा जन-स्वास्थ्य—(१) कई नये सार्वजनिक पाखाने, पेशाबघर, कूड़ाघर इत्यादि बनाये गये और बहुतों की मरम्मत की गई; (२) ट्रक, ट्रैक्टर कूड़ा ढोने की गाड़ियां इत्यादि सफाई, का सामान खरीदा गया ताकि कूड़ा करकट को जल्दी ठिकाने लगाने में आसानी हो सके; (३) संक्रामक रोगों के चिकित्सालय का, जिसकी दशा बोर्ड के सुपरसीड होने के पहले बहुत खराब थी, जीर्णोद्धार किया गया, बिजली लगायी गयी और अहाते के अन्दर हाथ का बम्बा लगाया गया; (४) कम्पाउन्डरों, मेहतरों और चौकीदारों के लिये क्वार्टर बनवाये गये; (५) म्युनिसिपल औषधालयों का भी सुधार किया गया। यह औषधालय बोर्ड के सुपरसीड होने के पहले केवल कुनीन बांटने का केन्द्र था और अब यहां २,००० रुपये की औषधियां हर साल प्रयोग में लायी जाती हैं। अब वहां का इन्चार्ज डाक्टर औषधालय तथा संक्रामक रोगों के चिकित्सालय के काम के अतिरिक्त म्युनिसिपल स्कूलों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की भी देखभाल करता है। शहर के वार्डों में वार्ड कार्यालय खोले गये हैं जिनमें से प्रत्येक ने असाधारण कार्य के अवसर पर कार्य करने के लिये मेहतरों की व्यवस्था की गयी है; (७) चिकित्सालयों और औषधालयों का अनुदान ६,००० रु० से बढ़ाकर २४,००० रु० कर दिया गया और ४०,००० रु० का अनुदान जो पांच साल से बाकी था डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को चुकता किया गया।

(ख) शिक्षा (१) साठ हजार रुपये की लागत से दो नये स्कूलों की इमारतें बनायी गयीं तथा कई स्कूलों की इमारतों की मरम्मत की गयी; (२) संगीत, सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया गया और उसके लिये आवश्यक सामान खरीदा गया; (३) नगरपालिका के पांच स्कूलों की इमारतों में पार्कों की व्यवस्था की गयी।

(ग) सार्वजनिक निर्माण कार्य—बहुत सी सड़कें बनायी गयीं और बहुतों की मरम्मत की गयी। इसके अतिरिक्त कई इमारतों की भी मरम्मत की गयी।

(घ) विविध—(१) आठ हजार रुपये की लागत से एक नया आग बुझाने वाला इञ्जन तथा चार हजार की लागत से आग बुझाने वाला सामान खरीदा गया। आग बुझाने वाली ट्रकों की मरम्मत की गयी और फायर ब्रिगेड के लिये मोटर गैरेज बनाया गया (२) गांधी उद्यान को एक टचूबवेल फव्वारा और गांधी जी की मूर्ति से सुसज्जित किया गया। (३) नगरपालिका के कार्य के लिये बोर्ड ने १४,६०० रुपये की लागत से एक शिवरलेट पिक-अप भी खरीदी। (४) ड्रेनेज योजना कार्यान्वित की जा रही है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

सिंचाई विभाग के रिसर्च इंस्टीटच्यूट, रुड़की में होने वाले कार्य की सूची। रिसर्च इंस्टीटयूट में निम्नलिखित योजनाओं पर कार्य हो रहा है अथवा अथवा होने वाला है। केवल मुख्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया हुआ है।

अ——हाईड्रोलिक्स सेक्शन

(क) रिहान्ड डाम स्पिलवे की डिजाइन के लिये माडेल अन्वेषण——इसके अन्तर्गत लगभग २२५ फीट की उंचाई से गिरते हुये पानी के वेग को नष्ट करने के लिये एक समुचित स्काइ-जंप बकेट की डिजाइन, स्पिलवे में बाढ़ के पानी की निकासी के लिये रिवर स्लूस की उचित व्यवस्था और डिस्चार्ज की क्षमता बढ़ाने के लिये स्पिलवे की क्रेस्ट डिजाइन करनी है।

(ख) (क) में वर्णित कार्यों के लिये माताटीला डाम की डिजाइन के लिये माडेल अन्वेषण।

(ग) काशी के घाटों को नष्ट होने से बचाने के लिये गंगा नदी को घाटों से दूर रखने के लिये नियंत्रण कार्यों पर माडेल अन्वेषण।

(घ) कनखल नहर की रक्षा हेतु गंगा नदी के बहाव को नियंत्रण में रखने के लिये माडेल अन्वेषण।

(ङ) पूर्वी यमुना नहर के हेड में रेता व बजरी को रोकने तथा पानी के उचित विभाजन के लिये यमुना नदी के बहाव को नियंत्रण में रखने के लिये माडेल अन्वेषण।

(च) शारदा सागर बांध के समीप शारदा नदी के दायें किनारे को कटाव से रोकने के लिये नदी पर माडेल अन्वेषण।

(छ) टांडा नगर की रक्षा हेतु घाघरा नदी के बहाव को नियंत्रिण में रखने के लिये माडेल अन्वेषण।

(ज) रामगंगा नदी के बहाव को रैनी बीयर के ऊपर नियंत्रित करने के लिये माडेल अन्वेषण।

(झ) नहर झालू, साइफन स्पिलवे एवं डिस्ट्रीब्यूटरी हेड के आप्त मानीय डिजाइन्स के लिये मौलिक खोज।

(ञ) हाइड्रालिक स्ट्रक्चर्स जैसे झाल, पूल, साइफन एवं एक्यूडक्ट आदि के नीचे जल वेग को नष्ट करने के उपायों पर माडिल अन्वेषण।

(ट) बाढ़ों को रोकने के लिये नदियों के म्यानडर्स का अध्ययन व स्पर एवं डाइक्स का माडेल द्वारा डिजाइन।

(ठ) उत्तर प्रदेश में नदियों एवं नहरों पर डिस्चार्ज नापने के उचित तरीकों को मालूम करना।

आ——सोयल्स सेक्शन

(क) उत्तर प्रदेश में शारदा सागर, माताटीला, रामगंगा और नानक सागर बांध व मध्य प्रदेश में सम्पन्ना तथा मध्य भारत के सांवलदा ताल एवं विन्ध्य प्रदेश के लोनी, करारी, ताडका और गोगरी बांधों के डिजाइन्स।

(ख) उत्तर प्रदेश की भीमताल झील का नवीकरण।

(ग) मैनपुरी व सोहावल पावर हाउस एवं मेरठ-बागपत सड़क पर हिन्डन नदी के ऊपर सड़क पुल की नींवों का डिजाइन।

(घ) भारतीय सायल्स के इंजीनियरिंग गूलों की जांच और उनकी श्रेणी बद्धता।

इ--कैमीकल सेक्शन

(क) रिहान्ड डाम के लिये चुर्क फैक्टरी के सीमेन्ट की समय-समय पर रसायनिक जांच।

(ख) ड्रिलिंग मृद् जैसी कोई उपयुक्त भारतीय मृद् की खोज।

(ग) ब्लैक काटन एवं मार जैसी खराब काली मृद् मिट्टी के गुणों को इलक्ट्रो कैमीकल उपायों द्वारा उन्नत करना।

(घ) वर्ष के सब ऋतुओं में रिहान्ड नदी के जल की समय-समय पर जांच।

ई--मैटीरियल टैस्टिंग सेक्शन

(क) रिहान्ड डाम प्रोजेक्ट के लिये चुर्क फैक्टरी के सीमेंट की जांच।

(ख) रिहान्ड डाम के लिये कंक्रीट पर ताप सम्बन्धी गुणों की जांच।

(ग) कंक्रीट के एयर एन्ट्रेनिंग री-एजेन्टों का अध्ययन।

(घ) कंक्रीट मिश्रण एवं मोरटरस् का उचित डिजाइन।

उ--ग्राउंड वाटर सेशन

(क) खेरी ब्रांच पर एक्युडक्ट की नींव से पानी निकालने के लिये, सब सायल पानी का अनुमान व नलकूपों का डिजाइन करना।

(ख) नहरों के जल परिक्षरन लूप्तांश पर ट्यूबवेल पंपिंग का प्रभाव।

(ग) परमिएबिल नींव पर आधारित स्ट्रक्चरों पर हपलिपट प्रेशर की थ्री डाइमेन्शन तरीकों से जांच करना।

(घ) विभिन्न ट्यूबवेल जैसे ग्रेविल शाउडेड (Gravel shrouded) केविटी (cavity) और स्ट्रेनर टाइप (strainer type) की डिजाइन करना।

ऊ--फोटों इलास्टीसिटी सेक्शन

पावर हाउस की नीवों और डाम की गैलरीज में पता न लगने वाले दवावों का विश्लेषण।

ए--स्टेटिस्टीकल सेक्शन

(क) अधिक पम्पिंग के कारण स्थायी रूप से जल तल के गिरावट की जांच के, लिये उत्तर प्रदेश के ट्यूबवेल क्षेत्रों में ग्राउन्ड वाटर टेबिल का परिमाणिक विवेचन।

(ख) बाढ़ के आगमन और राज्य में जल शक्ति का अनुमान लगाने के लिये वर्षा एवं बर्षा सवण का अध्ययन।

ऐ--मौलिक रिसर्च

(क) केविटेशन हाई हैड साइफन, ड्राफ्ट ट्यूब और टरबाइन के डिजाइन्स हेतु इसका अध्ययन।

(ख) डेन्सिटी कैरैक्ट्स को विशेष महत्व देते हुए जलाशयों के निःसादन का अध्ययन।

(ग) मोरटरस एवं कंक्रीट मिश्रण डिजाइन्स के सिद्धान्त।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० १६० एल० ए०--१९५६--७९६।